



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2007 की संख्या 3

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन**

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2007 की संख्या 3**

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I – सामान्य		
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	1.1	1
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.2	3
उपयोग प्रमाणपत्र	1.3	4
अध्याय II - कृषि मंत्रालय		
राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड		
क्षेत्रीय छात्रावास का अनुपयोग	2.1	6
अध्याय III - वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय		
मसाला बोर्ड, कोच्ची		
सेवा कर की अवसूली के कारण हानि	3.1	8
अध्याय IV – उपभोक्ता कार्य मंत्रालय		
भारतीय मानक ब्यूरो		
परिहार्य हानि	4.1	9
अध्याय V – वित्त मंत्रालय		
आर्थिक कार्य विभाग		
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण		
प्रतियोगी बोलियों को आमंत्रित न करने के कारण अतिरिक्त व्यय	5.1	11
भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड		
अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप अपव्यय	5.2	14
अध्याय VI –मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय		
अप्राधिकृत व्यय	6.1	16
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद		
अग्रिम वेतन वृद्धियों की अनियमित अनुमति	6.2	17
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली		
त्रुटिपूर्ण अधिप्राप्ति नियोजन के परिणामस्वरूप उपकरण की निष्क्रियता	6.3	18
ब्याज की हानि	6.4	19
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर		
कम्प्यूटरीकृत वेतनपत्रक लेखाकरण प्रणाली में कमियों का परिणाम वेतन, पेंशन के गलत भुगतान और अग्रिम के अनियमित संवितरण में हुआ	6.5	20

	पैराग्राफ	पृष्ठ
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद		
अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अधिक व्यय	6.6	25
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
निर्माण कार्य को अनियमित रूप से प्रदान करना	6.7	27
अनुदान का अविवेकपूर्ण जारी किया जाना	6.8	29
अध्याय VII – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
प्रसार भारती		
राजस्व की हानि	7.1	31
राजस्व की हानि	7.2	33
अधिक व्यय	7.3	34
ब्याज की परिहार्य हानि	7.4	36
रॉयल्टी की अधिक अदायगी	7.5	37
संहिता के प्रावधानों के अपालन के कारण संदिग्ध गबन	7.6	39
अध्याय VIII – जहाज रानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		
कोचीन पत्तन न्यास		
कम दर पर पट्टा किराए की उगाही के कारण राजस्व की हानि	8.1	42
कोलकाता पत्तन न्यास		
निष्फल व्यय	8.2	43
अपव्यय	8.3	45
अधिक व्यय	8.4	46
समुद्री अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता		
अपव्यय	8.5	48
मुंबई पत्तन न्यास		
जलयान के रखरखाव पर निष्फल व्यय	8.6	49
अधिक व्यय	8.7	51
अध्याय IX – लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय		
खादी और ग्रामोद्योग आयोग		
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली	9.1	53
अवसूली और ब्याज की हानि	9.2	54
अध्याय X – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		
राष्ट्रीय न्यास		
संसद के अधिनियम के उल्लंघन में सहायता अनुदान जारी करना	10.1	56

		पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय XI – शहरी विकास मंत्रालय			
दिल्ली विकास प्राधिकरण			
	निधियों का अवरोधन	11.1	58
	सैस की अवसूली	11.2	59
	निर्माण कार्य के निष्पादन में अतिरिक्त परिहार्य व्यय	11.3	60
अध्याय XII – युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय			
नेहरू युवा केन्द्र संगठन			
	जगह पर अनधिकृत कब्जा	12.1	63
भारतीय खेल प्राधिकरण			
	सेवा कर की कम वसूली और विलम्ब से जमा करने के कारण व्यय	12.2	64
अध्याय – XIII			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई – संक्षिप्त स्थिति	13.1	66
परिशिष्ट			
I	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2005-2006 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण		69
II	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनकी 2005-2006 की सूचना दिसम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुई थी		80
III	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2005-06 के दौरान जारी किए गए अनुदान		81
IV	धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2004-05 के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब		91
V	स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2004-05 के लेखे दिसम्बर 2006 तक प्रस्तुत न करना		93
VI	स्वायत्त निकायों की सूची जिनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं (31.10.2006 तक की स्थिति)		94
VII	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र		96
VIII	अक्टूबर 2006 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां		109

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के विविध प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में 38 पैराग्राफ शामिल हैं।

लेखापरीक्षित संगठन परिवर्ती स्वरूप तथा विषयों वाले स्वायत्त निकाय हैं। इन संगठनों से आवश्यक रूप से सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कुछ विशिष्ट जन लोकोपयोगी सेवाएं पूरा करना अथवा सरकार की नीतियों तथा निश्चित कार्यक्रमों का निष्पादन करना अपेक्षित है। इन निकायों तथा प्राधिकरणों में मुख्य पत्तन न्यास, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, प्रसार भारती, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अन्य शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2005-2006 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए।

विहंगावलोकन

सामान्य**स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे**

2005-06 में 259 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत प्रमाणित किए जाने थे। भारत सरकार ने 2005-06 के दौरान 13222.69 करोड़ रु. के अनुदान और 175.47 करोड़ रु. के ऋण 251 निकायों को जारी किए। शेष 8 निकायों को जारी सरकारी अनुदानों की राशि की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

5257.28 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 39.76 प्रतिशत) की राशि के अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 92 शैक्षिक संस्थानों को संवितरित किए गए, 1007.59 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 7.62 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थाओं को संवितरित किए गए तथा 438.95 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 3.32 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 7 स्वायत्त निकायों को संवितरित किए गए।

255 केन्द्रीय निकायों के 2004-05 के लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2005 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से 81 निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अनुबद्ध समय के भीतर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए थे। दिसम्बर 2006 तक 8 निकायों के लेखे संबंधित संगठनों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 1.1)

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय**भारतीय मानक ब्यूरो**

भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.) ने अंकन शुल्क अगस्त 1994 से संशोधित कर दिए थे, लेकिन प्रबन्धन ने इन्हें सरकारी गजट में अधिसूचित व प्रकाशित करने में ग्यारह वर्ष लिए। इसका परिणाम 1.63 करोड़ रु. की परिहार्य हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 4.1)

वित्त मंत्रालय

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के केन्द्रीय सूचीकरण प्राधिकरण की औपचारिक स्थापना के बिना इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति के अविवेकपूर्ण निर्णय का परिणाम 2003-05 के दौरान इनके वेतन एवं भत्ते तथा कार्यालय व्यय आदि पर 43.73 लाख रु. के अपव्यय में हुआ जबकि उन्होंने कोई सरकारी कार्य निष्पादित नहीं किया।

(पैराग्राफ 5.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विरासत भवनों की विशेष मरम्मत एवं रखरखाव के लिए एक करोड़ रु. के विशेष अनुदान का अप्राधिकृत रूप से विपथन हुआ था।

(पैराग्राफ 6.1)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने डाकघर की सावधि जमा योजना के अंतर्गत अपने 114.45 करोड़ रु. के 37 निवेशों पर वार्षिक ब्याज के विलंबित दावे के कारण 20.13 लाख रु. की हानि उठाई।

(पैराग्राफ 6.4)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

वर्ष 2005-06 के लिए पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कागजों की अधिप्राप्ति हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने समय पर कार्रवाई नहीं की। अधिप्राप्ति के विभिन्न चरणों पर विलम्ब का परिणाम परिषद द्वारा 1.04 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय करने में हुआ।

(पैराग्राफ 6.6)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजनाओं के प्रावधानों के साथ-साथ सामान्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए मार्च 2004 में 24 विश्वविद्यालयों को 5.48 करोड़ रु. राशि का अग्रिम अनुदान जारी किया जिसका परिणाम 8 तथा 24 माह की अवधियों

के बीच निधियों के अवरोधन तथा परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2006 की अवधि के लिए 59.02 लाख रु. के ब्याज की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 6.8)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

प्रसार भारती (प्र.भा.) द्वारा उपयुक्त विपणन योजना के बिना क्रिकेट प्रसारण अधिकारों के अधिग्रहण तथा उसके बाद मनमाने ढंग से प्रक्षेपित दरों से कम दरों को प्रभारित करने का परिणाम 51.59 करोड़ रु. की सम्भावित राजस्व हानि में हुआ; प्र.भा. ने लेन देन में 9.98 करोड़ रु. की नकद हानि वहन की।

(पैराग्राफ 7.1)

दूरदर्शन ने 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 की अवधि के लिए न्यूनतम गारंटी (न्यू.गा.) शर्तों पर फिल्मों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (रा.फि.वि.नि.) के अनुरोध के बावजूद उसके साथ औपचारिक समझौता करने में विफल रहा। इसने बाद में रा.फि.वि.नि. को अपनी वचनबद्धता से पीछे हटने तथा सितम्बर 2003 के बाद से न्यू.गा. शर्तों पर फिल्मों की आपूर्ति से इंकार करने का अवसर दिया। फलस्वरूप प्रसार भारती को रा.फि.वि.नि. से रॉयल्टी आधार पर फिल्में लेनी पड़ी जिसका परिणाम सितम्बर 2003 से मार्च 2004 के दौरान 6.68 करोड़ रु. के राजस्व की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 7.2)

धर्मपुरी, राधनपुर, सागर और तिरुनेवेली में 150 मीटर के चार स्टील टावरों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रारम्भन हेतु आदेश, बोली की वैधता अवधि में देने में दूरदर्शन की विफलता का परिणाम 3.29 करोड़ रु. के अधिक व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 7.3)

प्रसार भारती के केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र ने अधिक नकद शेषों को अपने चालू खाते में रखा। 2003-04 और 2004-05 के दौरान के.उ.के. द्वारा रखे गए न्यूनतम शेष 1.54 करोड़ रु. से 14.51 करोड़ रु. के बीच के थे, जिन पर कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ। इस प्रकार अधिक नकद शेषों को रखने का परिणाम 51.98 लाख रु. की ब्याज की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ 7.4)

जहाजरानी मंत्रालय

कोलकाता पत्तन न्यास

5.73 करोड़ रू. की लागत से सागर पर निर्मित वर्चुअल जेटी अपने संस्थापन के दो वर्ष नौ माह के बाद भी कार्गो संचालन के लिए उपयुक्त वर्ग और आकार की नौकाओं की अनुपलब्धता के कारण अप्रयुक्त रही जिसने पूरे खर्च को अपव्यय बना दिया। 5.96 करोड़ रू. की लागत से वर्चुअल जेटी की ओर आने वाले जलमार्ग में किया गया तलकर्षण भी वर्चुअल जेटी के उपयोग हेतु तलछट की 7.8 मीटर तक अपेक्षित वृद्धि के अपने उद्देश्य को पाने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 8.2)

परामर्शदाता द्वारा अनुशंसित उपायों की प्रभावकारिता का पर्याप्त मूल्यांकन किए बिना सागर द्वीप पर तट-आधारित मार्गदर्शी स्टेशन से मार्गदर्शनीय प्रचालन हेतु कोलकाता पत्तन न्यास ने प्रवेश जलमार्ग और बंदरगाह के तलकर्षण/उत्खनन हेतु 3.07 करोड़ रू. खर्च किए। परिणामतः इस प्रकार सृजित प्रवेश जलमार्ग तथा बंदरगाह का अस्तित्व व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया जिसने 3.07 करोड़ रू. के कुल खर्च को अपव्यय बना दिया।

(पैराग्राफ 8.3)

मुंबई पत्तन न्यास

मुंबई पत्तन न्यास द्वारा फालतू और अकार्यात्मक नौका के रखरखाव का परिणाम 2.95 करोड़ रू. के अनावश्यक व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 8.6)

अनुबंध प्रदान करने में विभिन्न अवस्थाओं के बीच अधिक समय तक पिछड़ने से बचने में मुंबई पत्तन न्यास की विफलता का परिणाम 1.30 करोड़ रू. के अधिक व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 8.7)

लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इकाइयों के पंजीकरण की अनिवार्यता सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसका परिणाम 2003-04 से 2005-06 के दौरान ग्रा.रो.सू.का. योजना के

अंतर्गत वित्तपोषित 2538 इकाइयों से 1.33 करोड़ रु. के पंजीकरण शुल्क की अवसूली में हुआ।

(पैराग्राफ 9.2)

शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

करार की शर्तों के अनुसार संरचनात्मक नक्शे तथा सामग्री उपलब्ध कराने में दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से देरी एवं जनवरी 2006 के बाद निष्क्रियता का परिणाम 1.91 करोड़ रु. की निधियों के अवरोधन तथा सभा केन्द्र के निर्माण में तीन वर्षों के विलम्ब में हुआ।

(पैराग्राफ 11.1)

भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण सैस अधिनियम 1996 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, ठेकेदारों के बिलों से सैस की कटौती करने तथा दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में 67.48 लाख रु. का प्रेषण करने में विफल रहा। सैस का प्रेषण न करने के कारण प्राधिकरण 68.16 लाख रु. तक के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी था।


(पैराग्राफ 11.2)

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ग्राहकों से जुलाई 1997 से सितम्बर 2004 के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने हेतु स्टेडियम प्रदान करने के लिए कम सेवा कर वसूलने का परिणाम कर जमा कराने हेतु इसकी अपनी निधियों में से 25.56 लाख रु. का व्यय करने में हुआ। इसे सेवा कर देरी से जमा कराने के कारण 38.09 लाख रु. का ब्याज अदा करना पड़ा। कुल अनियमित व्यय 63.65 लाख रु. था।

(पैराग्राफ 12.2)



अध्याय I : सामान्य

1.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए, निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971(अधिनियम) की धारा 19(2) के अन्तर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों तथा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति वार्षिक लेखाओं के प्रमाणन के साथ-साथ धन की उपयोगिता की लेखापरीक्षा की है।

31 मार्च 2006 को 259 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे, जिनके वार्षिक लेखे अधिनियम की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे।

2005-06 के दौरान, संघ सरकार द्वारा 251 स्वायत्त निकायों को क्रमशः 13222.69 करोड़ रु. तथा 175.47 करोड़ रु. राशि के अनुदान तथा ऋण जारी किए गए थे (परिशिष्ट-I)। इनमें से, 5257.28 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 39.76 प्रतिशत) राशि के अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 92 शैक्षिक संस्थानों को संवितरित किए गए थे, 1007.59 करोड़ रु. (7.62 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थानों को संवितरित किये गये थे, 438.95 करोड़ रु. (3.32 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 7 स्वायत्त निकायों को संवितरित किये गये थे और 252.42 करोड़ रु. (1.91 प्रतिशत) संस्कृति मंत्रालय द्वारा 31 स्वायत्त निकायों को संवितरित किए गए थे।

8 निकायों के सम्बन्ध में 2005-06 की सूचना को सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था; इस प्रकार, उनके द्वारा जारी किए गए सरकारी अनुदानों की राशि के विवरण दिसम्बर 2006 तक उपलब्ध नहीं थे (परिशिष्ट-II)।

1.1.1 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2006 को, 214 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिन्हें संघ सरकार द्वारा अनुदानों/कर्जों से पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित किया गया था तथा अधिनियम की धारा 14(1)/14(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति धन के उपयोग की लेखापरीक्षा की है।

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

2005-06 के दौरान, इन निकायों को संघ सरकार ने 2966.65 करोड़ रु. की राशि के अनुदान/ऋण प्राप्त किए गए थे (परिशिष्ट-III)। इन निकायों के वार्षिक लेखे सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित किए गये हैं।

1.1.2 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब


सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने की अवधि के भीतर अपने लेखे तैयार कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

वर्ष 2004-05 के लिए 255 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत की जानी थी तथा ये लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2005 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से, 81 स्वायत्त निकायों के लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन महीनों की निर्धारित सीमा के भीतर लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए थे। शेष 174 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ जैसा नीचे दर्शाया गया है :

एक माह तक का विलम्ब	46
एक माह से अधिक तथा तीन माह तक का विलम्ब	56
तीन माह से अधिक तथा छः माह तक का विलम्ब	40
छः माह से अधिक विलम्ब	24
दिसम्बर 2006 तक लेखे/सूचना प्राप्त नहीं हुए	08
योग	174

लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की सीमा

विलम्बित लेखाओं की कुल संख्या : 174



- एक माह तक का विलम्ब
- एक माह से अधिक तथा तीन माह तक विलम्ब
- तीन माह से अधिक तथा छः माह तक का विलम्ब
- छः माह से अधिक विलम्ब
- दिसम्बर 2006 तक लेखे/सूचना प्राप्त नहीं हुए

परिशिष्ट-IV में उन स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन माह से छः माह के बीच तथा छः माह से अधिक विलम्बित थे, की स्थिति दिखाई गई है। उन निकायों जिनके लेखे दिसम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुए, की सूची **परिशिष्ट-V** में दी गई है।

1.1.3 लेखाओं के प्रस्तुतीकरण का बकाया :

कुछ स्वायत्त निकायों ने पूर्व वर्षों के लेखे भी प्रस्तुत नहीं किए हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	संगठन का नाम	वर्ष
1.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	1993-94 से आगे
2.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली	1999-2000 से आगे

1.2 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

धारा 19(क)(2) में सम्मिलित प्रावधानों तथा धारा 20(1) के अंतर्गत सौंपी गई लेखापरीक्षा के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं और उसी अधिनियम की धारा 19(2) तथा धारा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। बहुत से केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में असामान्य विलम्ब हुआ है। 31 अक्टूबर 2006 तक, 26 निकायों के 47 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

पर नहीं रखे गए हैं। विलम्ब के मामलों का ब्यौरा परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब ने सम्बन्धित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सूचना से संसद के दोनों सदनों को वंचित रखा।

1.3 उपयोग प्रमाणपत्र

1976 में लेखाओं के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए थे उस पर उनका उचित उपयोग किया गया, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा-नियंत्रकों को अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे। मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 14595.33 करोड़ रु. की राशि के मार्च 2006 तक देय (जिस वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी की गई थी के 12 महीनों के उपरान्त) कुल 37428 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति दर्शाने वाला मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-VII में दिया गया है। संस्कृति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी विभाग को छोड़कर) मंत्रालयों ने बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की सूचना प्रस्तुत नहीं की।

मार्च 2006 की समाप्ति पर 12693.61 करोड़ रु. की राशि के कुल 32187 उपयोगिता प्रमाणपत्र जो 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित थे, में से 7151.27 करोड़ रु. की राशि के 26296 प्रमाणपत्र मार्च 2004 तक जारी अनुदानों से सम्बन्धित थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

31 मार्च 2006 तक बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(करोड़ रुपयों में)

क्र. संख्या	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2005 को समाप्त अवधि के लिए		मार्च 2004 को समाप्त अवधि के लिए	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता	1730	4641.99	1395	3295.12
2.	स्वास्थ्य	1927	2283.12	1531	1339.23
3.	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	3550	1501.84	2300	484.85
4.	परिवार कल्याण	1340	1266.26	938	372.64
5.	पर्यावरण तथा वन	7546	922.48	6668	780.19
6.	युवा मामले तथा खेलकूद	8653	535.82	7017	307.59
7.	सूचना प्रौद्योगिकी	431	466.31	240	180.91
8.	समुद्री विकास	894	394.69	737	100.47
9.	महिला एवं बाल विकास	6036	342.19	5428	243.93
10.	आवास एवं गरीबी उन्मूलन	80	338.91	42	46.34
योग		32187	12693.61	26296	7151.27

इस प्रकार, सांविधिक निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करने से पूर्व सरकार के प्राधिकरणों ने कुल जारी किए गए अनुदानों की 56 प्रतिशत राशि से संबंधित 82 प्रतिशत मामलों में अनुदानों के उपयोग के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट नहीं किया।

यद्यपि बड़ी संख्या में उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति लम्बित थी, निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने पिछले वर्षों में जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाणपत्रों के लिए आग्रह किए बिना 2005-06 के दौरान दोषी सांविधिक निकायों/गैर-सरकारी संगठनों को नए अनुदान जारी किए:

2005-06 के दौरान जारी किए गए नए अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	देय उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	पिछले वर्ष के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना जारी किए गए नए अनुदानों की राशि
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13	10.40	34.62
2.	अण्डमान व निकोबार प्रशासन	5	0.53	2.30
3.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, विधि न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय	294	19.13	5.10
4.	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	10	41.32	14.70
योग		322	71.38	56.72

अतः मंत्रालयों ने यह सुनिश्चित किए बिना कि पूर्व अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को, नए अनुदान जारी करके आगे की किश्तों को जारी करने की आवश्यक शर्तों में से एक सारभूत शर्त का उल्लंघन किया।

अध्याय II : कृषि मंत्रालय

राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव

2.1 क्षेत्रीय छात्रावास का अनुपयोग

राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड की अनिर्णायकता के कारण क्षेत्रीय छात्रावास के निर्माण की पूर्णता से तेरह वर्षों के पश्चात भी अप्रयुक्त रहना जारी है जिससे 42.54 लाख रु. का व्यय निष्फल हो रहा है।

राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (बोर्ड) गुड़गांव ने, स्टाफ के लिए अस्थायी आवास तथा बोर्ड में आगन्तुक क्षेत्रीय कर्मचारियों हेतु अतिथि गृह के रूप में प्रयोग करने के लिए मार्च 1993 में 39.58 लाख रु. की लागत पर बोर्ड के परिसर में एक क्षेत्रीय छात्रावास का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त, गर्म पानी की प्रणाली के प्रतिष्ठापन, छात्रावास का सुसज्जित करने तथा आबंटन नियमों के बनाने हेतु परामर्शदाता को भुगतान पर 2.96 लाख रु. व्यय किए गए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित पता चला:

- यद्यपि छात्रावास, स्टाफ के लिए अस्थायी आवास तथा आगन्तुक क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए अतिथि गृह के रूप में प्रयोग किया जाना अभिप्रेत था, बोर्ड की प्रबन्ध समिति ने, कार्यालय परिसर के समीप आवास प्राप्त करने में स्टाफ द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय छात्रावास को स्टाफ क्वार्टर के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया (मार्च 1993) तथा आबंटन नियम का मसौदा बनाने के लिये एक परामर्शदाता नियुक्त किया।
- नवम्बर 1993 में, प्रबन्ध समिति ने पुनः अपना निर्णय परिवर्तित कर दिया तथा निदेश दिया कि केवल छात्रावास नियम बनाए जाने की आवश्यकता थी। छात्रावास नियम मंत्रालय द्वारा नवम्बर 1995 में अनुमोदित किए गए। नियमों में आगन्तुक वैज्ञानिकों, संसाधन व्यक्तियों, कार्यान्वयन अभिकरणों तथा अन्य सरकारी अतिथियों को छात्रावास में आवास देने हेतु प्रावधान था।
- छात्रावास अप्रयुक्त रहा तथा सितम्बर 2000 में छात्रावास के एक ब्लॉक को 2 लाख रु. की प्रक्षेपित लागत पर नवीकरण के पश्चात कार्यकारी निदेशक के निवास में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया। चूँकि मंत्रालय ने, नवीकरण हेतु केवल एक लाख रु. की राशि संस्वीकृत की थी, नवीकरण कार्य इस

विचार से त्याग दिया गया कि संस्वीकृत राशि से क्षेत्रीय छात्रावास का उच्चीकरण संभव नहीं था।

बोर्ड के सचिव ने सूचित किया (दिसम्बर 2005) कि क्षेत्रीय छात्रावास को मितव्ययी ढंग से प्रयोग करने हेतु प्रस्ताव मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया (जून 2006) कि बोर्ड ने शीघ्र ही प्रशिक्षण गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव किया है तथा क्षेत्रीय छात्रावास अंशतः कार्यकारी निदेशक हेतु निवास के रूप में तथा अंशतः प्रशिक्षणों/अतिथियों हेतु आवास के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

क्षेत्रीय छात्रावास के प्रयोग के विषय में बोर्ड के अवर्णनीय विलम्ब तथा इसके निर्माण की पूर्णता के 13 वर्ष पश्चात इसकी निरन्तर रिक्तता 42.54 लाख रु. के व्यय के निष्फल बनाने के अतिरिक्त छात्रावास की आवश्यकता के विषय में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है।

अध्याय III : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

मसाला बोर्ड, कोच्ची

3.1 सेवा कर की अवसूली के कारण हानि

मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यातकों/व्यापारियों से मसालों की गुणवत्ता की जांच हेतु वसूले गए प्रभारों पर सेवा कर की वसूली नहीं की। परिणामस्वरूप बोर्ड को अपने स्रोत से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को 50.72 लाख रु. का सेवा कर अदा करना पड़ा।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68/69 अनुबंध करती है कि कर योग्य सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति/प्रतिष्ठान निर्धारित दर पर सेवा कर का भुगतान करने का उत्तरदायी है और ऐसे व्यक्ति/प्रतिष्ठान के अधिकार क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से पंजीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है।

मसाला बोर्ड (बोर्ड) द्वारा मसाला निर्यातकों/व्यापारियों से कोच्ची स्थित अपनी गुणवत्ता प्रयोगशाला में मसालों की गुणवत्ता की जांच हेतु वसूले गए प्रभारों पर 1 जुलाई 2003 से सेवा कर देय था। किन्तु बोर्ड, निर्यातकों/व्यापारियों से सेवा कर की वसूली अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को देय कर का प्रेषण नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2005 में मामला इंगित किए जाने के उपरान्त ही बोर्ड ने मामला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समक्ष उठाया। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर बोर्ड ने फरवरी 2006 में 1 जुलाई 2003 से 31 दिसम्बर 2005 की अवधि के लिए सेवा कर (47.13 लाख रु.), विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज (2.88 लाख रु.) तथा शिक्षा शुल्क (0.71 लाख रु.) के प्रति 50.72 लाख रु. प्रेषित किए। संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना तथा सेवा प्राप्त करने वालों से सेवा कर की उगाही करने में बोर्ड की असफलता का परिणाम बोर्ड को 50.72 लाख रु. की हानि तथा मसाला निर्यातकों/व्यापारियों को अदेय लाभ में हुआ।

बाद में, बोर्ड ने जुलाई 2006 में गुणवत्ता जांच हेतु निर्यातकों/व्यापारियों/ सेवा प्राप्त करने वालों से वसूले गए प्रभारों पर लागू दरों से सेवा कर की उगाही हेतु आदेश जारी किए।

मामला जुलाई 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर अक्टूबर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय IV : उपभोक्ता कार्य मंत्रालय

भारतीय मानक ब्यूरो

4.1 परिहार्य हानि

भारतीय मानक ब्यूरो की संशोधित अंकन शुल्क को सरकारी गजट में अधिसूचित व प्रकाशित करवाने में विफलता के कारण 1.63 करोड़ रु. की हानि हुई।

भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.), संबंधित भारतीय मानक के अनुसार वस्तुओं के लगातार उत्पादन की किसी-उत्पादनकर्ता की क्षमता को सुनिश्चित करने के उपरान्त उत्पादनकर्ताओं को अपने मानक चिह्न का प्रयोग करने हेतु लाइसेन्स प्रदान करता है। ऐसा लाइसेन्स प्रदान करने हेतु भा.मा.ब्यू. उत्पादनकर्ता से अंकन शुल्क, जिसे भा.मा.ब्यू. द्वारा निर्धारित किया जाता है, की वसूली करता है तथा उसके बाद सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। केन्द्रीय चिह्न विभाग (के.चि.वि.) द्वारा समय-समय पर अंकन का पुनरावलोकन तथा संशोधन, विस्तृत आधार व शुल्क निर्धारित करने हेतु दिशानिर्देश निकाले जाने होते हैं। भा.मा.ब्यू. के उत्पाद प्रमाणीकरण हेतु परिचालन नियमावली का पैरा 2.5.3 प्रावधान करता है कि के.चि.वि. आवधिक रूप से एवं तीन वर्षों में कम से कम एक बार विभिन्न उत्पादों के लिए निर्धारित अंकन शुल्क की समीक्षा करेगा तथा संशोधित अंकन शुल्क इसके लागू होने की तिथि सहित शाखा अधिकारी (शा.अ.)/क्षेत्रीय अधिकारी (क्षे.अ.) को सूचित करेगा। शा.अ. सभी संबंधित लाइसेन्स धारकों को निर्धारित प्रपत्र में योजना के बारे में सूचित करेगा तथा संशोधित अंकन शुल्क के लागू होने की तिथि से पहले लाइसेन्स धारकों से निर्धारित प्रपत्र में स्वीकृति ली जाएगी। लाइसेन्स धारक द्वारा संशोधित अंकन शुल्क के बारे में अपनी स्वीकृति देने अथवा वांछित संशोधित अंकन शुल्क जमा कराने में असफल होने पर उनका लाइसेन्स रद्द करने हेतु संसाधित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (फरवरी 2004) कि भा.मा.ब्यू. ने भां.मा. 10914 भाग-II ट्रक/बस और हल्के टायर और भा.मा. 10914 भाग-III सवारी कार टायर का अंकन शुल्क अगस्त 1994 से संशोधित कर दिया था और सभी शा.अ./क्षे.अ. को परिचालित कर दिया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

भा.मा. 10914 भाग-II ट्रक/बस और हल्के टायर	
संशोधन पूर्व शुल्क	संशोधित शुल्क
पहली 25000 इकाईयों के लिए 3.00 रु. प्रति टायर	ब.पै. हेतु न्यूनतम 1,00,000 रु. तथा छो.पै. हेतु 90,000 रु. सहित 2.00 रु. प्रति इकाई
अगली 25000 इकाईयों के लिए 2.00 रु. प्रति टायर	
बाकी इकाईयों के लिए 1.00 रु. बड़े पैमाने (ब.पै.) हेतु न्यूनतम 80,000 रु. तथा छोटे पैमाने (छो.पै.) हेतु 50,000 रु.	

भा. मा. 10914 भाग-III सवारी कार टायर	
सभी इकाईयों के लिए 1.00 रु. प्रति इकाई	ब. पै. हेतु न्यूनतम 80,000 रु. तथा छो.पै. हेतु 70,000 रु. सहित 2.00 रु. प्रति इकाई
ब.पै. हेतु न्यूनतम 50,000 रु. तथा छो. पै. हेतु 35,000 रु.	

यद्यपि भा.मा.ब्यू ने अंकन शुल्क अगस्त 1994 में संशोधित कर दिए थे, ये दरें कभी भी राजपत्रित नहीं हुईं। प्रबन्धन ने पुनः संशोधित दर सरकारी गजट में अधिसूचित व प्रकाशित की (जुलाई 2005)। जुलाई 2004 में भा.मा.ब्यू की वित्तीय समिति ने भी 1994 में निर्धारित किए गए अंकन शुल्क को गजट में प्रकाशित करने की संभावना का अन्वेषण किया था। किन्तु भारत के अतिरिक्त महा प्रतिवक्ता ने बताया कि भा.मा.ब्यू अंकन शुल्क की बढ़ी हुई दर को उसके सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से वसूलने का हकदार होगा। अधिसूचना में अनुचित विलम्ब के कारण भा.मा.ब्यू संशोधित दरों पर अंकन शुल्कों की वसूली नहीं कर सका जो अगस्त 1994 से जुलाई 2005 तक की अवधि के दौरान कुल 1.63 करोड़ रु. हो गए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में भा.मा.ब्यू ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2005) तथा 1994 में निर्धारित अंकन शुल्क की दरों को गजट में प्रकाशित न करने/गजट में प्रकाशन हेतु स्वीकृति न लेने के मामले का उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने के लिए छानबीन की। उसने यह भी बताया कि सामूहिक उत्तरदायित्व सेवानिवृत्त हो चुके कुछ अधिकारियों का था। चूंकि गलती एक दशक से अधिक समय से जारी रही थी, भा.मा.ब्यू का कहना कि मामले से संबंधित सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं सही नहीं था।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2006) तथा भा.मा.ब्यू के विचारों का समर्थन किया।

अध्याय V : वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

5.1 प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

संहिता के प्रावधानों के अनुसार मुक्त निविदाओं के आमंत्रण द्वारा दरों की प्रतियोगितात्मकता सुनिश्चित कर एक पत्रिका के मुद्रण का कार्य सौंपने में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की असफलता का परिणाम दिसम्बर 2002 से मार्च 2006 के दौरान 34.89 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) की स्थापना बीमा पॉलिसी के धारकों के हितों की सुरक्षा के विचार से हुई थी। इसके कार्यकलापों पर सूचना के प्रचार तथा बीमा उद्योग के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े और अन्य सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने दिसम्बर 2002 से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2005) कि प्राधिकरण ने सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 15(1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसके अनुसार उसे पत्रिका के मुद्रण हेतु कार्य आदेश देने से पूर्व मुक्त निविदाएं आमंत्रित करनी थीं। इसके बजाय इसने सीमित संविदाएं प्राप्त करने के उपरान्त 1 नवम्बर 2002 को प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा जारी पत्र के आधार पर दो प्रतिष्ठानों को पत्रिका के रूपांकन एवं मुद्रण का कार्य प्रदान किया। प्राधिकरण ने प्रतिष्ठानों के साथ करार के निबन्धन और शर्तों को विनिर्देशित करने वाला कोई अनुबंध नहीं किया। प्राधिकरण इन प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा प्रभारित दरों के औचित्य का किसी भी स्तर पर मूल्यांकन किए बिना नवम्बर 2002 से लगातार नियुक्त कर रहा है। प्राधिकरण ने इन प्रतिष्ठानों को 48 पृष्ठों (लगभग) की पत्रिका की 1750 प्रतियों की औसत संख्या के रूपांकन व मुद्रण के लिए दिसम्बर 2002 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान 80.20 लाख रु. अदा किए।

लेखापरीक्षा द्वारा नई दिल्ली में स्थित एक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय¹ द्वारा इसी प्रकार के प्रकाशनों के मुद्रण के संदर्भ में पत्रिका के रूपांकन एवं मुद्रण की लागत के औचित्य के मूल्यांकन हेतु एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इससे प्रकट हुआ:

¹ केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, जनकपुरी, नई दिल्ली

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

पत्रिका का नाम/ माह	प्रति पत्रिका पृष्ठों की संख्या		प्रति पत्रिका पृष्ठों की कुल संख्या	कागज की गुणवत्ता	प्रतियों की संख्या	पृष्ठों की कुल संख्या	रूपांकन, प्रक्रिया, प्रकाशन मुद्रण और जिल्द चढ़ाई की लागत (लाख रु. में)	प्रति पृष्ठ लागत (रूपये में)
	एक रंग	चार रंगों की प्रक्रिया और मुद्रण						
समाचार पत्र (के.यू. औ.अ.प. की एक द्विमासिक पत्रिका) (सितम्बर-अक्तूबर 2005)	-	28	28	आवरण और पृष्ठों दोनों के लिए आयातित कला कागज 130 जी, एस.एम.	5000	1,40,000	1.71	1.22
के.यू.औ.अ.प. द्वारा प्रकाशित भारत में यूनानी औषधि (मार्च 2006)	-	36	36	पृष्ठों के लिए 170 जी.एस.एम. और आवरण के लिए 210 जी.एस.एम. आयातित कला कागज	3000	1,08,000	1.77	1.63
आई.आर.डी.ए. द्वारा प्रकाशित आई.आर.डी.ए. पत्रिका (सितम्बर 2005)	22	26	48	पृष्ठों के लिए रॉयल मैट कागज 100 जी. एस.एम. और आवरण के लिए 220 जी.एस. एम. रॉयल मैट कार्ड	1750	84,000	1.82	2.16

इस प्रकार विषय पृष्ठ के लिए 100 जी.एस.एम. कागज और आवरण पृष्ठ के लिए 220 जी.एस.एम. कागज पर एक रंग और चार रंगों की छपाई हेतु प्राधिकरण द्वारा अदा किए 2.16 रु. प्रति पृष्ठ की लागत के प्रति नई दिल्ली आधारित केन्द्रीय स्वायत्त संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका (समाचार पत्र) में उच्चतर गुणवत्ता वाले कागज (आवरण और विषय पृष्ठों दोनों के लिए 130 जी.एस.एम.) के इस्तेमाल तथा चार रंगों की छपाई के बावजूद प्रति पृष्ठ लागत केवल 1.22 रु. परिकल्पित की गई थी। उसी नई दिल्ली आधारित स्वायत्त निकाय द्वारा ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले कागज का इस्तेमाल करके एक अन्य पत्रिका (भारत में यूनानी औषधि) की मुद्रण लागत सिर्फ 1.63 रु. प्रति पृष्ठ थी। यद्यपि नई दिल्ली आधारित केन्द्रीय स्वायत्त निकाय द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले कागज का इस्तेमाल कर पत्रिका के मुद्रण की लागत सिर्फ 1.22 रु. प्रति पृष्ठ थी, प्राधिकरण द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले कागज के इस्तेमाल पर 77 प्रतिशत अधिक (2.16 रु. प्रति पृष्ठ) व्यय किया गया। इस आधार पर दिसम्बर 2002 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान 34.89 लाख रु. का कुल अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्राधिकरण ने खुली निविदाएं/निविदा दरों को आमंत्रित किए बिना कार्य आदेश देने को स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2005) कि अनुबन्ध तब दिया गया था जब

प्राधिकरण आरम्भिक चरण पर था और उसके पास संविदा प्रक्रिया का संचालन, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन आदि हेतु कोई आन्तरिक निपुणता या आवश्यक संसाधन/अवसररचना नहीं थी और पत्रिका को जल्द से जल्द प्रकाशित करने का उद्देश्य था। उसने यह भी बताया कि मूल्य को स्थिर रखते हुए नवम्बर 2002 से सितम्बर 2005 के दौरान दो प्रतिष्ठानों को कार्य सौंपा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पत्रिका का मुद्रण एक निरन्तर प्रक्रिया है और यदि नवम्बर 2002 में आरम्भिक चरण पर निविदाओं का आमंत्रण सम्भव नहीं था तो आगामी वर्षों में प्रतियोगितात्मक दरों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए थी। प्राधिकरण की दलील कि कीमत स्थिर रखी गई थी अप्रासंगिक थी क्योंकि इन दरों का कोई पारदर्शी आधार नहीं था। सा.वि.नि. के अनुसार निविदाओं का आमंत्रण आवश्यक था और उसी प्रतिष्ठान को बार-बार कार्य आदेश देकर प्राधिकरण ने सर्वाधिक मितव्ययी विकल्प को चुनने का अवसर खोया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने प्राधिकरण के उक्त विचारों का समर्थन करते हुए तर्क दिया (जनवरी 2007) कि प्राधिकरण की पत्रिका की यूनानी औषध के समाचार पत्र इत्यादि के साथ तुलना प्रासंगिक नहीं होगी क्योंकि जहां लक्षित पाठकों में समुद्र पार के पेशेवर तथा प्रतिष्ठित विनियामक निकाय शामिल थे वहां प्रकाशक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक बनाए रखना आवश्यक था। इसने यह भी बताया कि पूरी योजना की समीक्षा की गई थी और नवम्बर 2006 में निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त कार्य प्रतिस्पर्धात्मक बोलीदाता को प्रदान किया जा रहा था। मंत्रालय ने यह भी तर्क दिया कि अन्य संस्थाओं द्वारा उसी मुद्रक से समाचार पत्र जैसी सामग्री प्रकाशित करवाने में व्यय की लागत के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रति पृष्ठ लागत 1.02 रु. से 4.17 रु. के बीच थी। इस संदर्भ तथा तथ्य अनुरूप विचार किया गया था कि प्रति पृष्ठ की लागत कागज के आकार और उसकी गुणवत्ता के अतिरिक्त, मुद्रित प्रतियों की संख्या, ग्राफिक्स, इस्तेमाल किए गए रंगों की संख्या इत्यादि पर निर्भर थी, प्रकाशक द्वारा प्राधिकरण से प्रभारित की गई 2.16 रु. प्रति पृष्ठ की लागत तर्कसंगत लगती थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा रूपांकन व प्रकाशन की लागत के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि यूनानी औषध समाचार पत्र इत्यादि में इस्तेमाल हुए कागज की गुणवत्ता प्राधिकरण की पत्रिका में इस्तेमाल हुए कागज से कहीं अधिक उच्च थी। अतः तथ्य यह है कि प्रतिस्पर्धात्मक बोलीदाता को कार्य प्रदान न करने के कारण प्राधिकरण ने दिसम्बर 2002 से मार्च 2006 के दौरान 34.89 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड

5.2 अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप अपव्यय

भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड के केन्द्रीय सूचीकरण प्राधिकरण की औपचारिक स्थापना के बिना इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति के अविवेकपूर्ण निर्णय का परिणाम 2003-05 के दौरान इनके वेतन एवं भत्ते तथा कार्यालय व्यय आदि पर 43.73 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) ने अपनी 9 अप्रैल 2003 की प्रैस विज्ञप्ति में, शेयर बाजारों में सूचीकरण आवेदनों की संवीक्षा में उचित तत्परता प्रक्रिया के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने और सूचीकरण समझौते को गतिशील करने के उद्देश्य से, भा.प्र.वि.बो. (के.सू.प्रा.) विनियम 2003 के विनियम 3 के अंतर्गत केन्द्रीय सूचीकरण प्राधिकरण (के.सू.प्रा.) को स्थापित करने की घोषणा की थी। इन विनियमों के अनुसार, के.सू.प्रा. में 11 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या नौ से अधिक नहीं होगी। विनियम यह भी अनुबंध करते थे कि भा.प्र.वि.बो. द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से यह माना जाएगा कि के.सू.प्रा. को अपने कार्यों और शक्तियों, जैसा कि उनमें विनिर्दिष्ट है, को प्रत्यायोजित किया गया है। इन विनियमों के अनुसार के.सू.प्रा. को शेयर बाजार पर प्रतिभूति के निर्गमन तथा सूचीकरण के लिए आवेदनों की प्राप्ति एवं प्रक्रिया के कार्यों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किन्हीं अन्य कार्यों को निष्पादित करना था। तथापि, भा.प्र.वि.बो. ने अपनी 14 मई 2003 की प्रैस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि के.सू.प्रा. की स्थापना की तिथि के उल्लिखित होने के समय तक सभी सूचीकरण आवेदनों को सीधे शेयर बाजार को भेजा जाए जो इन सूचीकरण आवेदनों के साथ-साथ लंबित सूचीकरण आवेदनों पर, जैसा कि अब तक वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा था, विचार करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2005) कि यद्यपि भा.प्र.वि.बो. ने के.सू.प्रा. के स्थापना की तिथि अधिसूचित नहीं की थी लेकिन उसने जनवरी 2004 में इसके हेतु 1.20 लाख रु. प्रतिमाह के वेतन पर तीन वर्षों के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु.का.अ.) नियुक्त कर लिया था तथा 3 मई 2004 से सहायक कर्मचारी के रूप में भा.प्र.वि.बो. से पांच अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया था। चूंकि के.सू.प्रा. की स्थापना की तिथि अधिसूचित नहीं हुई थी, यह अक्रियाशील रहा तथा मु.का.अ. एवं अन्य सहायक कर्मचारी कोई सरकारी कार्य निष्पादित नहीं कर सके। परिणामतः 2003-05 के दौरान उनके वेतन, यात्रा, कार्यालय व्यय आदि पर किया गया 43.73 लाख रु. का व्यय अपव्यय था। यह भी पाया गया कि मार्च 2004 में भा.प्र.वि.बो. के आन्तरिक विचार-विमर्श के दौरान, इसके विधिक कार्य विभाग ने के.सू.प्रा. के स्वतंत्र प्रचालन तथा विधिक स्थिति के विषय में कुछ सन्देशों को उठाया था। इसके आगे यह भी पाया गया

किं भा.प्र.वि.बो. के प्रमुख ने टिप्पणी की थी (मार्च 2006) कि प्रस्तावित 23 क्षेत्रीय विनिमय केन्द्रों के खुलने को ध्यान में रखते हुए के.सू.प्रा. की आवश्यकता नहीं होगी।

इस प्रकार के.सू.प्रा. के औपचारिक रूप से स्थापित किए बिना मु.का.अ. तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से भा.प्र.वि.बो. के निर्णय का परिणाम 43.73 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने पुष्टि की (अक्टूबर 2006) कि के.सू.प्रा. ने कोई कार्य निष्पादित नहीं किया था क्योंकि इसकी स्थापना की तिथि अधिसूचित नहीं हुई थी। उसने आगे यह भी बताया (जून 2006) कि के.सू.प्रा. में मु.का.अ. अक्टूबर 2004 तक थे। उसने यह भी बताया (जुलाई 2006) कि भा.प्र.वि.बो. से प्रतिनियुक्त पांच अधिकारियों को 22 नवम्बर 2004 से प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। उसने यह भी बताया कि मु.का.अ./सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के.सू.प्रा. के स्थापना प्रक्रिया में सहायता के लिए आवश्यक थी और ये अधिकारी के.सू.प्रा. के अधिनियम और अन्य परिचालन गतिविधियों के मसौदा के प्रारम्भिक कार्यों में शामिल थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भा.प्र.वि.बो. को के.सू.प्रा. को स्थापित करने के पहले उससे जुड़े विभिन्न विधिक एवं प्रशासनिक निहितार्थों पर विचार तथा उनका हल कर लेना चाहिए था।

इस प्रकार भा.प्र.वि.बो. का के.सू.प्रा. की स्थापना तथा उसके बाद मु.का.अ. एवं उनके सहायक कर्मचारियों की समय पूर्व नियुक्ति के निर्णय का परिणाम 43.73 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

अध्याय VI : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

6.1 अप्राधिकृत व्यय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय संस्वीकृति की शर्त का पालन न करने का परिणाम सड़कों की मरम्मत पर एक करोड़ रुपये के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), नई दिल्ली ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अ.मु.वि.) के विरासत के भवनों की विशेष मरम्मत एवं रखरखाव के लिए (जनवरी 2004) एक करोड़ रु. का एक मुश्त विशेष अनुदान इस विशिष्ट शर्त के साथ संस्वीकृत किया था कि एक मुश्त विशेष सहायता के लिए चिह्नित निधि को 31 मार्च 2004 तक उपयोग कर लिया जाए तथा किसी दूसरे उद्देश्य हेतु विपथित न किया जाए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2005) से पता चला कि एक करोड़ रु. की सम्पूर्ण धनराशि अ.मु.वि. के विरासत के भवनों की विशेष मरम्मत एवं रखरखाव के स्थान पर 20 सड़कों की मरम्मत पर अप्राधिकृत रूप से उपयोग की गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में अ.मु.वि. ने बताया (सितम्बर 2005) कि चूँकि अनुदान वित्तीय वर्ष 2003-04 के बिल्कुल अन्त में संस्वीकृत हुआ था तथा उसे उसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना था इसलिए धनराशि को विश्वविद्यालय की विभिन्न सड़कों की मरम्मत पर व्यय किया गया जो कि भवनों के ही भाग थे। विश्वविद्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि का सड़कों की मरम्मत हेतु भुगतान करने की बजाय विरासत भवनों के परिरक्षण एवं मरम्मत हेतु अनुदान के उपयोग के लिए समयवृद्धि की मांग करनी चाहिए थी।

इस प्रकार, विरासत भवनों की मरम्मत एवं परिरक्षण हेतु एक मुश्त विशेष अनुदान संस्वीकृत करने का उद्देश्य विफल रहा क्योंकि अनुदान को अप्राधिकृत रूप से विभिन्न सड़कों की मरम्मत पर व्यय किया गया था।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

6.2 अग्रिम वेतन वृद्धियों की अनियमित अनुमति

मंत्रालय के विशिष्ट आदेशों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नौ कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की। इसका परिणाम 10.04 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (परिषद) की योजना एवं प्रशासनिक समिति (यो.प्र.स.) की जुलाई 1971 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में परिषद ने अपने उन कर्मचारियों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परिषद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से अवगत होने के बाद, टिप्पणी की (नवम्बर 1998) कि अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करना अनियमित था और ऐसी वेतन वृद्धियों को वापस लेने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2005) कि हालांकि परिषद ने उन कर्मचारियों, जिन्होंने नवम्बर 1988 के बाद पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की थी, को अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ देना बन्द कर दिया था, इसने, इस तिथि से पहले उपाधि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे अनियमित लाभों को वापिस नहीं लिया था। पांच कर्मचारियों को अगस्त 1983 से अग्रिम वेतन वृद्धियां अदा की जा रही थी। इसके अतिरिक्त जुलाई 1992 में हुई परिषद की यो.प्र.स. ने अपनी बैठक में उन कर्मचारियों, जिन्होंने परिषद में अपनी सेवा के दौरान पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की थी, को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया था लेकिन परिषद द्वारा वित्तीय अभावों का सामना करने के कारण, इस निर्णय को लागू करना विलम्बित किया गया। परिषद के इस निर्णय से अवगत होने के बाद मंत्रालय ने उसे विशेष तौर पर निर्देश दिया (अगस्त 1992) कि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निर्णय लागू न करे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निर्देशों के बावजूद, परिषद ने सरकार की अनुमति के बिना 15 नवम्बर 1994 से उन सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने नवम्बर 1988 के बाद पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की थी, को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की थी। ऐसे चार कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ दिया गया था। इस प्रकार, नौ कर्मचारियों को अनियमित अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने का परिणाम अगस्त 1983 से जुलाई 2006 तक की अवधि के लिए 10.04 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ।

लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2006) कि वह परिषद को अनियमित अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदत्त करने हेतु अदा की गई राशि की वसूली के लिए पहले ही अनुरोध कर चुका था। उसने परिषद को उन परिस्थितियों, जिनमें

अनियमितता हुई थी, को सुनिश्चित करने तथा चूकों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कहने का भी निर्णय लिया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

6.3 त्रुटिपूर्ण अधिप्राप्ति नियोजन के परिणामस्वरूप उपकरण की निष्क्रियता

उपकरण के संस्थापन को अंतिम रूप दिए बिना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा इसकी अधिप्राप्ति उपकरण तथा इसकी खरीद पर 56.87 लाख रु. के निवेश के दो वर्षों से अधिक के लिए निष्क्रियता का कारण बनी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (भा.प्रौ.सं.दि.) ने अपने रसायन विज्ञान विभाग के लिए 56.87 लाख रु. की लागत की उच्च निष्पादन डिजिटल एन.एम.आर. स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद के लिए एक विदेशी प्रतिष्ठान को आदेश दिया (मार्च 2004)। उपकरण भा.प्रौ.सं.दि. में जुलाई 2004 में प्राप्त हुआ। उपकरण की वारंटी अवधि संस्थापन की तिथि से 12 महीने या लदान की तिथि (जुलाई 2004) से 15 महीने, जो भी पहले हो, थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2005) कि जगह की अनुपलब्धता के कारण उपकरण भा.प्रौ.सं.दि. में अपनी अधिप्राप्ति के बाद से बिना संस्थापन के पड़ा रहा था। वारंटी अक्टूबर 2005 में समाप्त हो गई थी। इसके संस्थापन हेतु स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना उपकरण का क्रय त्रुटिपूर्ण नियोजन को इंगित करता था। जिसका परिणाम मई 2006 तक डेढ़ वर्षों से अधिक के लिए 56.87 लाख रु. के निवेश की निष्क्रियता में हुआ। इसके अतिरिक्त वारंटी के समाप्त हो जाने के कारण, इसके संस्थापन के बाद यदि उपकरण में भण्डारण के दौरान कोई क्षति पाई जाती है या यह अपने विनिर्देशन के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करता है तो भा.प्रौ.सं.दि. को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, भा.प्रौ.सं.दि. ने बताया (मई 2006) कि कम्पनी के अभियन्ता के इंगित करने के बाद कि मशीन को भूमितल पर ही संस्थापित किया जाना चाहिए, उपकरण को भूमितल पर प्रयोगशाला में स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा नवीकरण कार्य शुरू किया गया था जो कि पूरा किया जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपकरण के संस्थापन के लिए उपयुक्त जगह का चयन वास्तविक अधिप्राप्ति से पहले ही कर लेना चाहिए था। सितम्बर 2004 में, कम्पनी के अभियन्ता के, भूतल पर उपकरण के संस्थापन का सुझाव दिये जाने के बावजूद भा.प्रौ.सं.दि. ने आठ महीने बाद अर्थात् मई 2005 में जगह का चयन किया। इसने जगह के चयन के बाद उपकरण के संस्थापन हेतु नवीनीकरण कार्य पूरा करने में पहले ही एक वर्ष ले लिया है।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2007) कि मशीन 21 सितम्बर 2006 को संस्थापित कर दी गई थी तथा यह संतोषजनक रूप से कार्य कर रही थी। तथापि, तथ्य यह रहा है कि उपस्कर का संस्थापन में दो वर्षों से अधिक विलम्ब हुआ था तथा त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण वारंटी असंस्थापित अवस्था में ही कालातीत हो गई थी।

6.4 ब्याज की हानि

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को डाकघर की आवधिक जमा योजना के अंतर्गत अपने 114.45 करोड़ रु. के 37 निवेशों पर वार्षिक ब्याज के विलम्बित दावे के कारण 20.13 लाख रु. ब्याज की हानि हुई।

डाकघर आवधिक जमा (डा.आ.ज.) नियमावली, 1981 के अनुसार, आवधिक जमा पर समय-समय पर निर्धारित दर से ब्याज मिलेगा और ऐसा ब्याज जमा की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में जमाकर्ता को देय होगा।

भा.प्रौ.सं.दि. ने डाकघर आवधिक जमा खाते में फरवरी 2002 से जनवरी 2004 की अवधि के बीच पांच वर्षों की अवधि के लिए 37 मामलों में कुल 114.45 करोड़ रु. निवेशित किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.प्रौ.सं.दि. प्रत्येक वर्ष देय तिथियों पर इन निवेशों पर ब्याज का दावा करने में विफल रहा। इसने डाकघर से पांच दिन से लेकर एक वर्ष के बीच की देरी के बाद ब्याज प्राप्त किया जिसका परिणाम प्रत्येक जमा पर लागू त्रैमासिक मिश्रित आधार पर परिकलित 20.13 लाख रु. की राशि के ब्याज की हानि में हुआ। 50,000 रु. अथवा अधिक के ब्याज की हानि के सुस्पष्ट दृष्टांत नीचे सूची में दर्शाए गए हैं। ब्याज की हानि को संबंधित आवधिक जमा खाते पर लागू ब्याज दर को अपना कर निकाला गया है।

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	लेखा सं.	जमा राशि	जिस तिथि को ब्याज देय था	ब्याज की राशि	ब्याज प्राप्ति की वास्तविक तिथि (दिनों में विलम्ब)	ब्याज की हानि जो बचाई जा सकती थी
1	11988	6,25,00,000	31.8.2004	54,84,248	31.8.2005 (365)	4,81,232
2	39122	6,00,00,000	29.11.2004	46,27,800	18.5.2005 (170)	1,66,260
3	39112	10,00,00,000	1.7.2005	77,13,000	13.9.2005 (74)	1,17,280
4	39113	10,00,00,000	26.7.2004	77,13,000	25.9.2004 (61)	96,677
5	39130	4,00,00,000	17.1.2005	30,85,200	18.5.2005 (121)	78,892
6	39109	2,00,00,000	23.1.2004	17,54,800	20.7.2004(178)	75,092
7	39118	2,00,00,000	13.10.2004	15,42,600	18.5.2005 (217)	70,742

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में, भा.प्रौ.सं.दि. ने बताया (जनवरी 2006) कि डाकघर से देय की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डाकघर ने अपने जवाब (अप्रैल 2006) में भा.प्रौ.सं.दि. को स्पष्ट किया था कि नियमानुसार आवधिक जमा लेखों पर ब्याज पर ब्याज प्रदत्त नहीं था। उसने यह भी स्पष्ट किया कि समय से ब्याज के आहरण न करने से, खाताधारक भविष्य के ब्याज के परिकलन के लिए अप्रदत्त ब्याज को मूल धन में जोड़ने का हकदार नहीं थे।

इस प्रकार, भा.प्रौ.सं.दि. को वार्षिक ब्याज के विलम्बित दावे के कारण 20.13 लाख रु. के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2006) कि देय तिथियों और ब्याज के सामयिक आहरण को मॉनीटर करने हेतु अब भा.प्रौ.सं.दि. तथा डाकघर के बीच लगातार संपर्क रखा जा रहा था। उसने यह भी कहा कि संस्थान की निवेश समिति द्वारा अधिशेष निधियों तथा निवेश की सुरक्षा और द्रव्यता के आधार पर निवेश के निर्णय लिए गए थे, और इसलिए आहरित सभी ब्याज नकद प्रवाहों पर निर्भर करते हुए पुनः निवेश करने या न करने योग्य हो सकते हैं। उसने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा ने ब्याज पर ब्याज परिकलित किया था जो मात्र परिकल्पनात्मक था और संस्थान ने डाकघर से निवेश की पूरी अवधि हेतु देय ब्याज प्राप्त किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यदि संस्थान ने समय से ब्याज का दावा किया होता तो इसे अतिरिक्त प्रतिफल सृजित करने हेतु सावधि जमा दरों से भी उच्च दरों पर लाभप्रद तरीके से पुनः निवेशित किया जा सकता था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

6.5 कम्प्यूटरीकृत वेतनपत्रक लेखाकरण प्रणाली में कमियों का परिणाम वेतन, पेंशन के गलत भुगतान और अग्रिम के अनियमित संवितरण में हुआ

- खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 1989 में कर्मचारियों के वेतन की संगणना हेतु घरेलू रूप से विकसित वेतनपत्रक लेखाकरण प्रणाली (वे.ले.प्र.) कार्यान्वित की। प्रणाली की सू.प्रौ. लेखापरीक्षा से विभिन्न कमियां जैसे दस्तावेजीकरण की कमी, उचित अन्तःनिर्मित विधिमान्यकरण जांच की कमी, ऑनलाइन प्रणाली में व्यापार नियमों के असमावेशन के कारण अपर्याप्त डाटा सम्पूर्णता, विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रकट हुई।
- प्रणाली का दस्तावेजीकरण, भौतिक पहुंच नियंत्रण और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा अपर्याप्त थी।
- व्यापार नियमों को शामिल न करने के साथ-साथ उचित इनपुट और विधिमान्यकरण नियंत्रण की कमी का परिणाम वेतन, पेंशन के अधिक/कम भुगतान और अग्रिमों के अनियमित संवितरण में हुआ।

6.5.1 प्रस्तावना

उत्कृष्टता के अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य से 1950 में भारत सरकार द्वारा स्थापित पांच भा.प्रौ.सं. की शृंखला में खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (संस्थान) प्रथम है। संस्थान के पास एक नेटवर्क में जुड़े मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो कम्प्यूटरों और पी.सी. वाली व्यापक कम्प्यूटिंग सुविधा है।

कर्मचारियों के वेतन की संगणना हेतु संस्थान ने 1989 में वेतनपत्रक लेखाकरण प्रणाली (वे.ले.प्र.) लागू की। तत्पश्चात वर्ष 1995 में, प्रणाली को अ.प्रो.उ.¹ इन्टरफेस के साथ साईबेस में रूपांतरित किया गया। वर्ष 2003 में, प्रणाली को अगले-सिरे पर पावर बिल्डर-7 तथा पिछले-सिरे पर साईबेस के साथ आब्जेक्ट आधारित माड्यूल में बदल दिया गया। वेब आधारित प्र.सू.प्र. और व्यक्तिगत सूचना प्रणाली को वी.बी./जावा स्क्रिप्ट और आई.आई.एस. (वेब सर्वर) के साथ ए.एस.पी. में विकसित किया गया। यह पैकेज घरेलू रूप से विकसित किया गया था। संस्थान के कुल सचिव के अधीन, प्रशासनिक कम्प्यूटर सेवा सहायता केन्द्र (प्र.क.से.स.के.) प्रणाली के कार्यान्वयन और रखरखाव का कार्य देखता है।

वे.ले.प्र. की मुख्य क्रियात्मक विशेषताओं में अन्य बातों के साथ शामिल है :

- संस्थान के कर्मचारियों के वेतन की संगणना;
- कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का अनुसंधान;
- ब्याज वाले अग्रिम का लेखाकरण एवं;
- पेंशन लेखाकरण।

6.5.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इ.डा.ए.ए.²-2001, एम.एस.-एक्सेल एवं डी.बेस-IV का, जहां कहीं भी लक्षित आउटपुट प्राप्त करने के लिए अपेक्षित था, उपयोग करते हुए अप्रैल 2004 से जुलाई 2005 तक की अवधि (आवश्यकता पड़ने पर पिछली अवधि तक ले जाया गया) के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। जहां भी आवश्यकता हुई संस्था के हस्तलिखित अभिलेखों से दुतरफा पड़ताल की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

¹ अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग उपकरण

² इन्टरैक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस-कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा उपकरण

6.5.2.1 सामान्य नियंत्रण

प्रणाली 1989 में घरेलू रूप से विकसित की गई। लेखापरीक्षा विश्लेषण से सामान्य नियंत्रण संबंधी निम्न कमियां उजागर हुईं:

- संस्थान के पास कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कोई दस्तावेजीकृत सू.प्रौ.-नीति नहीं थी।
- उपयोगकर्ता की नियमावली, कार्यक्रम प्रवाह चार्ट, डाटा प्रवाह आरेख, फाईल लेआउट, स्रोत कोड आदि उपलब्ध नहीं थे।
- उपयोगकर्ता हेतु कोई दस्तावेजीकृत कर्तव्य सूची उपलब्ध नहीं थी।
- कार्मिक प्रशिक्षण नीति के अभाव का परिणाम कुछ व्यक्तियों पर निर्भरता में हुआ।
- भौतिक पहुंच नियंत्रण अपर्याप्त थे और प्रयोग हेतु लॉग बुक अनुरक्षित नहीं की गई थी जिससे प्रणाली के अप्राधिकृत उपयोग का जोखिम था।
- आग और आकाशीय बिजली के प्रति उपयुक्त सुरक्षा विद्यमान नहीं थी जिससे प्रणाली सुभेद्य बनती थी।
- यद्यपि आंकड़ों का बैकअप सप्ताह में दो बार लिया जाता था तथापि कोई मानीटरिंग नहीं की गई थी तथा बैकअप आंकड़ों को भी उसी अवस्थिति में जमा किया जाता था जो इसे सुभेद्य बना देता था।

संस्थान ने उत्तर दिया (जुलाई 2006) कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया था तथा प्रस्तावित गहन उद्यम साधन योजना समाधान में उनका ध्यान रखा जाएगा।

6.5.2.2 व्यापार नियमों का असमावेशन और अपर्याप्त अनुप्रयोग नियंत्रण

आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि व्यापारिक नियमों का उचित रूप से समावेश नहीं किया गया है और प्रणाली में उचित इनपुट नियंत्रण तथा विभिन्न माड्यूल्स में विधिमाम्यकरण जांच की कमी है जिसका परिणाम वेतन, पेंशन के अधिक/कम भुगतान तथा अग्रिमों के अनियमित संवितरण में हुआ, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- 472 मामलों में, 6.22 करोड़ रु. की राशि का गृह निर्माण अग्रिम एक से अधिक बार स्वीकृत किया गया जो अनुचित वित्तीय लाभ और निधियों के अवरोधन का कारण बना।
- 679 मामलों में, भविष्य निधि अंशदान कर्मचारी की उस महीने की कुल परिलब्धि से भी अधिक था और मार्च 2002 से जुलाई 2005 तक की अवधि के दौरान, ऐसी राशियों पर 1.15 लाख रु. का ब्याज भी दिया गया, जो अनियमित था।
- 216 कर्मचारियों को सेवा के पिछले तीन महीनों में अंशदान देने की अनुमति दी गई जिसका परिणाम 24,731 रु. के ब्याज के अधिक भुगतान में हुआ।
- अगस्त 1997 से जुलाई 2005 तक नियमित रोकड़िए के अलावा पांच अन्य कर्मचारियों को अनियमित रूप से रोकड़ संचालन भत्ता दिया गया जिसका परिणाम 91,000 रु. के अधिक भुगतान में हुआ।
- तीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में रूपान्तरण मूल्य की कटौती के बाद कम पेंशन का भुगतान किया गया जिससे 14,000 रु. का कम भुगतान हुआ।
- नवम्बर 2004 से जून 2005 तक पांच कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता (गृ.कि.भ.) अदा किया गया जबकि उस अवधि के दौरान उन्हें आवास उपलब्ध कराया गया था। आगे के संवीक्षा से प्रकट हुआ कि डाटाबेस को वर्तमान आबंटन तथा परिवहन भत्ते की अवधि से अद्यतन नहीं किया गया और इसमें इस तरह के अनियमित भुगतानों को रोकने के लिए कोई विधिमान्यकरण जांच अंतःनिर्मित नहीं थी।
- तीन पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को 12,213 रु. का अधिक गृह किराया भत्ता अदा किया गया।
- एक कर्मचारी, जो 16.10.2004 से 24.10.2004 (5,806 रु.) तक 9 दिनों के लिए आसाधारण अवकाश पर था, को वेतन का भुगतान किया गया जिसे अभी तक वसूल किया जाना था (नवम्बर 2006), जिससे इंगित होता है कि अवकाश की ऐसी अवधि के बाद कर्मचारियों से अनुपातिक राशि की कटौती करने हेतु प्रणाली में कोई अंतःनिर्मित नियंत्रण नहीं है। यह भी देखा गया था कि प्रणाली आंशिक महीने हेतु वेतन गणना नहीं कर सकती थी।

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

- एक कर्मचारी, जो 12000-420-18300 रू. के वेतनमान में था, को 23,000 रू. मूल वेतन मानकर, वेतन का भुगतान किया गया (जुलाई 2004)। यह प्रणाली में विधिमान्यकरण जांच की अनुपस्थिति को इंगित करता था।
- 147 कर्मचारियों को अगस्त 2004 में छः महीने हेतु (जनवरी से जून 2004) साइकिल रखरखाव के बकाया का भुगतान किया गया यद्यपि अप्रैल 2004 हेतु इस भत्ते का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। इसका परिणाम 4,410 रू. के अधिक भुगतान में हुआ। इसी तरह जुलाई 2004 से दिसम्बर 2004 तक एक कर्मचारी को साइकिल रखरखाव भत्ते के रूप में 180 रू. का अधिक भुगतान हुआ।

संस्थान ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2006) कि आवश्यक सुधार हेतु कदम उठाये जा चुके/जा रहे हैं।

6.5.2.3 प्र.सू.प्र. एवं व्य.सू.प्र. माड्यूल का अनुपयोग

2003 में डाटा वेयरहाउस की संकल्पना पर आधारित प्र.सू.प्र. एवं व्यक्तिगत सूचना प्रणाली घरेलू तौर पर विकसित की गयी थी। यह पाया गया कि सर्वर में आंकड़ों को अद्यतन नहीं किया गया, अतः ऐसी प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। संस्थान ने आश्वासन दिया है (जुलाई 2006) कि एकीकृत उ.सा.यो. समाधान विकसित होने पर प्र.सू.प्र. एवं व्य.सू.प्र. माड्यूल का प्रचालन किया जाएगा।

6.5.3 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

वेतनपत्रक लेखा प्रणाली के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं में विधिमान्यकरण जांच की कमी है। जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण प्रणाली में डाटा संपूर्णता, विश्वसनीयता, और सुरक्षा अपर्याप्त थी। यद्यपि संस्था अपने कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ता, अग्रिमों, पेंशन संवितरण हेतु इस प्रणाली पर निर्भर है तथापि व्यापार नियमों को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया।

संस्थान को कमियाँ दूर करने तथा प्रणाली का कार्यान्वयन अधिक कुशल ढंग से करने की आवश्यकता है।

मामला जनवरी 2007 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2007 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

6.6 अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अधिक व्यय

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2005-06 हेतु पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कागजों की अधिप्राप्ति में समय पर कार्रवाई नहीं की। इसका परिणाम 1.04 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (परिषद), सम्पूर्ण भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों को वितरण हेतु कक्षा I से XII हेतु पुस्तकों का मुद्रण करता आ रहा है। इसका प्रकाशन विभाग (प्र.वि.) पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में प्रयोग हेतु पाठ्य सामग्री तथा आवरण पृष्ठ की वार्षिक आवश्यकता तैयार करता है।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (अप्रैल 2006) कि प्र.वि. ने वर्ष 2005-06 के लिए छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं झारखण्ड हेतु पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्य सामग्री तथा आवरण पृष्ठ के लिए क्रमशः 23,000 मैट्रिक टन (मै.ट.) तथा 1450 मै.ट. की कुल आवश्यकता मूल्यांकित की तथा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे 25 जून 2004 को सम्पन्न होने के लिए योजित वित्त समिति (वि.स.) बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। प्रस्तावित बैठक नियत तिथि को सम्पन्न नहीं हुई तथा अन्ततः 2 सितम्बर 2004 को सम्पन्न हुई। वि.स. ने अपनी बैठक में प्र.वि. को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (आ.नि.म.नि.) की दर से केवल 3000 मै.ट. की पाठ्य सामग्री तथा 100 मै.ट. के आवरण पृष्ठ की अधिप्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया। वि.स. ने यह भी अनुशंसा की कि कागजों की आगामी अधिप्राप्ति की विधि के निर्धारण हेतु प्रस्ताव इसकी अगली बैठक में, मंत्रालय की कागज खरीद नीति के परीक्षण के बाद रखा जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वि.स. की ये अनुशंसाएं प्र.वि. को एक महीने बाद, 4 अक्टूबर 2004 को सूचित की गईं। इसी बीच, आ.नि.म.नि. का दर अनुबन्ध 13 सितम्बर 2004 को समाप्त हो गया। तदंतर परिषद ने मंत्रालय के साथ मामले को उठाया जिसने सलाह दी कि आ.नि.म.नि. की पुराने दर से 3000 मै.ट. कागज की अधिप्राप्ति हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड (हि.का.नि.) से प्रस्ताव किया जाए तथा शेष मात्रा की अधिप्राप्ति खुली निविदा पद्धति के माध्यम से की जाए। तदनुसार, मुद्रण पृष्ठों की आपूर्ति हेतु 27,052 रु. (वाटर मार्किंग हेतु 250 रु. प्रति मै.ट. सहित आ.नि.म.नि. की पुरानी दर) की दर उन्हें प्रस्तावित करते हुए, परिषद ने 26 अक्टूबर 2004 को हि.का.नि. से सम्पर्क किया। हि.का.नि. ने 8 नवम्बर 2004 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया लेकिन इस शर्त के साथ कि कागजों की आपूर्ति केवल रीलों में की जाएगी। इस शर्त के बावजूद, परिषद ने 11 नवम्बर 2004 को 27,052 रु. प्रति मै.ट. की दर से 900 मै.ट. कागज की रीलों में तथा 2100 मै.ट. कागज की ताव में आपूर्ति

का आदेश दिया। हि.का.नि. ने यह स्वीकार नहीं किया तथा इस दर पर केवल 900 मै.ट. कागज की रील में तथा शेष 2100 मै.ट. कागज की 29,252 रु. प्रति मै.ट. की उच्चतर दर से ताव में आपूर्ति का प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 2004)। इसके पहले कि सौदा तय होता, वि.स. ने 3 दिसम्बर 2004 को सम्पन्न अपनी बैठक में टिप्पणी की कि परिषद को खुली निविदा पद्धति के माध्यम से कागजों के खरीद की कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए थी। तथापि, यह विचार करते हुए कि खुली निविदा पद्धति में दो महीनों का समय और लगेगा जिससे पाठ्य पुस्तकों की समय से आपूर्ति में विलम्ब होगा, इसने हि.का.नि. को 3000 मै.ट. और कागज हेतु आदेश देने की अनुशंसा की। इस प्रकार, 3000 मै.ट. के पिछले आपूर्ति आदेश के अतिरिक्त, इसने अतिरिक्त 3000 मै.ट. कागज (ताव में 2500 मै.ट. तथा रील में 500 मै.ट.) हेतु हि.का.नि. को आदेश दिया (जनवरी 2005)। लेखापरीक्षा ने पाया कि हि.का.नि. ने रील में कागजों हेतु 27,052 रु. प्रति मै.ट. की आ.नि.म.नि. की पुरानी दर को प्रभारित किया लेकिन ताव में कागज हेतु इसने 29,252 रु. प्रति मै.ट. की बढ़ी दर प्रभारित की यद्यपि रील तथा ताव, दोनों में कागज के लिए आ.नि.म.नि. की दर समान थी। वस्तुतः, आ.नि.म.नि. के बाद के दर अनुबन्ध (फरवरी 2005) के अनुसार भी रील तथा ताव दोनों में कागजों की दर 27,714 रु. प्रति मै.ट. थी जो परिषद द्वारा हि.का.नि. को अदा की गई 29,252 रु. प्रति मै.ट. की दर कम थी। इस प्रकार, अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर, खासतौर से वि.स. की बैठक सम्पन्न होने में विलम्ब के कारण परिषद ने ताव में प्राप्त किए गए 4710 मै.ट. कागज हेतु 2200 रु. प्रति मै.ट. की विभेदक दर पर परिकलित 1.04 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय किया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2006) कि जुलाई 2004 में परिषद के तत्कालीन निदेशक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण कार्यक्रम के अनुसार वित्त समिति की बैठक न होने के कारण समय नष्ट हुआ। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परिषद के निदेशक जुलाई 2004 में सेवानिवृत्त हुए थे जबकि वित्त समिति की बैठक जून 2004 में सम्पन्न होनी थी। निदेशक अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ही वित्त समिति की बैठक सम्पन्न कराने की व्यवस्था कर सकते थे। इसके बाद भी, कार्यकारी निदेशक वित्त समिति की बैठक की व्यवस्था समय पर कर सकते थे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वित्त समिति की बैठक 2 सितम्बर 2004 को सम्पन्न हुई थी, परिषद ने इसका निर्णय प्रकाशन विभाग को 4 अक्टूबर 2004 को सूचित किया। जबकि इसे इस बात की जानकारी थी कि आ.नि.म.नि. की दर अनुबन्ध सिर्फ 13 सितम्बर तक ही मान्य था। इस प्रकार, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलम्ब का परिणाम बढ़ी हुई दर पर कागज की अधिप्राप्ति तथा परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

6.7 निर्माण कार्य को अनियमित रूप से प्रदान करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव विकास मंत्रालय से प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन तथा शहरी विकास मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लिमिटेड को अनियमित रूप से परामर्श कार्य प्रदान किया जिसका परिणाम 6.45 करोड़ रु. की अतिरिक्त देयता में हुआ। वि.अ.आ. ने भा.शै.स.लि. को चार करोड़ रु. का ब्याज रहित संग्रहण अग्रिम का अनियमित भुगतान भी किया। अनुबन्ध के हस्ताक्षरित होने से 37 माह बीतने के उपरान्त भी जून 2006 तक निर्माण कार्य अभी आरम्भ होना था।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में 20 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के कब्जे में थी। जनवरी 1990 में भूमि ज.ने.वि. ने वि.अ.आ. काम्प्लैक्स के निर्माण हेतु किराया रहित आधार पर वि.अ.आ. को उप-पट्टे पर दी। वि.अ.आ. ने दिसम्बर 2002 में परियोजना प्रबन्धन आधार पर भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लि. (भा.शै.प.लि.) को निर्माण कार्य आंबटित किया। औपचारिक अनुबन्ध मई 2003 में हस्ताक्षरित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार, भा.शै.प.लि. को वास्तविक परियोजना लागत का 9.5 प्रतिशत परामर्श प्रभार के रूप में तथा भा.शै.प.लि. के लाभांश पर सेवा कर भी दिया जाना था। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत 68.11 करोड़ रु. थी और निर्माण कार्य 24 से 30 माह के भीतर पूर्ण होना था। लेखापरीक्षा जांच (नवम्बर 2004 तथा अक्टूबर 2005) से निम्न स्पष्ट हुआ:

- वि.अ.आ. के लिए काम्प्लैक्स के निर्माण हेतु मंत्रालय से प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था क्योंकि मंत्रालय ने वि.अ.आ. को ये शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की थीं। वि.अ.आ. ने औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किए बिना भा.शै.प.लि. को कार्य आंबटित किया। बाद में जुलाई 2003 में वि.अ.आ. ने मंत्रालय से प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्वीकृतियां प्रदान करने का आग्रह किया। इस आग्रह के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया कि उसे इस परियोजना के भा.शै.प.लि. को प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं थी बशर्ते संबंधित मानकों व नियमों की अनुपालना की जाए। तथापि मंत्रालय द्वारा औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्वीकृतियां अभी प्रदान नहीं की गई हैं (नवम्बर 2006)।
- शहरी विकास मंत्रालय से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' लिए बिना कार्य भा.शै.प.लि. को प्रदान किया गया जैसाकि सा.वि.नि. के अंतर्गत के.लो.नि.वि. द्वारा कार्य निष्पादन न करवाने हेतु अपेक्षित था।

- चूंकि के.लो.नि.वि. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त निकायों से कार्य निष्पादन हेतु विभागीय प्रभार वसूल नहीं करता, वि.अ.आ. ने परियोजना लागत के अतिरिक्त भा.शै.प.लि. को देय परामर्श प्रभारों (59.75 लाख रू के सेवा कर सहित) के कारण 6.45 करोड़ रू की अतिरिक्त देयता वहन की।
- वि.अ.आ. ने चार करोड़ रू का ब्याज रहित संग्रहण अग्रिम जारी किया था (सितम्बर 2003)। यह अनियमित था क्योंकि के.लो.नि.वि. नियमपुस्तिका के पैराग्राफ 32.7 के अनुसार, संग्रहण अग्रिम की राशि अनुमानित लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक या एक करोड़ रू में से जो भी कम हो तक की शर्त पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर दी जा सकती है। इस मामले में वि.अ.आ. ने न केवल एक करोड़ रू की सीमा पार की बल्कि अनुबन्ध में 10 प्रतिशत ब्याज की शर्त को भी शामिल नहीं किया था जिसका परिणाम भा.शै.प.लि. को मार्च 2006 तक परिकलित एक करोड़ रू के अदेय लाभ में हुआ।
- अनुबन्ध की शर्त 3.10 प्रावधान करती है कि यदि परियोजना भा.शै.प.लि. के नियंत्रण से बाहर के कारणों से अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट समय सीमा से अधिक बढ़ा दी जाती है तो वि.अ.आ. बढ़ी हुई अवधि हेतु इसके स्थापना स्थल के रखरखाव के प्रति भा.शै.प.लि. को 0.40 लाख रू प्रतिमाह अदा करेगा। तथापि, भा.शै.प.लि. द्वारा विलम्ब के मामले में अनुबन्ध में वि.अ.आ. के हितों की रक्षा हेतु कोई शर्त नहीं थी।
- अनुबन्ध की शर्त 6.2 के अनुसार, वि.अ.आ. को भा.शै.प.लि. को देय परामर्श प्रभारों पर 59.75 लाख रू (अनुमानित लागत का 10.2 प्रतिशत) का सेवा कर देना था जो कि अनियमित था क्योंकि वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु प्रयोग नहीं होने वाले सरकारी भवनों के निर्माण पर सेवा कर उद्ग्राह्य नहीं है।
- अनुबन्ध के अनुसार कार्य नवम्बर 2005 तक पूर्ण होना था परन्तु कार्य प्रदान करने के 37 माह उपरान्त भी अभी केवल मूल योजना, आरम्भिक रेखाचित्र और स्मरेखा तैयार की गई थी और स्थानीय निकायों जैसे दि.वि.प्रा., भारतीय विमानन प्राधिकरण एवं दिल्ली अग्निशमन सेवा इत्यादि से कुछ अनुमोदन प्राप्त किए गए थे।

इस प्रकार, वि.अ.आ. ने निर्माण कार्य भा.शै.प.लि. को अनियमित रूप से प्रदान किया जिसका परिणाम परामर्श प्रभारों के कारण 6.45 करोड़ रू (59.75 लाख रू के सेवा कर सहित) की अतिरिक्त देयता में हुआ। इसके अतिरिक्त, भा.शै.प.लि. को अनियमित रूप से चार करोड़ रू का ब्याज रहित संग्रहण अग्रिम जारी करने का परिणाम प्रतिष्ठान को अदेय लाभ में हुआ। 1990 में आबंटित की गई भूमि पर जून 2006 तक अर्थात्

सितम्बर 2003 में संग्रहण अग्रिम जारी करने के बावजूद अनुबन्ध के हस्ताक्षरित होने से तीन वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी कम्प्लैक्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में वि.अ.आ. ने बताया (जून 2006) कि यद्यपि वि.अ.आ. को इस बात की जानकारी थी कि निर्माण कार्य के.लो.नि.वि. द्वारा करवाया जाना था किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वि.अ.आ. तथा भा.शै.प.लि. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन संगठन थे, बेहतर समन्वय हेतु कार्य भा.शै.प.लि. को प्रदान किया था क्योंकि वि.अ.आ. के पास तकनीकी श्रमशक्ति नहीं थी। उसने यह भी कहा कि भा.शै.प.लि. को चार करोड़ रु. का अग्रिम, वास्तुकार की नियुक्ति तथा मूल योजना और तकनीकी रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रदान किए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि के.लो.नि.वि. द्वारा निर्माण कार्य करवा रही संस्थाओं को अपनी स्वयं की तकनीकी श्रमशक्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि भा.शै.प.लि. को अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करना है (नवम्बर 2006) जो बेहतर समन्वय की मान्यता को चुनौती देता है।

मामला जुलाई 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

6.8 अनुदान का अविवेकपूर्ण जारी किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजनाओं के प्रावधानों के साथ-साथ सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में मार्च 2004 में 24 विश्वविद्यालयों को 5.48 करोड़ रु. राशि का अग्रिम अनुदान जारी किया जिसका परिणाम 8 माह तथा 24 माह की अवधियों के बीच निधियों के अवरोधन तथा अप्रैल 2004 से मार्च 2006 की अवधि के लिए 59.02 लाख रु. ब्याज की अनुवर्ती हानि में हुआ।

वि.अ.आ. ने Xवीं योजना अवधि (2002-2007) के लिए दो नई योजनाएं नामतः (i) युवा विश्वविद्यालयों हेतु विशेष विकास अनुदान (यु.वि.वि.वि.अ.) तथा (ii) पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों हेतु विशेष विकास अनुदान (पि.क्षे.वि.वि.वि.अ.) का सूत्रीकरण किया। युवा विश्वविद्यालयों के मौजूद अवसंरचना को बढ़ाने/सुधारने तथा आधारभूत और मात्र न्यूनतम अवसंरचना उत्पन्न करना तथा पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के मामले में अध्यापन समदृष्टि हेतु अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने हेतु अवसंरचना सुधारना तथा कम से कम प्रारम्भिक स्तर तक पहुंचना इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य थे। वि.अ.आ. ने इन योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालयों की पात्रता हेतु मानक निर्धारित किए जिसके अनुसार योग्य एवं इच्छुक विश्वविद्यालयों को निर्धारित प्रारूप में अपने प्रस्तावों को वि.अ.आ. को प्रस्तुत करना अपेक्षित था, इसके उपरान्त चयनित विश्वविद्यालयों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाना था जिनकी अनुशंसाओं के आधार पर ग्राह्य अनुदान की स्वीकृति होनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2005) कि वि.अ.आ. के अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति ने उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु मार्च 2004 में बैठक की और यु.वि.वि.वि.अ. के अंतर्गत 13 और पि.क्षे. वि.वि.वि.अ. के अंतर्गत 11 विश्वविद्यालयों को क्रमशः 21 लाख रू तथा 25 लाख रू की दर से इस शर्त पर अग्रिम अनुदान की अनुशंसा की कि वि.अ.आ. की मदवार अंतिम स्वीकृति के उपरान्त ही अनुदान का उपयोग किया जाए। विशेषज्ञ समिति ने यह भी अनुशंसा की कि योग्य विश्वविद्यालयों को उनकी परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जाएगा। तदनुसार, वि.अ.आ. ने उक्त शर्तों के साथ इन 24 विश्वविद्यालयों को 5.48 करोड़ रू अग्रिम अनुदान के रूप में जारी किए (मार्च 2004)।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि वि.अ.आ. ने 20 विश्वविद्यालयों को 8 से लेकर 23 माह गुजर जाने के उपरान्त उक्त योजनाओं पर व्यय वहन करने हेतु अपनी स्वीकृति की सूचना दी थी तथा यु.वि.वि.वि.अ. के अंतर्गत तीन और पि.क्षे.वि.वि.वि.अ. के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय को मार्च 2006 तक सूचना दी जानी शेष थी। इस प्रकार विश्वविद्यालयों से प्रस्तुतीकरण लम्बित होने पर वि.अ.आ. द्वारा समय पूर्व अनुदान जारी करना और बाद में 20 विश्वविद्यालयों को अंतिम स्वीकृति की सूचना देने में देरी तथा चार विश्वविद्यालयों की अस्वीकृति का परिणाम 5.48 करोड़ रू की राशि का 8 तथा 24 माह के बीच की अवधि के लिए अवरोधन तथा अप्रैल 2004 से मार्च 2006 की अवधि के लिए संघ सरकार की 8.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की उधार दर पर परिकलित 59.02 लाख रू. के ब्याज की अनुवर्ती हानि में हुआ। निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वि.अ.आ. द्वारा अनुदान जारी करना सा.वि.नि. के प्रावधानों के विरुद्ध था जिसके अनुसार अंधाधुंध व्यय, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने वि.अ.आ. के विचारों का समर्थन किया (अगस्त 2006) कि चूंकि विश्वविद्यालयों ने अपने प्रस्तुतीकरणों को भेजने में बहुत अधिक समय लिया, वि.अ.आ. द्वारा इन विश्वविद्यालयों को 'लेखागत' अनुदान जारी करने का निर्णय लिया गया था। इसने यह भी कहा कि अनुदान पर अर्जित ब्याज को अतिरिक्त अनुदान माना जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वि.अ.आ. यह सुनिश्चित करने में असफल रहा था कि निधियां अपरिपक्व प्रस्तावों पर जारी नहीं की जाती है। तथ्य यह था कि विश्वविद्यालयों ने ही अपने प्रस्तुतीकरणों को भेजने में अधिक समय लिया और 20 मामलों में स्वीकृति में विलम्ब तथा बचे हुए चार विश्वविद्यालयों के मामले में अस्वीकृति, आरम्भिक प्रस्तावों जिनके आधार पर निधियां जारी की गई थी, की गंभीरता पर प्रश्न चिह्न लगाती है।

अध्याय VII : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

7.1 राजस्व की हानि

प्रसार भारती द्वारा उपयुक्त विपणन योजना के बिना क्रिकेट प्रसारण अधिकारों के अधिग्रहण तथा उसके बाद मनमाने ढंग से प्रक्षेपित दरों से कम दरों को प्रभारित करने का परिणाम 51.59 करोड़ रु. की सम्भावित राजस्व हानि में हुआ; प्रसार भारती ने लेन-देन में 9.98 करोड़ रु. की नकद हानि वहन की।

प्रसार भारती (प्र.भा.) ने भारत में 6 अक्टूबर 2004 से 2 दिसम्बर 2004 तक भारत और आस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका और भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टैस्ट क्रिकेट के 30 दिन और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ए.दि.अं.) मैचों के एक दिन को दूरदर्शन (दू.द.)-I और दू.द. खेलकूद पर प्रसारण के अधिकारों के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (भा.क्रि.नि.बो.) के साथ 3 अक्टूबर 2004 को एक अनुबंध किया। प्र.भा. ने बोली बोलते समय दू.द.-I तथा दू.द. खेलकूद पर ए.दि.अं. तथा टैस्ट मैचों में प्रसारण के संबंध में निर्धारित प्रक्षेपित दरों पर वाणिज्य समय के विपणन द्वारा सृजित होने वाले राजस्व को ध्यान में रखा था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (मार्च 2006) कि प्र.भा. ने अक्टूबर-दिसम्बर 2004 के दौरान प्रसारित क्रिकेट मैचों के लिए अपने द्वारा सृजित 69.53 करोड़ रु. के राजस्व के प्रति भा.क्रि.नि.बो. को यथा अनुपात आधार पर 79.51 करोड़ रु. का भुगतान किया जिसका परिणाम 9.98 करोड़ रु. की हानि में हुआ। यदि प्र.भा. द्वारा प्रसारणों के आयोजन हेतु वहनित सीमान्त लागतों को भी ध्यान में रखा जाये तो वास्तविक नकद हानि और अधिक हुई होती। आगामी विश्लेषण से पता चला कि बोली के समय प्रक्षेपित की गई विज्ञापन दरों को प्रभारित करने की बजाय प्र.भा. ने विभिन्न अधिकरणों से विभिन्न दरें प्रभारित कीं। कुछ अधिकरणों से प्रभारित दरें टैस्ट क्रिकेट के लिए 10 सैंकिंड के वाणिज्यिक समय के लिए 0.50 लाख रु. की प्रक्षेपित दर के प्रति 0.08 लाख रु. तथा ए.दि.अं. के लिए 1.50 लाख रु. प्रति 10 सैंकिंड की प्रक्षेपित दर के प्रति 0.18 लाख रु. जितनी कम थी। प्र.भा. विभिन्न अधिकरणों से कम दरें प्रभारित करने के कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में असफल रहा। यदि प्रक्षेपित दरें प्रभारित की गई होती तो प्र.भा. ने 121.12 करोड़ रु. का कुल राजस्व सृजित किया होता। इस प्रकार कम दरें प्रभारित करने से प्र.भा. को 51.59 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2006) कि प्रक्षेपित दरें पांच वर्षों अर्थात् 2004-2008 की अवधि हेतु भा.क्रि.नि.बो. बोली के लिए उद्धृत की जाने वाली राशि के निर्धारण हेतु थी और अंतिम रूप से अनुमोदित दरें नहीं थी और इस कारण हानि के परिकलन के लिए आधार नहीं बनाई जा सकती। उसने यह भी कहा कि भा.क्रि.नि.बो. ने 2004-2008 की बोली रद्द कर दी थी और प्रक्षेपित दरें पूर्णतया निरर्थक थी। इसके अतिरिक्त, उसने बताया कि प्र.भा. ने व्यवस्थित और वैज्ञानिक विपणन हेतु कोई समय पाए बिना इन क्रिकेट अधिकारों को खंडित तरीके से लगभग रातों-रात और विशेषकर सप्ताहान्त के दौरान प्राप्त किया था। इसने बताया कि खेलकूद चैनल की लाभ और हानि को दीर्घावधि परिदृश्य में देखा जाना चाहिए न कि एकाकी रूप में। इसके अतिरिक्त प्र.भा. के पास ग्राहकों/अभिकरणों को परक्राम्य दरों को प्रस्तावित करने का प्राधिकार था।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- बहुत से मामलों में प्र.भा. द्वारा प्रभारित दरें प्रक्षेपित दरों के अनुसार थी जो दर्शाता है कि यह दरें ऐसी निरर्थक नहीं थी जैसा कि इसने दावा किया था। किसी भी स्थिति में बोली की कीमत लगाते समय प्र.भा. ने निश्चय ही सम्भावित राजस्व सृजन का अनुमान अनुदारवादी ढंग से लगाया होगा न कि अनिर्वाह्य विज्ञापन दरों को ध्यान में रखकर।
- यह तर्क कि 'खेलकूद चैनल लाभ और हानि को दीर्घावधि परिदृश्य में देखते हैं ना कि एकाकी रूप में' का अभिप्राय यह नहीं होना चाहिए कि राजस्व के विचार को तिलांजलि दे दी जाए। इसलिए लेन-देन के अर्थशास्त्र की उपेक्षा करते हुए लाभ और हानि को दीर्घावधि परिदृश्य में देखने का तर्क, जिसमें 79.51 करोड़ रु. का नकद बहिर्गमन शामिल है, अतर्कसंगत है।
- मंत्रालय का वक्तव्य कि प्र.भा. ने व्यवस्थित और वैज्ञानिक विपणन के लिए कोई समय पाए बिना इन क्रिकेट अधिकारों को खंडित तरीके से लगभग रातों-रात और विशेष कर सप्ताहान्त के दौरान प्राप्त किया था, दर्शाता है कि प्र.भा. को अपनी मीडिया सम्पत्ति अधिग्रहण तथा विपणन रणनीति को सही करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार बिना उपयुक्त विपणन योजना के क्रिकेट प्रसारण अधिकारों के अधिग्रहण तथा उसके बाद मनमाने ढंग से प्रक्षेपित दरों से कम विज्ञापन दरों को प्रभारित करने का परिणाम 51.59 करोड़ रु. के सम्भावित राजस्व की हानि में हुआ। प्र.भा. द्वारा क्रिकेट प्रसारण के आयोजन पर किए गए परिवर्तनीय व्यय को ध्यान में न रखते हुए भी प्र.भा. द्वारा वहन की गई वास्तविक नकद हानि 9.98 करोड़ रु. परिकलित हुई।

7.2 राजस्व की हानि

दूरदर्शन ने 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 की अवधि के लिए प्रायोजकता आधार न्यूनतम गारंटी शर्तों पर फिल्मों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अनुरोध के बावजूद उसके साथ औपचारिक समझौता नहीं किया। इसने बाद में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अपनी वचनबद्धता से पीछे हटने तथा सितम्बर 2003 के बाद से न्यूनतम गारंटी शर्तों पर फिल्मों की आपूर्ति से इंकार करने का अवसर दिया। फलस्वरूप प्रसार भारती को रा.फि.वि.नि. से रॉयल्टी आधार पर फिल्में लेनी पड़ी जिसका परिणाम सितम्बर 2003 से मार्च 2004 के दौरान 6.68 करोड़ रु. के राजस्व की हानि में हुआ।

प्र.भा., राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम (रा.च.वि.नि.) एवं अन्य निजी पक्षों के माध्यम से न्यूनतम गारंटी¹ (न्यू.गा.) शर्तों पर प्रायोजकता आधार पर दूरदर्शन (दू.द.)-I पर शुक्रवार तथा शनिवार को हिन्दी फीचर फिल्में दिखा रहा था। नवम्बर 2002 में, प्र.भा. ने शुक्रवार और शनिवार को दूरदर्शन-I पर प्रसारित किये जाने हेतु प्रायोजकता आधार पर हिन्दी फीचर फिल्मों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। विभिन्न प्रतिष्ठानों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, प्र.भा. ने शनिवार स्लॉट एक निजी अभिकरण को आबंटित किया। शुक्रवार स्लॉट रा.फि.वि.नि. को 72 लाख रु. प्रति फिल्म की न्यू.गा. की दर पर आबंटित किया गया (अप्रैल 2003)।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2005) कि प्र.भा. ने निजी अभिकरण के मामले में 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक की अवधि के लिए फिल्मों की आपूर्ति हेतु समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर हस्ताक्षर किये लेकिन रा.फि.वि.नि. के मामले में इसने कोई औपचारिक अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया यद्यपि रा.फि.वि.नि. ने स्वयं 72 लाख रु. की न्यू.गा. पर फिल्मों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव किया तथा इस आशय के स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर हेतु प्र.भा. से निवेदन किया (मार्च 2003)। तथापि, प्र.भा. ने स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर हेतु रा.फि.वि.नि. से जुलाई 2003 में सम्पर्क किया जिस पर रा.फि.वि.नि. ने हस्ताक्षर नहीं किया तथा विभिन्न आधारों पर 50 लाख रु. प्रति फिल्म की न्यू.गा. दर हेतु छूट की मांग की। बाद में (सितम्बर 2003), रा.फि.वि.नि. विद्यमान दर पर फिल्मों की आपूर्ति की वचनबद्धता से मुकर गया। चूंकि फिल्में निर्धारित न्यू.गा. की दर पर प्रायोजित आधार पर तुरन्त उपलब्ध नहीं थी, प्र.भा. ने रा.फि.वि.नि. से रॉयल्टी² आधार पर फिल्मों की अधिप्राप्ति का निर्णय लिया (सितम्बर 2003)। लेखापरीक्षा ने पाया कि

¹ न्यू.गा. पद्धति के अंतर्गत: कार्यक्रम को प्रायोजित करने वाले अभिकरण पूर्व निर्धारित न्यूनतम एक मुश्त राशि के भुगतान की गारंटी लेते हैं जिसके प्रति फिल्म के प्रसारण के दौरान उनको एक नियत अवधि का मुफ्त वाणिज्यिक समय आबंटित होता है जिसे वे विज्ञापकों को विक्रय कर सकते हैं।

² रॉयल्टी आधार: रॉयल्टी दर कार्ड के आधार पर फिल्मों के प्रसारण हेतु अधिकार अधिप्राप्त किए जाते हैं तथा दू.द. द्वारा राजस्व सृजन करने हेतु विज्ञापन स्लॉट का स्वयं विपणन किया जाता है।

प्र.भा. ने सितम्बर 2003 से मार्च 2004 के दौरान रॉयल्टी आधार पर रा.फि.वि.नि. से 28 फिल्में (शुक्रवार स्लॉट के लिए) अधिप्राप्त की और 13.48 करोड़ रु. का निवल राजस्व सृजित किया। यदि प्र.भा. ने मार्च 2003 में रा.फि.वि.नि. से औपचारिक अनुबन्ध किया होता जैसा कि इसने निजी अभिकरणों के मामले में किया था, तो इसने 72 लाख रु. प्रति फिल्म की न्यू.गा. दर से परिकलित 20.16 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त किया होता। इस प्रकार, रा.फि.वि.नि. के निवेदन (मार्च 2003) के बावजूद प्र.भा. की रा.फि.वि.नि. के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने की विफलता ने रा.फि.वि.नि. को अपनी वचनबद्धता से पीछे हटने का मौका दिया तथा प्र.भा. को रॉयल्टी आधार पर फिल्म प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जिसका परिणाम 6.68 करोड़ रु. के राजस्व की हानि में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2006) कि रा.फि.वि.नि. के समझौते, जिसमें इसे 72 लाख रु. की न्यू.गा. के प्रति फिल्मों की आपूर्ति एवं विपणन करना अपेक्षित था, से बीच में मुकर जाने के परिणामस्वरूप दू.द. अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण दर कार्ड में निर्धारित रॉयल्टी दरों से उच्च दर पर भुगतान कर फिल्में स्वीकार करने के लिए बाध्य हुआ। इसने यह भी कहा कि सितम्बर 2003 और मार्च 2004 के बीच रा.फि.वि.नि. द्वारा आपूर्ति की गयी फिल्मों के घरेलू विपणन का परिणाम 76.08 लाख रु. (सकल) के औसत राजस्व की प्राप्ति में हुआ। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि रा.फि.वि.नि. ने स्वयं मार्च 2003 में स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करने हेतु निवेदन किया था, प्र.भा. ने वैध समझौते को लागू किए बिना 1 अप्रैल 2003 से फिल्मों की अधिप्राप्ति की थी। प्र.भा. ने तीन महीने से अधिक की समाप्ति के बाद रा.फि.वि.नि. से सम्पर्क किया जिससे रा.फि.वि.नि. को अपनी वचनबद्धता से मुकरने का अवसर प्राप्त हुआ तथा प्र.भा. रॉयल्टी आधार पर फिल्में प्राप्त करने को बाध्य हुई जिसका परिणाम 6.68 करोड़ रु. के राजस्व की हानि में हुआ। इसके अतिरिक्त सकल राजस्व से रॉयल्टी और 15 प्रतिशत कमीशन की कटौती के बाद प्रति फिल्म अर्जित औसत निवल राजस्व 48.14 लाख रु. परिकलित होता है।

7.3 अधिक व्यय

धर्मपुरी, राधनपुर, सागर और तिरुनेवेली में 150 मीटर के चार स्टील के टी.वी. टावरों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रारम्भ हेतु आदेश बोली की वैधता अवधि की समाप्ति से पहले देने में दूरदर्शन की विफलता का परिणाम 3.29 करोड़ रु. के अधिक व्यय में हुआ।

प्रसार भारती के दूरदर्शन (दू.द.) स्कंध ने विभिन्न स्टेशनों पर 150 मी. के स्टील टी.वी. टावरों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रारम्भ के लिये खुली निविदाएं (तकनीकी

एवं वाणिज्यिक बोलियां) आमंत्रित की (अक्टूबर 2003)। बोलियां तकनीकी बोलियों के खुलने की तिथि से 120 दिनों के लिए वैध थीं। तकनीकी बोलियां के व्यवहार्य पाए जाने पर ही वाणिज्यिक बोलियां खोली जानी थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2006) कि टी.वी. टावरों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रारम्भ हेतु धर्मपुरी और तिरुनेवेली स्टेशनों के लिए तीन प्रतिष्ठानों और सागर तथा राधनपुर स्टेशनों के लिए चार प्रतिष्ठानों ने अपनी बोलियां प्रस्तावित की थीं। इन्हें दू.द. की मुक्त निविदा समिति द्वारा 30 दिसम्बर 2003 को खोला गया। प्राप्त बोलियों में से, प्रतिष्ठान 'x' (हैदराबाद स्थित भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान) का 6.25 करोड़ रु. (धर्मपुरी : 1.46 करोड़ रु., राधनपुर 1.79 करोड़ रु., सागर 1.52 करोड़ रु., तिरुनेवेली 1.48 करोड़ रु.) का प्रस्ताव तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य पाया गया। धर्मपुरी और तिरुनेवेली की तकनीकी बोलियां 27 अप्रैल 2004 को तकनीकी मूल्यांकन समिति (त.मु.स.) द्वारा अनुमत कर दी गई थीं लेकिन दू.द. 30 अप्रैल 2004 की वैधता तिथि तक आपूर्ति आदेश निर्गत करने में असफल रहा। सागर और राधनपुर के प्रकरण में, त.मु.स. ने 20 मई 2004 को अर्थात् 30 अप्रैल 2004 की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया तथा प्रस्तुत किया। दू.द. ने इन स्टेशनों पर अपने प्रस्ताव की वैधता तिथि को बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठान से सम्पर्क किया लेकिन सीमेंट और स्टील की कीमतों में वृद्धि के कारण प्रतिष्ठान ने इससे इन्कार कर दिया। प्रतिष्ठान ने उक्त स्थलों लिए 9.54 करोड़ रु. (धर्मपुरी : 2.29 करोड़ रु., राधनपुर : 2.64 करोड़ रु., सागर: 2.30 करोड़ रु., तिरुनेवेली : 2.31 करोड़ रु.) का एक संशोधित वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दू.द. के पास प्रतिष्ठान 'x' के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं था और उसने 29 सितम्बर 2004 को 9.54 करोड़ रु. के संशोधित मूल्य पर, जो मूल बोली से 52.64 प्रतिशत अधिक था, आदेश निर्गत किया। जून 2006 तक प्रतिष्ठान को 6.53 करोड़ रु. अदा किए जा चुके थे।

120 दिनों की वैधता अवधि के अन्दर प्रतिष्ठान को आपूर्ति आदेश निर्गत करने में दू.द. की विफलता का परिणाम 3.29 करोड़ रु. के अधिक व्यय में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में, प्र.भा. ने बताया (अगस्त 2006) कि टी.वी. टावरों की आपूर्ति और निर्माण की निविदा का तकनीकी मूल्यांकन एक समय लगने वाला कार्य है तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले कई तकनीकी पैरामीटरों की जांच करनी होती है एवं स्पष्टीकरण लेने पड़ते हैं। इन प्रकरणों में प्रतिष्ठान से स्पष्टीकरण देर से प्राप्त हुए थे जिससे तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि धर्मपुरी और तिरुनेवेली टावरों का मूल्यांकन वैधता तिथि के अन्त तक पूरा किया गया था। अतः वाणिज्यिक बोलियां को खोलने की और आदेश निर्गत करने के लिए तीन दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त

करने की कोई सम्भावना नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ऐसी निविदाओं के मूल्यांकन में जटिलताओं को देखते हुए म.नि.आ. एवं आ. की नियम पुस्तिका के अनुसार दो महीने की सामान्य वैधता अवधि के प्रति बोली के लिए चार महीने की वैधता अवधि प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्र.भा. के लिए टी.वी. टावरों का कार्य नया न होने और प्र.भा. के इन जटिलताओं से पूरी तरह भिन्न होने के कारण प्रक्रियाओं को वैध अवधि के अन्दर पूरा कर लिया जाना चाहिए था।

मामला जुलाई 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

7.4 ब्याज की परिहार्य हानि

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र द्वारा 2003-04 और 2004-05 के दौरान अधिक नकद शेषों को चालू खाते में रखने का परिणाम 51.98 लाख रु. के ब्याज की हानि में हुआ।

अधिशेष निधि को ब्याज उत्पन्न करने वाले सुरक्षित क्षेत्रों में लगाना रोकड़ प्रबन्धन का एक प्राथमिक पहलू है। प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 32(1) के साथ पठित धारा 19 के अनुसार प्रसार भारती को अपने धन के निवेश हेतु नियमों को बनाना अपेक्षित था। ऐसे नियम को अंतिम रूप देना लम्बित होने पर, प्रसार भारती ने अपने सितम्बर 2004 के परिपत्र के द्वारा सभी कार्यालयाध्यक्षों को निधियों की आवश्यकता का पता लगाने तथा अधिशेष निधियों को 16 दिनों से लेकर भुगतान हेतु धन की आवश्यकता तक की अवधियों तक के लिए लघु अवधि जमाओं में लगाने की सलाह दी।

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र (के.उ.के.) प्रसार भारती की एक इकाई है, जिसे 1989 में घरेलू कार्यक्रम बनाने हेतु स्थापित किया था। यह धीरे-धीरे अपने उत्पादन कार्यकलापों के अतिरिक्त एक प्रसारण केन्द्र बन गया। के.उ.के. स्टेट बैंक आफ इण्डिया में दो चालू खातों का अनुरक्षण कर रहा था, एक प्राप्तियों के लिए और दूसरा व्यय के लिए। के.उ.के. के वर्ष 2003-04 और 2004-05 के बैंक विवरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2006) से प्रकट हुआ कि इसने अपने व्यय खाते में बड़ी धनराशि रखी हुई थी। के.उ.के. द्वारा 2003-04 और 2004-05 के दौरान अपने खाते में 1.54 करोड़ रु. से लेकर 14.51 करोड़ रु. तक का न्यूनतम शेष रखा गया, जिस पर कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ। तथापि इतने अधिक शेषों को रखने के बावजूद के.उ.के. ने अधिशेष निधियों को ब्याज राजस्व अर्जित करने के लिए सावधि जमाओं में निवेश नहीं किया। सितम्बर 2004 के परिपत्र पर भी ध्यान नहीं दिया गया जिसमें कार्यालयाध्यक्षों को अधिशेष निधियों को छोटी अवधि जमाओं में रखने की सुस्पष्ट सलाह दी गई थी।

अधिक नकद शेषों को चालू खाते में रखने का परिणाम 2003-04 और 2004-05 के दौरान इस लेखे में पड़े रहे न्यूनतम शेष पर 3.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की न्यूनतम जमा अवधि ब्याज दर परिकल्पित 51.98 लाख रु. की हानि में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2006) कि निवेश नीति को अंतिम रूप देना लम्बित होने पर, प्रसार भारती ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियां व्यर्थ न पड़ीं रहे सितम्बर 2004 में निर्देश जारी किये थे। तथापि के.उ.के. के दू.द. स्पोर्ट्स और दू.द. इण्डिया के लिए संवितरण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के कारण यह सितम्बर 2004 में निर्देश जारी करने की तिथि से मार्च 2005 तक अधिशेष निधियों का पूर्वानुमान नहीं कर सकी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिशेष रोकड़ का निर्धारण और इसका समय-समय पर निवेश रोकड़ प्रबन्धन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। के.उ.के. ने प्रसार भारती के निर्णय को भी लागू भी नहीं किया था क्योंकि न तो इसने अपनी निधियों की जरूरत का निर्धारण किया और न ही अधिशेष निधियों को लघु अवधि जमाओं में रखने की कोई कार्रवाई प्रारम्भ की। यह न केवल के.उ.के. द्वारा उदासीन वित्तीय प्रबन्धन बल्कि प्रसार भारती द्वारा घटिया मॉनीटरिंग को भी दर्शाता है क्योंकि बड़ी निधियों के महत्वपूर्ण अवधि के लिए व्यर्थ पड़े रहने का परिणाम ब्याज की हानि में हुआ।

7.5 रॉयल्टी की अधिक अदायगी

अनुमोदित दर कार्ड से विचलन करते हुए पांच चलचित्रों की रॉयल्टी दर को बढ़ाने के प्रसार भारती के मनमाने तथा अनियमित निर्णय का परिणाम 45 लाख रु. की अधिक अदायगी में हुआ।

प्र.भा., रा.च.वि.नि. एवं निजी पक्षों के माध्यम से प्रायोजकता आधार पर न्यूनतम, गारंटी शर्तों पर शुक्रवार तथा शनिवार को दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी फीचर फिल्म दिखा रही थी। तथापि, सितम्बर 2003 से प्र.भा. ने फिल्मों को रॉयल्टी आधार पर प्राप्त कर, इनका आन्तरिक विपणन प्रारम्भ कर दिया है। 1997 में तय की गई रॉयल्टी दरें सितम्बर 2004 में संशोधित की गईं। फिल्मों के पुरानेपन और वर्गीकरण (ब+, अ, अ+1, अ-सुपर, अ-प्रीमियम) के आधार पर संशोधित दर की सीमा 3 लाख रु. से 20 लाख रु. के बीच थी।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि पांच फिल्मों के सम्बन्ध में, प्र.भा. ने निर्धारित दरों से उच्चतर रॉयल्टी का भुगतान किया था जैसा कि नीचे वर्णित है:-

तालिका 1

(लाख रु. में)

क्र. सं.	फिल्म का नाम	पुरानापन (वर्ष)	प्रसारण की तिथि	निर्धारित रॉयल्टी दर	अदा की गई रॉयल्टी	अधिक अदायगी	अर्जित राजस्व
1.	दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे	1995	16.10.2004	7	20	13	62.90
2.	कुछ कुछ होता है	1998	22.10.2004	8	20	12	80.35
3.	मोहब्बतें	2001	23.10.2004	16	20	4	51.50
4.	हम दिल दे चुके सनम	1999	12.11.2004	8	20	12	102.20
5.	कभी खुशी कभी गम	2001	24.12.2004	16	20	4	86.95
	योग			55	100	45	383.90

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2005) कि इन तीन से नौ वर्ष पुरानी फिल्मों को उच्चतम श्रेणी, जिसका अभिप्राय ताजा फिल्मों से है (दो वर्ष से कम पुरानी), के तहत वर्गीकृत कर अभिकरणों को 20 लाख रु. की उच्चतम रॉयल्टी का भुगतान किया। प्र.भा. की अधिकृत समिति द्वारा इन फिल्मों को अ-प्रीमियम के अंतर्गत वर्गीकृत करने की छूट इस आधार पर प्रदान की गई थी (अक्टूबर 2004) कि फिल्में दर्शक संख्या में बढ़ोतरी तथा राजस्व वृद्धि हेतु उत्सव उपहार के रूप में अभिप्रेत थी। अधिकृत समिति के निर्णय को प्र.भा. द्वारा भी अभिपुष्ट किया गया था (दिसम्बर 2004)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल उपरोक्त पांच फिल्मों के वर्गों का उच्चीकरण भेदभावपूर्ण था क्योंकि इतनी पुरानी और भी फिल्में थी जिन्हें अक्टूबर-दिसम्बर 2004 के दौरान प्रसारित किया गया था और जिन्होंने उपरोक्त फिल्मों से अधिक राजस्व भी सृजित किया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

तालिका 2

(लाख रु. में)

क्र. सं.	फिल्म का नाम	पुरानापन (वर्ष)	प्रसारण की तिथि	निर्धारित रॉयल्टी दर	अदा की गई रॉयल्टी	अर्जित राजस्व
1.	खूबसूरत	1999	01.10.2004	6	6	86.80
2.	चाची 420	1997	09.10.2004	5	5	59.10
3.	कुरुक्षेत्र	2000	15.10.2004	12	12	105.90
4.	फिजा	2000	20.11.2004	12	12	85.70
5.	किस्मत	2004	18.12.2004	12	12	53.50
	योग			47	47	391.00

तथापि, इन फिल्मों के वर्गों को उच्चीकृत नहीं किया गया तथा इन्हें रॉयल्टी का भुगतान निर्धारित रॉयल्टी ढांचे के अनुसार किया गया। सदस्य (वित्त), प्रसार भारती,

अधिकृत समिति के एक सदस्य के रूप में अपनी हैसियत में, का भी विचार था (अक्टूबर 2004) कि उच्चतर रॉयल्टी के औचित्य का निर्धारण उच्चतर राजस्व सृजन के संदर्भ में होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि अधिकृत समिति केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही निर्धारित रॉयल्टी दर ढांचे से विचलन के लिए सक्षम थी। चूंकि पर्व एक नियमित घटना है, अतः वे परिस्थितियां, जिनके तहत उपरोक्त मामलों में दरों में काफी वृद्धि कर दी गयी, मुश्किल से ही अपवादात्मक कही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित दर कार्ड में दी गयी दरें, फिल्मों के पुरानेपन और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तावित दरों का विस्तृत विश्लेषण करने के पश्चात तय की गयी थी। इस प्रकार, प्र.भा. द्वारा संशोधित दर कार्ड में विनिर्दिष्ट दरों से उच्चतर दरों की अनुमति देने का निर्णय मनमाना एवं अनियमित था तथा जिसका परिणाम 45 लाख रु. की अधिक अदायगी में हुआ।

लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, प्र.भा. ने बताया (जून 2006) कि इस मामले में निर्णय दू.द. की दर्शक संख्या को उत्साहित करने की एवं लम्बी अवधि के रणनीति के भाग के रूप में किया गया था। इस पहल ने दू.द. को उसके दर्शकों के साथ एक संबंध स्थापित करने के योग्य ही नहीं बनाया बल्कि इसका परिणाम उत्पादकों/अधिकार धारकों द्वारा हाल ही की बेहतर और बड़ी फिल्में दूरदर्शन को प्रस्तावित करने में हुआ है। इस प्रयत्न की सफलता फिल्म स्लाटों से राजस्व प्राप्ति में 2004-05 में 69 करोड़ रु. से 2005-06 में 112 करोड़ रु. की वृद्धि के रूप में प्रदर्शित हुई थी। प्र.भा. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राजस्व में कुल वृद्धि केवल इन पांच फिल्मों के प्रसारण से ही नहीं थी बल्कि इसमें उन दूसरी फिल्मों की भी भागीदारी थी जिनकी रॉयल्टी निर्धारित दर ढांचे के अनुसार थी।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

7.6 संहिता के प्रावधानों के अपालन के कारण संदिग्ध गबन

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा निर्गत चैकों के लेखांकन के लिए जांच हेतु की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में संहिता के प्रावधानों को लागू करने में असफल रहने का परिणाम 20.60 लाख रु. के संदिग्ध गबन में हुआ

केन्द्र सरकार लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली के नियम 40 के अनुसार आहरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक चैक बुक की इसके प्राप्त होने पर ध्यान पूर्वक जांच की जानी चाहिए। उसे प्रत्येक चैक बुक में समाविष्ट प्रपत्रों की संख्या की गणना करनी चाहिए और उसके कोरे पन्ने पर गणना का प्रमाणपत्र दर्ज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चैक बुक लेखा अधिकारी और चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आ.सं.अ.)

की व्यक्तिगत अभिरक्षा में ताले में रखी जानी चाहिए। आ.सं.अ. को अपने कार्यमुक्त होने पर भारग्राही अधिकारी से उसे सुपुर्द किए गए प्रपत्रों की सही संख्या की पावती लेनी चाहिए। सिविल लेखे नियम पुस्तिका के पैराग्राफ 3.4.2 और 3.5.1 में भी सावधानियों को निर्धारित किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह नियत करता है कि चैक बुकों और रोजाना उपयोग किए जाने वाले चैक प्रपत्रों के लेखे, चैक आहरित करने वाले आ.सं.अ. द्वारा अनुरक्षित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कि 10 लाख रु. तथा इससे अधिक के लिए आहरित सभी चैकों पर श्रेणी का विचार किए बिना दो हस्ताक्षर दर्ज होने चाहिए। इसमें यह भी नियत किया गया है कि बैंक से प्राप्त सूचियों की जांच जारी किए गए चैकों की पंजिका के संदर्भ में की जाए।

लेखापरीक्षा ने अभिनिश्चित किया (फरवरी 2006) कि के.उ.के., नई दिल्ली, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली में एक चालू खाता अनुरक्षित कर रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि के.उ.के. के एक खलासी 'x' ने चैक बुक से एक चैक पन्ना चुराया और के.उ.के. के तत्कालीन आ.सं.अ. के नकली हस्ताक्षर बनाकर जुलाई 2005 में कपटपूर्वक 20.60 लाख रु. भुना लिए। धोखाधड़ी का पता 18 जुलाई 2005 को लगा जब आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जहां खलासी का लेखा था, के एक अधिकारी ने प्रबन्धक (लेखा एवं बजट) प्र.भा. मुख्यालय, नई दिल्ली को सूचित किया कि उक्त राशि 'x' द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में अपने खाते में जमा की गई थी और 8 जुलाई 2005 और 16 जुलाई 2005 के बीच उसके द्वारा आहरित की गई थी। के.उ.के. ने पुलिस स्टेशन, हौजखास, नई दिल्ली में 19 जुलाई 2005 को एक प्र.सू.रि. दर्ज की। मार्च 2006 तक राशि वसूल नहीं हो पायी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.उ.के. ने रोजाना उपयोग होने वाले चैकों के लेखों के अनुरक्षण, भुगतान सूची का चैक निर्गमन पंजिका से जांच, कोरी चैक बुकों की सुरक्षा और एक हस्ताक्षरकर्ता की बजाय दो हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर करना आदि जैसे निर्धारित संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। जिससे गबन आसान हो गया। यद्यपि चैक 1 जुलाई 2005 को खलासी द्वारा चुराया गया था इसके बावजूद के.उ.के. धोखाधड़ी का 18 जुलाई 2005 तक पता लगाने में नाकाम रहा, और वह भी केवल तब पता चला जब मामला आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के अधिकारी द्वारा संज्ञान में लाया गया। यदि आ.सं.अ. ने रोजाना उपयोग होने वाले चैकों का लेखा अनुरक्षित किया होता तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्य जांचों का उपयोग किया होता तो कम से कम समय पर चैक पन्ने की चोरी के बारे में पता लग जाता और बैंक को 'अदायगी रोकने' के आदेश दिए जा सकते थे।

अतः के.उ.के. के संहिता के प्रावधानों के अपालन का परिणाम 20.60 लाख रु. के गबन में हुआ। चूक केवल इस बात को इंगित करती है कि के.उ.के. को अपने आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की जरूरत है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने प्रणाली में कमियों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2006) कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए दूरदर्शन द्वारा निवारक उपाय किए गए थे।

अध्याय VIII : जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय

कोचीन पत्तन न्यास

8.1 कम दर पर पट्टा किराए की उगाही के कारण राजस्व की हानि

अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो यार्ड के अन्तर्गत क्षेत्र में खाली कन्टेनरों को रखने के लिए पट्टा किराए की कम दर पर अप्राधिकृत उगाही का परिणाम 88.60 लाख रु. की हानि में हुआ।

अप्रैल 1995 में अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (अं.क.डि.) यार्ड के संस्थापन पर कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) ने अं.क.डि. के अन्तर्गत क्षेत्र को खाली कन्टेनरों को रखने के लिए, कठोर सतह क्षेत्र, उड़न चिमनी क्षेत्र तथा अविकसित क्षेत्र अथवा उसके भाग हेतु क्रमशः 200 रु., 150 रु. तथा 140 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रतिमाह के पट्टा किराए पर देने का निर्णय लिया। जनवरी 1997 में राज्य के राजपत्र में अधिसूचित दर मान (द.मा.) के अनुवर्ती संशोधन में कठोर सतह क्षेत्र अथवा उसके भाग हेतु पट्टा किराया, 1 जुलाई 1996 से पाँच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि सहित 200 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रतिमाह निर्धारित किया था। उड़न चिमनी क्षेत्र एवं अविकसित क्षेत्र हेतु द.मा. में पृथक दरों का प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चार पट्टेदारों* के संबंध में को.प.न्या. ने दरों का संशोधन लागू नहीं किया बल्कि पहले की कम दर की उगाही जारी रखी। तथापि, नवंबर 2003 में इन पट्टेदारों में से दो पट्टेदारों के अस्थायी पट्टे के नवीकरण के समय को.प.न्या. ने 200 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर की संशोधित दर वसूल करना आरंभ किया। किंतु अन्य दो पट्टेदारों के संबंध में उसने तब भी कम दर पर वसूली जारी रखी तथा लेखापरीक्षा द्वारा यह मामला इंगित किए जाने के पश्चात जुलाई 2005 के बाद ही संशोधित दर उगाही गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जून 2005) के प्रत्युत्तर में को.प.न्या. ने बताया (जुलाई 2005) कि जगह के अधोपयोग से बचने के लिए उन्होंने कम दरों की उगाही की थी तथा अब वह द.मा. में अधिसूचित दर की उगाही कर रहा था। चूंकि उक्त अवधि के दौरान पट्टेदारों से उद्ग्रहीत दर एकरूपी नहीं थी तथा को.प.न्या. अधिसूचित दर वसूल करने के लिए बाध्य था, जैसा कि अब किया जा रहा है, उनका दावा तर्कसंगत नहीं है।

जुलाई 1996 से जून 2005 तक की अवधि हेतु द.मा. में निर्दिष्ट पट्टा किराए की वसूली में विफलता का परिणाम 88.60 लाख रु. की राजस्व हानि में हुआ।

* (i) मै. बे कन्टेनर टर्मिनल (प्रा.) लिमिटेड, (ii) मै. ए.पी.एल. एजेन्सीज़ इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड, (iii) मै. बिन्नी लिमिटेड तथा (iv) मै. चकियाट एजेन्सीज़ (प्रा.) लिमिटेड.

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2006)।

कोलकाता पत्तन न्यास

8.2 निष्फल व्यय

उचित श्रेणी एवं आकार की नौकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कोलकाता पत्तन न्यास की असफलता ने वर्चुअल जेटी के निर्माण पर 5.73 करोड़ रु. के खर्च को निष्फल बना दिया।

सागर द्वीप, कोलकाता के दक्षिण में लगभग 145 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जहां अक्तूबर से मार्च तक के साफ मौसम में कार्गो प्रचालन हेतु कोलकाता पत्तन न्यास (पत्तन न्यास) का सागर लंगरगाह (सागर) नामक एक लंगरगाह है। वर्ष भर ऐसे कार्गो का प्रचालन करने के लिए पत्तन न्यास ने नवम्बर 2000 में पांच लाख रु. की लागत से सागर में वर्चुअल जेटी नामक एक चार बाँय लंगर स्थल पद्धति की संस्थापना हेतु तकनीकी आर्थिक साध्यता का अध्ययन करने के लिए भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थान (भा.प.प्र.सं.) की नियुक्ति की। भा.प.प्र.सं. द्वारा जून 2001 में साध्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1.15 मिलियन टन के अतिरिक्त कार्गो के यातायात प्रक्षेपण को ध्यान में रखते हुए यह योजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई गई जिसका परिणाम प्रचालन के प्रथम वर्ष के दौरान 14.29 करोड़ रु. की अतिरिक्त आय में होता। रिपोर्ट में भा.प.प्र.सं. ने खराब मौसम के दौरान योजना की सफलता हेतु पर्याप्त नौकाओं के बेड़े, विशेषकर वाणिज्य जहाजरानी श्रेणी की नौकाओं (वा.ज. श्रेणी नौकाएं), की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड ने नवम्बर 2001 में 8.30 करोड़ रु. की अनुमानित लागत, जिसे पत्तन न्यास के आंतरिक स्रोतों से पूरा किया जाना था, पर वर्चुअल जेटी के निर्माण को अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, सागर में वर्चुअल जेटी की ओर जाने वाले जलमार्ग में तलछट को विद्यमान 7 मीटर से 7.8 मीटर तक बढ़ाने के लिए पत्तन न्यास द्वारा 2.2 मिलियन क्यूबिक मीटर तलकर्षण की प्राक्कलित मात्रा परिकल्पित की।

दिसम्बर 2002 और फरवरी 2004 के बीच 5.73 करोड़ रु. की लागत से बाँय और अन्य उपकरणों के निर्माण तथा उनके संस्थापन का कार्य पूरा हो गया। सागर लंगरगाह पर वर्चुअल जेटी को फरवरी 2004 में संस्थापित किया गया। फरवरी और अप्रैल 2005 के दौरान पत्तन न्यास ने सागर में वर्चुअल जेटी की ओर जाने वाले जलमार्ग के तलकर्षण पर 5.96 करोड़ रु. व्यय भी किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

- फरवरी 2004 से वर्चुअल जेटी वर्ष भर कार्गो प्रचालन के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। प्रणाली ने केवल एक जलयान, वह भी दिसम्बर 2004 के साफ मौसम में, का संचालन किया तथा नवम्बर 2006 तक खराब मौसम में वर्चुअल जेटी पर एक टन कार्गो का भी संचालन नहीं किया गया था।
- पत्तन न्यास को यह विदित था कि इस योजना की सफलता के लिए उपयुक्त श्रेणी एवं आकार की नौकाओं की उपलब्धता निर्णायक थी। अप्रैल 2002 में निजी नौका संचालकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वा.ज. श्रेणी की नौकाओं को चलाना किफायती नहीं होगा। उन्होंने इसकी बजाय वाणिज्यिक बेड़ा विभाग से उचित प्रबंधन के साथ आन्तरिक नौकाएं चलाने को प्राथमिकता दी। तथापि, वाणिज्य जहाजरानी अधिनियम, 1958 के अनुसार यह अनुज्ञेय नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रचालनों के लिए, आंतरिक नौकाओं हेतु उच्च श्रेणी के निर्माण तथा संचालकों की तैनाती अपेक्षित थी। नौका संचालक पर्याप्त कार्गो सहायता एवं टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत करने का आश्वासन भी चाहते थे। पत्तन न्यास इन मामलों पर ध्यान देने में असफल रहा जिसका परिणाम वर्चुअल जेटी पर नवम्बर 2006 तक भी नौकाओं की अनुपलब्धता में हुआ।
- लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पत्तन न्यास, वर्चुअल जेटी की ओर जाने वाले नौवहन जलमार्ग में तलछट में लक्षित बढोत्तरी प्राप्त नहीं कर सका, जो कि अधिकतम पानामैक्स आकार के जलयान को समायोजित करने के लिए आवश्यक था। 2.3 मिलियन क्यूबिक मीटर तलकर्षण, जिसकी परिकल्पना विद्यमान तलछट को 7 मीटर से 7.8 मीटर तक बढ़ाने के लिए की गई थी, के बाद भी जलमार्ग की ओर जाने वाला नौगम्य तलछट 6.9 मीटर ही रहा।

इस तरह वर्चुअल जेटी के निर्माण पर 5.73 करोड़ रु. का निवेश निष्फल रहा क्योंकि पत्तन न्यास उचित श्रेणी एवं आकार की नौकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में असफल रहा। अपेक्षित तलछट की अप्राप्ति ने भी वर्चुअल जेटी की क्षमता को सीमित कर दिया।

इस लेखापरीक्षा बिन्दु को स्वीकार करते हुए कि उपयुक्त नौकाओं की अनुपलब्धता ने वर्चुअल जेटी के उपयोग को प्रभावित किया है, पत्तन न्यास ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उसने वर्चुअल जेटी में निजी नौका संचालकों को पर्याप्त नौकाएं तैयार करने/निर्मित करने हेतु राजी करने के लिए सभी तरह के प्रयास किये। पत्तन न्यास ने यह भी बताया कि किया गया तलकर्षण कार्य तलकर्षण रखरखाव था तथा उसका वर्चुअल जेटी के विकास से कोई संबंध नहीं था क्योंकि यह नियमित कार्य था और पत्तन न्यास के

सामान्य तलकर्षण रखरखाव का एक भाग था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अपने संस्थापन के पौने तीन वर्षों से अधिक के बाद भी वर्चुअल जेटी पर निवेश निष्फल रहा है।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

8.3 अपव्यय

पत्तन न्यास ने परामर्शदाता की सिफारिशों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किए बिना तट-आधारित मार्गदर्शी स्टेशन, जिसे त्यागना पड़ा, पर 3.07 करोड़ रु. का अपव्यय किया।

मार्गदर्शी पोतों को प्लवमान मार्गदर्शी स्टेशनों के तौर पर लगाने की दीर्घकालिक पद्धति को बन्द करने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (पत्तन न्यास) ने सितम्बर 1997 में सागर द्वीप में तट-आधारित मार्गदर्शी स्टेशन के लिए स्थल के चयन सहित साध्यता अध्ययन करने के लिए धातुकर्मीय अभियांत्रिकी एवं परामर्शदाता (भारत) लिमिटेड (धा.अ.प.) की नियुक्ति की। धा.अ.प. ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1998 में प्रस्तुत की। धा.अ.प. ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि बांध/तटबंध द्वारा लहर के प्रभाव और ज्वारीय उतार-चढ़ाव के विरुद्ध प्रवेश जलमार्ग तथा बंदरगाह की रक्षा के उपायों के साथ प्रवेश जलमार्ग और बंदरगाह के तलकर्षण/उत्खनन का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। अधिक गाद से बचाव के लिए धा.अ.प. ने नहर के खोदे हुए मार्ग का लगातार तलमार्जन करने की भी सिफारिश की। धा.अ.प. की रिपोर्ट के आधार पर पत्तन न्यास ने तट-आधारित मार्गदर्शी स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय किया (जून 1998)।

पत्तन न्यास ने प्रवेश जलमार्ग और बंदरगाह के तलकर्षण/उत्खनन और तटबंध निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। पत्तन न्यास ने प्रवेश जलमार्ग और बंदरगाह के तलकर्षण/उत्खनन तथा तटबंध निर्माण का कार्य 2.87 करोड़ रु. की लागत पर एक निजी कम्पनी (कम्पनी) को सौंपा (जून 1999)। कार्य दिसम्बर 2000 तक पूरा होना था। चूंकि बढ़ाई गयी अवधि (जून 2001) तक भी ठेकेदार कार्य पूरा करने में असफल रहा, पत्तन न्यास ने ठेका अगस्त 2001 में समाप्त कर दिया। कम्पनी को भुगतान की गई कुल राशि 3.07 करोड़ रु. थी जिसमें आपातकालीन कार्य के लिए उसी ठेकेदार को अदा किए गए 21.42 लाख रु. शामिल थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

- मार्च 2000 तक 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था। लेकिन अप्रैल 2000 से ज्वारीय लहरों ने तटबंधों को आघात पहुँचाना शुरू कर दिया। जून 2000 तक

ज्वारीय लहरों के प्रभाव के कारण जलमार्ग का एक भाग काफी हद तक गाद से भर गया। जुलाई 2000 में कार्य को पहुँची क्षति के प्रति आपातकालीन प्रकृति के कार्य के लिए 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि संस्वीकृत की गई और कार्य को तुरन्त आरंभ किया गया। लेकिन जुलाई 2000 तक बहुत अधिक गाद जमा हो गई थी तथा जलमार्ग के उत्तरी भाग पर लहर क्रिया द्वारा ढेर का एक भाग पूरी तरह नष्ट हो गया। कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदार को छः महीने का विस्तार प्रदान किया गया। बिल का भुगतान न होने के बहाने पर जुलाई 2001 में कम्पनी ने कार्य स्थगित कर दिया। कार्य पूरा करने में कम्पनी की असफलता को देखते हुए पत्तन न्यास ने अगस्त 2001 में ठेका बंद करने का निर्णय किया। पत्तन न्यास ने पहले किये गये कार्यों की रक्षा और रख-रखाव के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जिसने 3.07 करोड़ रु. की कुल लागत पर सृजित प्रवेश जलमार्ग और बंदरगाह के साथ के तटबंध के कार्य को अपव्यय बना दिया।

- पत्तन न्यास ने बताया (सितम्बर 2005) कि न्यास के सामने यह स्पष्ट नहीं था कि पाटी गई वस्तुओं से बंदरगाह के इर्द-गिर्द बने बांध और प्रवेश जलमार्ग की प्राकृतिक शक्तियों से रक्षा कैसे की जाए। पत्तन न्यास ने यह भी स्वीकार किया कि प्रकृति की सनक के कारण तट-आधारित मार्गदर्शी स्टेशन के उद्देश्यों/अपेक्षाओं को इच्छित सीमा तक पूरा नहीं किया जा सका। यह दर्शाता है कि धा.अ.प. द्वारा सुझाए गए उपायों की प्रभावोत्पादकता का पर्याप्त मूल्यांकन किये बिना ही धा.अ.प. की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयास किए गए।

इस प्रकार धा.अ.प. द्वारा सुझाए गए उपायों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किए बिना धा.अ.प. की सिफारिशों को लागू कर पत्तन न्यास ने तट-आधारित मार्गदर्शी स्टेशन के अव्यवहार्य कार्य पर 3.07 करोड़ रु. का अपव्यय किया।

मामला अगस्त 2005 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

8.4 अधिक व्यय

कोलकाता पत्तन न्यास ने गैर अंशदायी भविष्य निधि शेष पर अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर के प्रति गलत ब्याज दर लगाई जिसका परिणाम 50 लाख रु. के अधिक ब्याज के भुगतान में हुआ।

मार्च 2003 में, पत्तन न्यास ने पाया कि विभिन्न प्रतिभूतियों में गैर अंशदायी भविष्य निधि (गै.अं.भ.नि.) की अतिरिक्त निधि के निवेश पर प्रतिफल उनकी रेटिंग (एएए से ए) के अनुरूप 6.5 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत की दर के बीच थे जो कि गै.अं.भ.नि. के

सदस्यों को उनके निधि शेष पर 2002-03 में 9.5 प्रतिशत की दर से दिए जा रहे ब्याज की दर से काफी कम था। परिणामस्वरूप 2002-03 के दौरान अर्जित ब्याज सदस्यों को अदा किए गये ब्याज की तुलना में कम था जिसके कारण गै.अं.भ.नि. को हानि हुई। 31 दिसम्बर 2002 को गै.अं.भ.नि. खाते में संचित घाटा 15.12 करोड़ रु. था।

मार्च 2003 में गै.अं.भ.नि. के बेहतर प्रबंधन हेतु तथा आगामी हानि से बचने के लिए पत्तन न्यास ने 1 अप्रैल 2003 से गै.अं.भ.नि. सदस्यों को देय ब्याज दर वर्तमान 9.5 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) पर देय ब्याज दर में जो भी कम हो, कर दी।

यद्यपि इस अवधि में सा.भ.नि. के सदस्यों के लिए स्वीकृत विद्यमान ब्याज दर 8 प्रतिशत थी तथापि गै.अं.भ.नि. के सदस्यों को 1 अप्रैल 2003 से 29 मार्च 2004 तक 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया गया। जब मार्च 2004 में पत्तन न्यास को इसका पता चला तो पत्तन न्यास ने, अपने मार्च 2003 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए गै.अं.भ.नि. पर 1 अप्रैल 2003 से 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का कार्यांतर अनुमोदन प्रदान कर दिया। इसका परिणाम गै.अं.भ.नि. के सदस्यों को ब्याज के भुगतान हेतु 50 लाख रु. के अधिक व्यय में हुआ।

पत्तन न्यास ने यह कहते हुए कि भविष्य निधि अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी उचित स्रोतों से सा.भ.नि. की चालू दर प्राप्त करने से परिचित नहीं थे, 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के बदले 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के भुगतान में असावधानीवश भूल होना स्वीकार किया (नवम्बर 2006)। आगे यह बताया गया कि गै.अं.भ.नि. के सदस्यों को 2003-04 की अवधि में 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देने में कोई अनियमितता नहीं थी, क्योंकि यह न्यासी बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर दिया गया था।

यह तर्क ग्राह्य नहीं है क्योंकि गै.अं.भ.नि. के सदस्यों को 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का बोर्ड का निर्णय केवल पहले की गई गलती को नियमित करने के लिए था। यह विश्वसनीय नहीं है कि उचित स्रोतों से सा.भ.नि. की वर्तमान ब्याज दर प्राप्त करना इतना कठिन कार्य था।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

समुद्री अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

8.5 अपव्यय

निर्माता से सम्पर्क करने के बजाय स्थानीय कम्प्यूटर प्रतिष्ठान द्वारा एक कीमती उपकरण की हार्ड डिस्क को बदलवाने के अविवेकपूर्ण निर्णय के साथ अनिर्णय तथा अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव का परिणाम 44.65 लाख रु. के अपव्यय में हुआ। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, जिसके लिए उपकरण खरीदा गया था, 10 वर्षों तक प्रदान नहीं किया जा सका।

समुद्री अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता (स.अ.अ.सं.) को समुद्री जहाजों पर अग्निशमन पर विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए एक निष्क्रिय गैस अनुसूचक की आवश्यकता थी। स.अ.अ.सं. ने पुणे आधारित सहयोगी प्रतिष्ठान, जो विदेशी निर्माता 'सिस्टमी टेकनोलोजीकी एजुकेशनली मल्टीमेडीयाली, इटली' (सि.टे.ए. म.) का एकमात्र भारतीय एजेंट है, से अनुसूचक प्राप्त किया और 44.65 लाख रु. की लागत से अगस्त 1996 तक वैध वारंटी के साथ अगस्त 1995 में प्रतिस्थापित किया।

स.अ.अ.सं. ने कीमती उपकरण को वार्षिक रख-रखाव अनुबन्ध के अन्तर्गत आच्छादित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सितम्बर 1996 में, वारंटी अवधि की समाप्ति के ठीक बाद, उपकरण के एक भाग, कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क, में क्षति के कारण उपकरण खराब हो गया।

उपकरण के खराब होने के बाद दिसम्बर 1996 में स.अ.अ.सं. ने प्राधिकृत भारतीय एजेंट अथवा आपूर्ति प्रतिष्ठान से सम्पर्क करने के बजाय एक स्थानीय कम्प्यूटर प्रतिष्ठान द्वारा उपकरण की मूल हार्ड डिस्क को बदलवाया। तथापि, स.अ.अ.सं. द्वारा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को नई हार्ड डिस्क पर प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका, यहां तक कि सि.टे.ए.म. तथा उनका भारतीय एजेंट भी इसकी प्रतिस्थापना नहीं कर सका और अनुसूचक निष्क्रिय रहा। सितम्बर 1998 में सि.टे.ए.म. इसमें अपेक्षित कार्यक्रम डाल कर स.अ.अ.सं. को एक हार्ड डिस्क भेजने के लिए सहमत हुआ तथा इसे 2 अक्टूबर 1998 को प्रेषित कर दिया। डिस्क सहित पार्सल कोलकाता स्थित डाक घर के विदेशी पार्सल विभाग में 20 अक्टूबर 1998 को पहुंचा और स.अ.अ.सं. द्वारा अनुसंधान के अभाव के कारण सीमा शुल्क की निकासी की प्रतीक्षा में एक वर्ष से भी अधिक समय तक वहां पड़ा रहा। दिसम्बर 1999 में सि.टे.ए.म. ने सूचित किया कि प्रणाली Y2K की अनुपालना में नहीं थी। सि.टे.ए.म. ने आगे बताया कि उन्होंने नये सॉफ्टवेयर का विकास किया था जो Y2K की आवश्यकताओं का अनुपालन कर सकेगा और यदि स.अ.अ.सं. नए सॉफ्टवेयर की मांग करे तो वे एक नई वारंटी के साथ स्थल पर 100 प्रतिशत तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। स.अ.अ.सं. ने इसकी मांग नहीं की।

जनवरी 2000 में जब स.अ.अ.सं. ने सीमा शुल्क विभाग से अक्टूबर 1998 में इसे भेजे गये कार्यक्रम धारित हार्ड डिस्क को मुक्त कराया, वह Y2K के अनुपालन में नहीं होने के कारण कार्य करने में असफल रही। स.अ.अ.सं. ने आगे मामले का निराकरण और अनुरूपक को प्रचालित करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई नहीं की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जनवरी 2005) पर इसने मामला निर्माता के साथ उठाया (फरवरी 2005)। प्रत्युत्तर में भारतीय एजेंट ने स.अ.अ.सं. को सूचित किया (अप्रैल 2005) कि अनुरूपक अप्रचलित हो गया था तथा 30.66 लाख रु. की लागत वाले एक नए मॉडल से इसको बदलने का सुझाव दिया लेकिन स.अ.अ.सं. ने नवम्बर 2006 तक इस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं की। एक दशक से भी अधिक की इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों को अनुरूपक के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण के लाभ से वंचित किया गया था।

इस प्रकार वार्षिक रख-रखाव अनुबंध के अन्तर्गत निष्क्रिय गैस अनुरूपक को आच्छादित करने में स.अ.अ.सं. की असफलता तथा उसके बाद Y2K की अनुपालना वाले सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के अनिर्णय तथा वैकल्पिक 'अनुरूपक' के लिए व्यवस्था करने में निष्क्रियता का परिणाम विद्यार्थियों को पिछले 10 वर्षों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण से वंचित रहने में हुआ। इसके अतिरिक्त 44.65 लाख रु. का खर्च भी अपव्यय बन गया।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर नवम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

मुंबई पत्तन न्यास

8.6 जलयान के रखरखाव पर निष्फल व्यय

फालतू और अकार्यात्मक अग्नि नौका के रखरखाव पर 2.95 करोड़ रु. का अनावश्यक व्यय।

मुंबई पत्तन न्यास (पत्तन) ने फरवरी 1994 में 4.11 करोड़ रु. की लागत पर अग्नि नौका ज्योत्स्ना की अधिप्राप्ति तथा संस्थापन किया। पत्तन ने अतःनिर्मित अग्निशमन क्षमतायुक्त दो अत्यधिक गत्यात्मकता वाले 45 टन के बहुदेशीय बोलार्ड पुल टग्स की अधिप्राप्ति की, जिन्हें अक्टूबर/नवम्बर 2000 में संस्थापित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

- अग्नि नौका ज्योत्स्ना फरवरी 1994 से जुलाई 1996 तक कर्मिदल के अभाव में बेकार पड़ी रही। अगस्त 1996 में कर्मिदल तैनात करने के बाद भी, पम्प इंजिनों पर लगे एयर स्टार्टरों के खराब होने और पत्तन के पार्श्व इंजिनों के जकड़ जाने

के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका। जुलाई 1999 से जलयान वृहद मरम्मत हेतु पड़ा रहा और दिसम्बर 2002 में इसे पुनर्संस्थापित किया गया तथा अप्रैल 2003 में इसे फालतू घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अग्नि नौका ज्योत्स्ना अपने अभिप्रेत कार्य के लिए शायद ही कभी उपलब्ध रही।

- अक्टूबर/नवंबर 2000 में अंतःनिर्मित अग्निशमन क्षमतायुक्त दो अत्यधिक गत्यात्मकता वाले 45 टन के बहुदेशीय बोलार्ड पुल टग्स के संस्थापन के साथ ही, एक समर्पित अग्नि नौका के प्रचालन और रखरखाव की आवश्यकता समाप्त हो गई। फिर भी पत्तन ने अग्नि नौका ज्योत्स्ना के निपटारे पर कोई विचार नहीं किया, हालाँकि अग्नि संबंधी आकस्मिकता का सामना करने के लिए यह कमोबेश अनुपलब्ध रही थी तथा एक लम्बी अवधि के लिए वृहद मरम्मत हेतु पड़ी रही थी।
- 45 टन के दो बहुदेशीय बोलार्ड पुल टग्स के संस्थापन की तारीख से तीन वर्ष बीत जाने के बाद, अप्रैल 2003 में पत्तन ने अग्नि नौका ज्योत्स्ना को फालतू घोषित किया। लेकिन मार्च 2006 तक पत्तन द्वारा इसका निपटान नहीं किया गया। इसी बीच दिसंबर 2000 से मार्च 2006 तक पत्तन ने अग्नि नौका ज्योत्स्ना के कर्मियों के वेतन के भुगतान तथा इसकी मरम्मत एवं रखरखाव पर 5.44 करोड़ रु. का व्यय किया। यह व्यय परिहार्य था, क्योंकि अंतःनिर्मित अग्निशमन क्षमतायुक्त 45 टन के बहुदेशीय बोलार्ड पुल टग्स के संस्थापन के साथ ही एक समर्पित अग्नि नौका, जो अधिकांशतः अकार्यात्मक पड़ी थी, के रखरखाव की शायद ही कोई आवश्यकता थी।

पत्तन ने बताया (अक्टूबर 2005) कि दो नए टग्स के आगमन के बाद अग्नि नौका ज्योत्स्ना की उपयोगिता काफी कम हो गई थी और इसे विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था तथा इसे चालू हालत में रखने हेतु इस पर थोड़ा बहुत व्यय किया जाना जरूरी था। आगे यह भी बताया गया कि अग्नि नौका एक बहुत जरूरी उपकरण था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिकांशतः अकार्यात्मक रहने वाली अग्नि नौका को बनाए रखने के प्रयास की उपयोगिता विशेष रूप से, उच्च क्षमतायुक्त फायर पम्पों वाले दो बहुदेशीय टग्स के संस्थापन (अक्टूबर/नवम्बर 2000) के बाद, संदेहास्पद थी तथा इस प्रकार मई 2003 से मार्च 2006 तक इस पर किया गया 2.95 करोड़ रु. का व्यय परिहार्य था।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

8.7 अधिक व्यय

घाट सुविधा प्रदान करने के लिए अपेक्षित घाट दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण के कार्य को प्रदान करने में मुंबई पत्तन न्यास ने छः वर्षों तक विलंब किया जिसका परिणाम घाट सुविधा की उपलब्धता घटने तथा 1.30 करोड़ रु. की लागत वृद्धि में हुआ।

तटीय यातायात को घाट सुविधा प्रदान करने के लिए मुंबई पत्तन न्यास (पत्तन) द्वारा हे बंदर स्थित घाट दीवार का इस्तेमाल किया जाता है। अगस्त 1997 में 730 मीटर की कुल लंबाई में से 200 मीटर की घाट दीवार का हिस्सा भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। पत्तन ने क्षतिग्रस्त घाट दीवार के पुनर्निर्माण का कार्य मार्च 2001 में प्रदान किया, जिसके लिए कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 15 सितम्बर 2002 थी। कार्य नवम्बर 2002 में पूर्ण हुआ। इसी बीच अगस्त 2000 में क्षतिग्रस्त घाट दीवार का 250 मीटर लम्बाई का निकटवर्ती हिस्सा भी ढह/झुक गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- जब अगस्त 2000 में 250 मीटर के घाट दीवार का हिस्सा ढह गया था तो 200 मीटर के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए निविदाओं की संवीक्षा की प्रक्रिया जारी थी तथा संपूर्ण क्षतिग्रस्त हिस्से के लिए कार्य प्रदान किया जा सकता था। परन्तु पत्तन ने क्षतिग्रस्त दीवार के सम्पूर्ण हिस्से के लिए एक संयुक्त निविदा आमंत्रित करना व्यावहारिक नहीं पाया।
- पत्तन ने 250 मीटर के दीवार के पुनर्निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर अलग से करने का निर्णय लिया। हालांकि इस हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 3.32 करोड़ रु. का प्राक्कलन अगस्त 2000 में ही तैयार था परन्तु निविदा जुलाई 2003 में ही, अर्थात् लगभग तीन वर्षों की अवधि बीतने के बाद, मंगवाई गई। अपर्याप्त प्रत्युत्तर के कारण निविदा रद्द करनी पड़ी थी। दूसरी निविदा जुलाई 2004 में मंगवाई गई परन्तु उसकी भी वही नियति हुई।
- तीसरी बार मई 2005 में 3.48 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर निविदा मंगवाई गई थी परन्तु कॉफरडैम की लागत समाविष्ट न करने के कारण निविदा रद्द करने का निर्णय लिया गया (फरवरी 2006)। कॉफरडैम के निर्माण की लागत को 200 मीटर क्षेत्र से संबंधित कार्य के मामले में भी अतिरिक्त मद के रूप में समाविष्ट किया गया था, इसका अर्थ है पत्तन ने कोई सीख नहीं ली और मई 2005 में निविदा मंगवाते समय वही चूक की।

- चौथी बार निविदा की लागत 4.42 करोड़ रू (अप्रैल 2006) रखी गई तथा कार्य 4.62 करोड़ रू के न्यूनतम बोलीकर्ता को प्रदान किया गया (सितम्बर 2006)।

इस प्रकार पत्तन ने घाट दीवार के 250 मीटर के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण का कार्य प्रदान करने में छः दीर्घ वर्ष लिए जिसका परिणाम मुम्बई पत्तन के पास उपलब्ध घाट व्यवस्था के घटने के अतिरिक्त 1.30 करोड़ रू की लागत वृद्धि में हुआ।

जवाब में पत्तन ने बताया (अगस्त 2006) कि एक संयुक्त योजना के रूप में सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन से तटीय रेखा का और भी कटाव हो सकता था तथा प्राक्कलन की मंजूरी के बाद निविदा औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए कुछ पर्याप्त समय अपेक्षित था। आगे यह बताया गया कि कार्य स्थल परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त मर्दों की आवश्यकता के कारण निविदा प्रावधानों से अधिक व्यय हुआ।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दस्तावेजों में यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं था कि संयुक्त योजना से तटीय रेखा का कटाव हो सकता था तथा एक संगठन, जो अत्यन्त गतिशील वातावरण में कार्य करता है, द्वारा कार्य प्रदान करने में ही छः वर्षों का विलम्ब असाधारण है। यह विडम्बनापूर्ण है कि एक कार्य, जिसे प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया गया था (अगस्त 2000), को छः दीर्घ वर्ष बीतने के बाद प्रदान किया गया।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर नवम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय IX : लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

9.1 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नियमों के गलत प्रयोग का परिणाम पदाधिकारियों को अदेय वित्तीय लाभ में हुआ। लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर 169 अधिकारियों से 22.66 लाख रु. के अधिक वेतन व भत्ते की वसूली की गई है।

मू.नि. 22(1)(अ)(2) के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे पद के धारक को, जिसके वेतन को संशोधित किया गया है, इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि वह उच्च उत्तरदायित्व को समाविष्ट न करने वाले नये पद पर स्थानांतरित किया गया हो तथा उसका वेतन संशोधित वेतनमान में पुराने वेतनमान में उसके द्वारा आहरित वेतन के ऊपर अगले चरण में निर्धारित किया जाएगा तथा वह अपनी अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष की अपेक्षित अवधि के समाप्त होने के उपरान्त आहरित करेगा।

भारत सरकार ने दिसम्बर 1998 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.) के सहायक निदेशक एवं उससे ऊपर के दर्जे की पांच श्रेणियों के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन को अनुमोदित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि उन्नयन के आदेश को अमल में लाते समय अगली वेतन वृद्धि की तिथि (अ.वे.वृ.ति.) को संशोधनपूर्व वेतन में अगली वेतन वृद्धि तिथि (अ.वे.वृ.ति.) के अनुसार ही पुनः प्रतिष्ठित किया गया और उन मामलों में जहां वरिष्ठ व कनिष्ठ समान वेतन प्राप्त कर रहे थे, असंगति को दूर करने हेतु वरिष्ठ की अगली वेतन वृद्धि की तिथि (अ.वे.वृ.ति.) को संशोधनपूर्व वेतनमान में कनिष्ठ की अ.वे.वृ.ति. तक बढ़ा दिया गया था।

दिसम्बर 1998 से 169 अधिकारियों को लाभ प्रदान करने के पश्चात खा.ग्रा.आ. ने उपरोक्त मामला मई 2000 में मंत्रालय को प्रेषित किया। मंत्रालय ने आंतरिक वित्त स्कंध की सहमति से सितम्बर 2000 में स्पष्ट किया कि खा.ग्रा.आ. के अधिकारियों के वेतन मान के उपरिमुखी संशोधन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों में बिना किसी बदलाव के प्रदान किए गए थे इसलिए वेतन का नियमन मू.नि. 22(1)(अ)(2) के अनुसार किया जाना था।

तथापि, मंत्रालय से स्पष्ट दिशानिर्देश के उपरान्त भी खा.ग्रा.आ. ने नियमों के उल्लंघन में पदोन्नत अधिकारियों की अ.वे.वृ.ति. को पूर्व निर्धारित वेतन मान के अनुसार पुनः

प्रतिष्ठित करने का निर्णय किया। इसका परिणाम दिसम्बर 1998 से 169 अधिकारियों को 25.91 लाख रू. के अदेय वित्तीय लाभ में हुआ।

जनवरी 2002 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्रतिक्रिया में खा.ग्रा.आ. ने दिसम्बर 1998 से दिसम्बर 2002 तक 169 अधिकारियों को प्रदान किए गए 25.91 लाख रू. के अधिक वेतन व भत्तों की वसूली हेतु सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी थी (अप्रैल 2004)। अक्टूबर 2006 तक 22.66 लाख रू. की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष 3.25 लाख रू. की वसूली संबंधित अधिकारियों के मासिक वेतन बिलों से की जा रही थी। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2006) में तथ्यों की पुष्टि की थी।

9.2 अवसूली और ब्याज की हानि

खादी व ग्रामोद्योग आयोग वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वित्तपोषित इकाइयों से 1.33 करोड़ रू. का पंजीकरण शुल्क वसूलने में विफल रहा जिसका परिणाम अप्रैल 2003 से मार्च 2006 की अवधि के लिए 12.82 लाख रू. के ब्याज की हानि में हुआ।

खादी व ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.) के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (ग्रा.रो.सू.का.) के मार्गनिर्देशों के अनुसार, वित्तीय छूट पाने की इच्छुक इकाइयों को परियोजना लागत के एक प्रतिशत तथा तीन वित्तीय वर्षों के बाद नवीकरण हेतु आधा प्रतिशत दर पर पंजीकरण शुल्क देकर आयोग में पंजीकृत होना अपेक्षित था। तथापि खा.ग्रा.आ. ने ग्रा.रो.सू.का. के अंतर्गत वित्तपोषित सभी इकाइयों के लिए अप्रैल 2003 से पंजीकरण कराना आवश्यक कर दिया। लाभार्थियों को बैंक की वित्त सहायता की पहली किश्त जारी करते समय वित्तपोषक बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक की केन्द्रक शाखा को आंशिक राशि का दावा तथा पंजीकरण शुल्क सहित पंजीकरण हेतु आवेदन खा.ग्रा.आ. के संबंधित राज्य कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया जाए।

खा.ग्रा.आ. के केरल व महाराष्ट्र स्थित राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2003-04 से 2005-06 के दौरान ग्रा.रो.सू.का. योजना के अंतर्गत वित्तपोषित 2839 इकाइयों में से केवल 301 इकाइयां ही पंजीकृत थीं और पंजीकरण शुल्क के रूप में 23.51 लाख रू. वसूल किए गए थे। शेष 2538 इकाइयां, जो कि कुल इकाइयों की संख्या का 89 प्रतिशत थी, गैर-पंजीकृत थीं और 1.33 करोड़ रू. का पंजीकरण शुल्क वसूल किया जाना शेष था।

जवाब में आयोग ने बताया (जुलाई 2006) कि इकाइयों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व खा.ग्रा.आ. तथा वित्तपोषक बैंकों के बीच बांटा गया था और इकाइयों का पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय बार-बार वित्तपोषक बैंकों से संपर्क

कर रहे थे। यह भी बताया गया कि स्थिति की समीक्षा किए जाने के पश्चात बिना विफल हुए इकाइयों के पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इस प्रकार, इकाइयों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने में आयोग की विफलता का परिणाम 1.33 करोड़ रू. के राजस्व की अवसूली तथा मार्च 2006 तक 12.82 लाख रू. की ब्याज की हानि में हुआ।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर अक्टूबर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय X : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय न्यास

10.1 संसद के अधिनियम के उल्लंघन में सहायता अनुदान जारी करना

राष्ट्रीय न्यास ने संसद के अधिनियम के उल्लंघन में 2003-05 के दौरान “राहत संस्थान स्थापना योजना” के अंतर्गत दो संगठनों, जिनके पदाधिकारी न्यास के मंडल के सदस्य भी थे और जिनका पंजीकरण समाप्त हो चुका था, को 19.46 लाख रु. की सहायता अनुदान जारी की।

राष्ट्रीय न्यास (न्यास) एक सांविधिक निकाय है जो 1999 में संसद के अधिनियम द्वारा आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क अपंगता, दिमागी मंदता तथा बहुल अपंगता से ग्रसित लोगों के कल्याण हेतु स्थापित की गई थी। उपरोक्त अधिनियम के अध्याय II की धारा 3(2) ने न्यास के मामलों और व्यवसाय को सामान्य प्रबन्धन मंडल में निहित किया है जो सभी अधिकारों का प्रयोग करता है और न्यास द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को करता है। अध्याय II की धारा 4(5) कहती है कि मंडल का कोई सदस्य पद पर कार्यरत रहने की अवधि के दौरान न्यास का लाभार्थी नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2005) कि चूंकि दो गैर सरकारी संगठनों (गै.स.सं.) के पदाधिकारी मंडल के भी सदस्य थे उपरोक्त अधिनियम की धारा 4(5) के अनुसार ये संस्थाएं किसी प्रकार की सहायता अनुदान के लिए पात्र नहीं थी, तथापि न्यास ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में 2003-05 के दौरान “राहत संस्थान स्थापना योजना” (रा.सं.स्था.योजना) के अंतर्गत इन गै.स.सं. को 10.97 लाख रु. का सहायता अनुदान जारी किया जो अनियमित था। यह भी देखा गया कि चूंकि इन गै.स.सं. का पंजीकरण क्रमशः दिनांक 11 और 12 मार्च 2005 को समाप्त हो चुका था उसके बाद वे रा.स.स्था. योजना की धारा 4 के अनुसार किसी सहायता अनुदान की पात्र नहीं थी। तथापि न्यास ने इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उक्त योजना के अंतर्गत इन गै.स.सं. को 8.49 लाख रु. की और सहायता अनुदान जारी की (जून 2005)।

इस प्रकार न्यास द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का परिणाम वर्ष 2003-05 के दौरान दो गै.स.सं. को 19.46 लाख रु. (10.97 लाख रु. और 8.49 लाख रु.) की अनियमित सहायता अनुदान जारी करने में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रत्युत्तर में न्यास ने बताया (दिसम्बर 2005) की आगे से न्यास अधिनियम के प्रावधानों का शब्द और भाव से पालन करेगा और जिनका न्यास के

मंडल में प्रतिनिधित्व है, ऐसे किसी गै.स.सं. को कोई सहायता अनुदान संस्वीकृत नहीं करेगा। बाद में न्यास ने बताया (जुलाई 2006) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए उसने दोनों संस्थानों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिए थे।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2006) कि जिन दो गै.स.सं. के पदाधिकारियों को 9 दिसम्बर 2003 से मंडल के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था उन्हें मंडल के सदस्य के तौर पर उनकी पदावधि के दौरान केवल 13.23 लाख रु. का सहायता अनुदान अदा किया गया था। उसने आगे बताया कि यदि ऐसे गै.स.सं. को अनुदान जारी करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिनके सदस्य न्यास के पदाधिकारी हैं, तो गै.स.सं. वास्तविक लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उसने गै.स.सं. को उनके पंजीकरण की तिथि के बाद 8.49 लाख रु. अनुदान जारी किए जाने को इस आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराया कि प्रारम्भिक पंजीकरण अवधि की निरंतरता में पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया जारी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पदाधिकारी 22 अगस्त 2003 को उनके चयनित होने की घोषणा की जाने की तिथि से मंडल के सदस्य हुए मान लिए गए थे। परिणामस्वरूप, इन गै.स.सं. को अगस्त 2003 से दिसम्बर 2003 के बीच की अवधि के दौरान अदा की गई 6.23 लाख रु. की सहायता अनुदान अनैतिक थी। इसके अतिरिक्त जिन गै.स.सं. के पदाधिकारी मंडल के सदस्य थे उन्हें इस आधार पर अनुदान जारी करने का मंत्रालय का औचित्य कि गै.स.सं. वास्तविक लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते, संसद द्वारा पारित अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान की दृष्टि में सही नहीं है। गै.स.सं. को उनका पंजीकरण समाप्त हो जाने के बाद सहायता अनुदान जारी करना भी अनियमित था क्योंकि वे रा.सं.स्था. योजना की धारा 4 के अनुसार किसी सहायता अनुदान के लिए पात्र नहीं थे। अतः तथ्य यह रह जाता है कि न्यास ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया और 2003-05 के दौरान दो गै.स.सं. को अनियमित रूप से 19.46 लाख रु. का सहायता अनुदान जारी किया।

अध्याय XI : शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

11.1 निधियों का अवरोधन

ठेकेदार को संरचनात्मक नक्शा तथा सामग्री उपलब्ध कराने में विलम्ब के साथ सम्पूर्ण निष्क्रियता का परिणाम 1.91 करोड़ रु. की निधियों के अवरोधन तथा सभा केन्द्र के निर्माण में तीन वर्षों के विलम्ब में हुआ।

नियमावली¹ में प्रावधान है कि जब तक अनुबंधित सामग्री उपलब्ध न हो या कार्य शुरु होने से पहले उनका प्राप्त होना संभाव्य न हो जाए तथा निविदायें आमंत्रण के समय ठेकेदार को उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक वास्तु-संबंधी एवं संरचनात्मक नक्शों के साथ-साथ विनिर्देशन तैयार न हो उस समय तक निविदायें आमंत्रित नहीं की जाएंगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के पूर्वी मंडल-IX के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि शास्त्री पार्क में 11 करोड़ रु. की लागत से एक सभा केन्द्र बनाया जाना था। इस निर्माण कार्य में भवन का निर्माण, सेवाएं, बागवानी कार्य, जल अवरोधक एवं बिजली कार्य शामिल थे। भवन का निर्माण कार्य क्रमशः नवम्बर 2002 तथा नवम्बर 2003 की आरम्भ तथा समापन की तिथियों के साथ 3.54 करोड़ रु. की समझौता राशि पर अक्टूबर 2002 में एक ठेकेदार को प्रदान किया गया।

तथापि, करार की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को 156 दिनों तक संरचनात्मक नक्शा प्रदान न करने में दि.वि.प्रा. की विफलता, 437 दिनों तक टी.एम.टी. स्टील जारी न करने, 62 दिनों तक सीमेंट की अनुपलब्धता तथा 32 दिन के लिए विद्युतीय केबल न डालने के कारण बेसमेंट स्लैब ढालने में विलम्ब के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई थी। ठेकेदार ने 65 प्रतिशत कार्य निष्पादित करने के बाद दिसम्बर 2005 में कार्य निलम्बित कर दिया। जनवरी 2006 में, ठेकेदार ने सूचना दी कि वे कार्य जारी रखने के इच्छुक होंगे बशर्ते कि अड़चनें दूर कर दी जाएं तथा करार की बद्धत अनुमत करने के बाद बढ़ी हुई लागत की अदायगी कर दी जाए। तथापि, दि.वि.प्रा. की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तथा कार्य अक्टूबर 2006 तक अपूर्ण रहा। ठेकेदार को नवम्बर 2005 तक 1.91 करोड़ रु. की अदायगी कर दी गई थी।

इस प्रकार, करार की शर्तों के अनुसार संरचनात्मक नक्शे तथा सामग्री उपलब्ध कराने में दि.वि.प्रा. की विफलता एवं जनवरी 2006 के बाद निष्क्रियता का परिणाम 1.91

¹ के. लो. नि. वि. निर्माण कार्य मैनुअल की धारा 15.2.1.3

करोड़ रु. की निधियों के अवरोधन तथा अक्टूबर 2006 तक सभा केन्द्र के निर्माण में तीन वर्षों के विलम्ब में हुआ।

मामला जुलाई 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

11.2 सैस की अवसूली

दिल्ली विकास प्राधिकरण, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण सैस अधिनियम, 1996 के अधीन अपेक्षित, ठेकेदारों के बिलों से सैस की वसूली करने तथा श्रमिक कल्याण बोर्ड को देय 67.48 लाख रु. का प्रेषण कराने में विफल रहा। सैस का प्रेषण न कराने के कारण दि.वि.प्रा. 68.16 लाख रु. तक के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी था।

भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण सैस अधिनियम, 1996 किसी निर्माण कार्य में लगे नियोक्ता द्वारा निर्माण पर खर्च की गई लागत पर ऐसी दर से सैस लगाने का प्रावधान करता है जो दो प्रतिशत से अधिक न हो तथा एक प्रतिशत से कम न हो। सैस, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत किया जाना है तथा अधिनियम के अन्तर्गत गठित भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को अदा किया जाना है। अधिनियम में, विलंब होने पर प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान (धारा 8) तथा निर्धारित अवधि में सैस की अदायगी न करने पर नियोक्ता पर देय सैस की राशि तक जुर्माना लगाने (धारा 9) का भी प्रावधान है। इस केन्द्रीय विधान का पालन करते हुए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने जनवरी 2002 में दिल्ली भवन व अन्य निर्माण श्रमिक (दि.भ.अ.नि.श्र.) नियमावली अधिसूचित की तथा इसके बाद सितम्बर 2002 में दिल्ली भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड गठित किया। अगस्त 2005 में दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आच्छादित कोई भी गतिविधि करने वाले सभी सरकारी विभाग तथा अभिकरण उसके श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराएंगे तथा उन्हें ठेकेदारों के बिलों की अदायगी करते समय कार्य की अनुमोदित लागत की राशि का एक प्रतिशत सैस के रूप में काटना चाहिए। प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए कुल संग्रहीत राशि के एक प्रतिशत की कटौती के बाद इस प्रकार संग्रहीत की गई राशि दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के सचिव को 30 दिन के भीतर जमा की जानी थी। 10 जनवरी 2002 से सैस सभी निविदाओं पर वसूली योग्य है। दि.वि.प्रा. ने भी फरवरी 2006 में अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित करते हुए एक परिपत्र जारी किया कि अधिशासी अभियन्ता तथा मंडलीय लेखाकार निर्धारित दर पर आवश्यक कटौती करने तथा अपने संबंधित मंडलों में प्रत्येक कार्य के संबंध में मासिक लेखा रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (सितम्बर/दिसम्बर 2005 तथा जून 2006) कि दि.वि.प्रा. के निम्नलिखित मंडलीय प्राधिकारी निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदारों के बिलों से सैस काटने तथा प्रशासनिक व्यय की कटौती के बाद देय 67.48 लाख रु. का सैस बोर्ड में जमा कराने में विफल रहे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	मंडल	देय सैस (लाख रुपयों में)
1.	फ्लाई ओवर मंडल-I	17.17
2.	प.मं.-6	28.00
3.	प.मं.-6	22.99
4.	ठेकेदारों से देय कुल सैस	68.16
5.	प्रशासनिक व्यय के रूप में एक प्रतिशत की कटौती के बाद बोर्ड को प्रेषित किए जाने वाला सैस	67.48

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में श्रमिक कल्याण बोर्ड को सैस की गैर अदायगी के कारण दि.वि.प्रा. सैस की राशि के बराबर अर्थात् 68.16 लाख रु. के जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2006) कि क्रम सं. 1 तथा 3 पर दर्शाये गए मामलों के संबंध में क्रमशः अगस्त 2006 तथा जून 2006 में ठेकेदारों से सैस वसूला गया था। क्रम सं. 2 के कार्य के मामले में अगस्त 2006 में मामला अभिकरण के साथ उठाते हुए अभिकरण को राशि जमा कराने हेतु कहा गया था।

इस प्रकार मंडलीय प्राधिकारियों द्वारा सैस की कटौती तथा उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को जमा कराने में विफलता के कारण अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। इस चूक हेतु मंडलीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया है।

11.3 निर्माण कार्य के निष्पादन में अतिरिक्त परिहार्य व्यय

एक आवासीय कालोनी के निर्माण कार्य को प्रदान करने से पहले गतिरोध मुक्त स्थल को सुनिश्चित करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण की विफलता तथा तदोपरान्त कार्य के क्षेत्र में कमी व उसके बाद शेष कार्य अन्य ठेकेदार को प्रदान करने का परिणाम 24.03 लाख रु. के अतिरिक्त परिहार्य व्यय में हुआ।

नियमावली* में परिकल्पित किया गया है कि विभाग को तब तक निविदा नोटिस जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि वास्तु-संबंधी तथा संरचनात्मक नक्शे के सम्पूर्ण सेट सहित निविदा के सभी दस्तावेजों के साथ-साथ अतिक्रमण तथा अड़चन रहित स्थल

* के.लो.नि.वि. मैनुअल खण्ड-II के पैरा 17.3.1, 17.3.2 एवं 4.21

उपलब्ध नहीं हो जाएं। इन शर्तों का प्राथमिक उद्देश्य कार्य का बिना अड़चन तथा समय पर निष्पादन करना है।

मई 2006 में, कार्यकारी अभियन्ता (द.पू.मं.-I) के अभिलेखों की संचालित की गई नमूना जांच से एक आवासीय कॉम्प्लैक्स निर्माण कार्य के निष्पादन में 16 माह के विलम्ब के साथ-साथ उपरोक्त संहिता अनुबन्धों का पालन न करने के कारण 24.03 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय प्रकट हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

- सरिता विहार ग्रुप-III में 168 उ.आ.व. आवास तथा 126 स्कूटर गैराजों के निर्माण का कार्य क्रमशः 9 फरवरी 2002 तथा 8 फरवरी 2004 की आरंभ तथा समापन की अनुबन्धित तिथियों के साथ 4.97 करोड़ रु. की लागत पर जनवरी 2002 में एक ठेकेदार को प्रदान किया गया। इन आवासों के लिये पाइल फाउंडेशन का कार्य किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाता था।
- निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हो सकी थी क्योंकि कार्य क्षेत्र एक मन्दिर तथा दो ब्लॉकों में कुछ पेड़ों के मौजूद होने से बाधित था। रुकावटों की जानकारी कम से कम अप्रैल 2001 से मंडलीय प्राधिकारियों को थी तथा वास्तव में मन्दिर को हटाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश था। इन अड़चनों से दो ब्लॉकों में 16 आवासों तथा 12 स्कूटर गैराजों का निर्माण बाधित हुआ।
- अड़चनें अन्तिम रूप से फरवरी 2004 में हटाई गई थीं। इसके बाद 16 आवासों के लिये पाइल फाउंडेशन का कार्य दो माह में पूरा करने की अनुबन्धित अवधि के साथ एक अन्य ठेकेदार को जून 2004 में प्रदान किया गया। पाइल फाउंडेशन के कार्य में भी कन्क्रीट डिज़ाइन मिक्स की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ था।
- जुलाई 2004 में, उस ठेकेदार, जिसे सभी आवासों का निर्माण सौंपा गया था, ने दो ब्लॉकों में स्पष्ट कार्य स्थल सौंपने में विलम्ब होने तथा लागत में बढ़ोतरी की प्रत्याशा में निर्माण कार्य लेने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। मुख्य अभियन्ता ने संविदा में निर्माण कार्य के क्षेत्र से दो ब्लॉकों के निर्माण कार्य को वापस लेने हेतु ठेकेदार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2004)। शेष 152 आवासों तथा 114 स्कूटर गैरिजों का निर्माण कार्य जुलाई 2004 में पूरा हो गया तथा ठेकेदार को 4.45 करोड़ रु. की अदायगी अक्टूबर 2004 में कर दी गई थी। किये गये कार्य की कुल राशि 4.88 करोड़ रु. थी तथा ठेकेदार का अन्तिम बिल जुलाई 2006 तक लम्बित था।

- 16 आवासों तथा 12 स्कूटर गैराजों के निर्माण का शेष कार्य क्रमशः 31 अक्टूबर 2004 तथा 30 अप्रैल 2005 की आरम्भ तथा समापन की अनुबंधित तिथियों के साथ 72.32 लाख रु. की लागत पर अक्टूबर 2004 में एक अन्य ठेकेदार को प्रदान किया गया। कार्य 75.37 लाख रु. की लागत पर 5 जुलाई 2005 को पूरा हुआ।

मामला दि.वि.प्रा./मंत्रालय को अगस्त 2006 में प्रेषित किया गया था। दि.वि.प्रा. ने बताया (अगस्त 2006) कि संविदा आमंत्रित करने का नोटिस, न्यायालय का स्थगन आदेश, मन्दिर की मौजूदगी आदि जैसी अड़चनों को दूर करके, सभी 168 आवासों तथा 126 गैराजों के निष्पादन के उद्देश्यों सहित, जारी किया गया था। दि.वि.प्रा. ने यह भी बताया कि कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी, चूंकि निर्माण की पूरी लागत आंबंटियों से वसूल की जायेगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि सभी रुकावटों को हटाये बिना कार्य प्रदान करना मंडलीय प्राधिकारियों के पक्ष में अविवेकपूर्ण था। अन्ततः इसका परिणाम 24.03 लाख रु.[†] के अतिरिक्त व्यय, जो अब आंबंटियों द्वारा वहन किया जाना था, के साथ-साथ पूरे कार्य को पूरा करने में 16 माह के विलम्ब में हुआ।

मंत्रालय का उत्तर नवम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

[†] मूल तथ शेष कार्य के समापन की लागत की भिन्नता को ध्यान में लेते हुए गणना यथानुपात आधार पर की गई।

अध्याय XII : युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

12.1 जगह पर अनधिकृत कब्जा

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) की जगह पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया तथा उसे कैंटीन चलाने के लिए निजी ठेकेदारों को निःशुल्क उप किरायेदारी पर सौंप दिया। इस अनियमित कार्रवाई का परिणाम उक्त स्थान के लिए मार्च 1998 से मार्च 2006 तक की अवधि के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा की गई मांग के अनुसार किराए के प्रति 24.24 लाख रु. की देयता में हुआ।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं.), युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दिसम्बर 1986 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ने.यु.के.सं. ने उसी मंत्रालय के अधीन एक दूसरे स्वायत्त निकाय भा.खे.प्रा., से इंदिरा गांधी स्टेडियम (इं.गा.स्टे.), नई दिल्ली में अपने कार्यालय को स्थापित करने हेतु 15 रु. प्रति वर्ग फुट की इमदादी दर से 17069.34 वर्ग फुट जगह किराये पर ली (1994)। ने.यु.के.सं. और भा.खे.प्रा. के बीच जगह के किराये हेतु कोई पट्टा अनुबंध नहीं हुआ था। अक्टूबर 2005 से ने.यु.के.सं. का किराये पर लिया गया क्षेत्र घटाकर 16746.34 वर्ग फुट कर दिया गया। 1 अप्रैल 1997 से किराये को संशोधित कर 30 रु. प्रति वर्ग फुट कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (जनवरी 2006) कि ने.यु.के.सं. ने 833 वर्ग फुट जगह, जो इन्हें भा.खे.प्रा. द्वारा आर्बिट्रित क्षेत्र में शामिल नहीं था, पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया था तथा भा.खे.प्रा./मंत्रालय से अनुमति लिए बिना इस जगह को मार्च 1998 से कैंटीन चलाने के लिए निजी ठेकेदारों को निःशुल्क किरायेदारी पर सौंप दिया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ठेकेदारों ने इसे आगे 4000 रु. प्रतिमाह के किराए पर उप किरायेदारी पर सौंप दिया (सितम्बर 2005)। भा.खे.प्रा. को जगह के अनधिकृत उपयोग के विषय में मार्च 2001 में जानकारी हुई तथा उसने ने.यु.के.सं. से इसे तुरंत खाली करने के लिए आग्रह किया। इसने अगस्त 2005 में मंत्रालय को भी मामले की जानकारी दी। भा.खे.प्रा. ने मार्च 1998 से मार्च 2006 तक जगह को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखने के लिए ने.यु.के.सं. से 24.24 लाख रु. के किराए का दावा किया (मार्च 2006)। ने.यु.के.सं. ने न तो अनधिकृत कब्जे वाली जगह को खाली करने और किराये के भुगतान के भा.खे.प्रा. के आग्रह का प्रत्युत्तर दिया और न ही किराये का भुगतान

किया। उसकी जगह उसने कैन्टीन के लिए अनधिकृत कब्जे वाली जगह की उप किरायेदारी जारी रखी और वह भी निःशुल्क।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, ने.यु.के.सं. ने बताया (जनवरी और जुलाई 2006) कि कर्मचारियों के कल्याण हेतु जगह में कैन्टीन चलाना एक आन्तरिक मामला था। भा.खे.प्रा. के कर्मचारियों सहित दूसरे विभाग के कर्मचारियों, खिलाड़ियों तथा आगंतुकों आदि ने भी कैन्टीन का इस्तेमाल किया था। दूसरे उत्तर में, ने.यु.के.सं. ने बताया (अगस्त 2006) कि कैन्टीन की जगह ने.यु.के.सं. को आबंटित थी और किराये का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा था तथा कोई भी अनधिकृत कब्जा नहीं था। कैन्टीन की जगह भी किसी को उप किराये पर नहीं दी थी। इसने कैन्टीन सेवा को बाह्य साधनों से चलाने का निर्णय लिया था तथा कैन्टीन को चलाने के लिए ठेकेदार को जगह के निःशुल्क उपयोग की अनुमति दी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ने.यु.के.सं. द्वारा जगह का अनधिकृत कब्जा मार्च 2001 में ही भा.खे.प्रा. के ध्यान में आया और उठाया जा चुका था। तथ्य यह था कि जिस ठेकेदार को यह जगह ने.यु.के.सं. द्वारा अनधिकृत रूप से निःशुल्क दी गई थी, उसने कैन्टीन को आगे 4000 रु. प्रतिमाह की उपकिरायेदारी पर दे दी थी। इसकी पुष्टि उस स्थान को किराये पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा भी की गयी थी। ने.यु.के.सं. के उत्तर पर भा.खे.प्रा. की टिप्पणी हेतु लेखापरीक्षा के आग्रह पर, भा.खे.प्रा. ने बताया (अगस्त 2006) कि ने.यु.के.सं. ने ईस्ट प्लाजा, यानि गुम्बद के नीचे, 833 वर्ग फुट माप की जगह मार्च 1998 से कैन्टीन चलाने के लिए अनधिकृत रूप से किराये पर दी थी जो भा.खे.प्रा. द्वारा इसे आबंटित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कैन्टीन क्षेत्र भा.खे.प्रा. द्वारा इसे आबंटित नहीं था और ने.यु.के.सं. इस क्षेत्र पर कब्जा करने और इसे उपकिरायेदारी पर देने का हकदार नहीं था। अनधिकृत रूप से ऐसा करने से उसने जगह हेतु किराये के प्रति 24.24 लाख रु. का दायित्व बनाया है।

मामले को जुलाई 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय खेल प्राधिकरण

12.2 सेवा कर की कम वसूली और विलम्ब से जमा करने के कारण व्यय

भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने ग्राहकों से जुलाई 1997 से सितम्बर 2004 के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अपने स्टेडियम प्रदान करने के लिए कम सेवा कर वसूला और कर जमा कराने हेतु अपनी निधि में से 25.56 लाख रु. का व्यय किया। इसे सेवा कर देरी से जमा कराने के कारण 38.09 लाख रु. का ब्याज अदा करना पड़ा। कुल अनियमित व्यय 63.65 लाख रु. था।

वित्त अधिनियम, 1997 मण्डप अर्थात् किसी सरकारी, सामाजिक अथवा व्यावसायिक समारोह के आयोजन के विचार से अस्थायी अधिपत्य सेवाएं प्रदान करने पर 1 जुलाई 1997 से पांच प्रतिशत का सेवा कर अधिरोपित करता है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अनुसार सेवा कर के विलम्ब से भुगतान पर निर्धारित दर पर ब्याज भी प्रभार्य था। अक्टूबर 2004 में भारत सरकार ने विशेष पंजीकरण योजना आरम्भ की जिसके अनुसार यदि सेवा प्रदान करने वाले स्वयं को 31 अक्टूबर 2004 तक पंजीकृत करवाएं और ब्याज सहित देय सेवा कर भुगतान करें तो जुर्माना उदग्राह्य नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2006) कि भा.खे.प्रा. विभिन्न संस्थाओं को समारोहों के आयोजन हेतु अपने स्टेडियमों को प्रदान करके सेवाएं प्रदान कर रहा था। भारतीय खेल प्राधिकरण जुलाई 1997 में स्वयं को सेवा कर आयुक्त, दिल्ली के साथ पंजीकृत करवाने में असफल रहा, और अपने ग्राहकों से पक्षपातपूर्वक सेवा कर वसूल कर रहा था। अक्टूबर 2004 में भा.खे.प्रा. ने विशेष पंजीकरण योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाया और जुलाई 1997 से सितम्बर 2004 तक की अवधि के लिए 16.87 लाख रू. सेवा कर के रूप में जमा कराए जिसमें से केवल 8.76 लाख रू. ग्राहकों से वसूले गए थे और 8.11 लाख रू. अपनी निधि में से अदा किए गए थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.खे.प्रा. द्वारा अदा की गई सेवा कर की राशि सही नहीं थी क्योंकि भा.खे.प्रा. ने जुलाई 1997 से सितम्बर 2004 के दौरान 6.86 करोड़ रू. मूल्य की सेवाएं प्रदान की थी और सेवा कर के प्रति 34.86 लाख रू. की कुल राशि वसूली योग्य थी।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर भा.खे.प्रा. ने अगस्त 2006 में अपनी निधियों में से 17.45 लाख रू. का सेवा कर और जमा कराया। बकाया 0.54 लाख रू. अभी जमा कराने थे। इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अनुसार भा.खे.प्रा. सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी है। कर को विलम्ब से जमा करने पर ब्याज, जो 23 अगस्त 2006 तक 38.09 लाख रू. बनता था, भी अगस्त 2006 तक अदा किया गया है।

इस प्रकार भा.खे.प्रा. स्वयं को अक्टूबर 2004 तक सेवा कर विभाग में पंजीकृत करवाने और अपने ग्राहकों से ठीक से सेवा कर वसूल करने में असफल रहा और समयपूर्वक अपनी सेवा कर देयता नहीं चुकाई। इसका परिणाम अनावश्यक सेवा कर देयता (25.56 लाख रू.) तथा ब्याज देयता (38.09 लाख रू.) के कारण भा.खे.प्रा. द्वारा 63.65 लाख रू. का परिहार्य व्यय वहन करने में हुआ।

मामला नवम्बर 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय : XIII

13.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर की गई उपचारात्मक/शोधक कार्रवाई को दर्शाते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु, अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करें और सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए और आगे के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित का.टि. संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 2005 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकायों) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति (परिशिष्ट-VIII) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त अनुदेशों के बावजूद, मंत्रालयों ने अधिकांश पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी।


124 पैराग्राफों, जिन पर का.टि भेजनी अपेक्षित थीं, में से 49 पैराग्राफों के संबंध में अन्तिम का.टि. प्रतीक्षित थीं जबकि 75 पैराग्राफों के संबंध में का.टि. प्राप्त ही नहीं हुई थीं।



(डा. अं.कु. बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
दिनांक : 19 फरवरी 2007

प्रतिहस्ताक्षरित



(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 21 फरवरी 2007

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2005-2006 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
कृषि			
1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	शून्य	शून्य
2.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	3500.00	शून्य
3.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	2952.70	शून्य
4.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाँव	10531.00	शून्य
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	1286.37	शून्य
6.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगाँव	800.00	शून्य
		19070.07	शून्य
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा			
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	183900.00	शून्य
		183900.00	शून्य
पशु पालन और डेरी उद्योग			
8.	भारतीय पशु- चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	100.00	शून्य
		100.00	शून्य
रसायन एवं उर्वरक			
9.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	1324.00	शून्य
		1324.00	शून्य
कोयला एवं खान			
10.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
वाणिज्य			
11.	कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	6597.91	शून्य
12.	काँफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बैंगलौर	12425.68	शून्य
13.	काँफी बोर्ड (पूल निधि लेखे), बैंगलौर	शून्य	शून्य
14.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई	शून्य	शून्य
15.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन	शून्य	शून्य
16.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता	शून्य	शून्य
17.	निर्यात निरीक्षण परिषद, कोलकाता	450.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
18.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	135.00	शून्य
19.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम	9073.70	शून्य
20.	मसाला बोर्ड, कोची	3200.00	शून्य
21.	चाय बोर्ड, कोलकाता	12013.13	शून्य
		43895.42	शून्य
कम्पनी कार्य			
22.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग	150.00	शून्य
		150.00	शून्य
उपभोक्ता कार्य			
23.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
संस्कृति			
24.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद	147.00	शून्य
25.	एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	665.00	शून्य
26.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	768.82	शून्य
27.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी	576.28	शून्य
28.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	856.00	शून्य
29.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड), नई दिल्ली	730.00	शून्य
30.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	474.05	शून्य
31.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	652.37	शून्य
32.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	2207.00	शून्य
33.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	55.00	शून्य
34.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	565.00	शून्य
35.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	320.00	शून्य
36.	खुदा बख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	304.66	शून्य
37.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	789.00	शून्य
38.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	3070.00	शून्य
39.	कला संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	106.00	शून्य
40.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	1469.00	शून्य
41.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली	200.00	शून्य
42.	नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं संग्रहालय, नई दिल्ली	726.00	शून्य
43.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	474.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
44.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	561.75	शून्य
45.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	564.50	शून्य
46.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	2556.00	शून्य
47.	रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर	277.00	शून्य
48.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	1305.00	शून्य
49.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	1055.00	शून्य
50.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	1675.00	शून्य
51.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	465.36	शून्य
52.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थन्जावुर, तमिलनाडु	395.47	शून्य
53.	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता	777.16	शून्य
54.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	454.52	शून्य
		25241.94	शून्य
रक्षा			
55.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	106.92	शून्य
56.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकाल खेलकूद संस्थान, पहलगॉव	25.26	शून्य
57.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी	179.42	शून्य
		311.60	शून्य
विदेश मामले			
58.	हज समिति	शून्य	शून्य
59.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	6050.00	शून्य
60.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली	225.00	शून्य
		6275.00	शून्य
पर्यावरण एवं वन			
61.	भारतीय केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	1723.00	शून्य
62.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	986.54	शून्य
63.	पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	524.90	शून्य
64.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	137.74	शून्य
		3372.18	शून्य
वित्त			
65.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	शून्य	शून्य
66.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
67.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	22423.12	शून्य

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
68.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	70.00	शून्य
69.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	3838.75	शून्य
70.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1410.00	शून्य
71.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2374.84	शून्य
72.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	250.00	शून्य
73.	भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	87.08	शून्य
74.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	15523.00	शून्य
75.	भारतीय दन्त्य परिषद, नई दिल्ली	18.00	शून्य
76.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	36500.00	शून्य
77.	भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली	25.00	शून्य
78.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	160.00	शून्य
79.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	252.30	शून्य
80.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	677.00	शून्य
81.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	1195.00	शून्य
82.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	1616.95	शून्य
83.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	860.00	शून्य
84.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलौर	4876.50	शून्य
85.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	150.00	शून्य
86.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली	5.00	शून्य
87.	स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	8083.78	शून्य
88.	राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली	284.00	शून्य
89.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	78.24	शून्य
		100758.56	शून्य
भारी उद्योग			
90.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं प्रा. एवं प्रे. अवसंरचना परियोजना, नई दिल्ली	19701.00	शून्य
		19701.00	शून्य
गृह मंत्रालय			
91.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	1112.00	शून्य
		1112.00	शून्य
मानव संसाधन विकास			
92.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	20367.58	शून्य
93.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	9148.00	शून्य
94.	असम विश्वविद्यालय, सिल्वर	1132.32	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
95.	अरोविल्ले प्रतिष्ठान, अरोविल्ले, तमिलनाडु	201.25	शून्य
96.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	240.48	शून्य
97.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	22947.59	शून्य
98.	भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
99.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	1638.00	शून्य
100.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	595.19	शून्य
101.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई	630.00	शून्य
102.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	499.25	शून्य
103.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	1890.00	शून्य
104.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	15060.29	शून्य
105.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालन्धर	400.00	शून्य
106.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	711.36	शून्य
107.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	367.62	शून्य
108.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	4181.02	शून्य
109.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	494.00	शून्य
110.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	803.00	शून्य
111.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	1563.00	शून्य
112.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	शून्य	शून्य
113.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलौर	शून्य	शून्य
114.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	1808.00	शून्य
115.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	शून्य	शून्य
116.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड	1619.00	शून्य
117.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	1514.00	शून्य
118.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	12265.00	शून्य
119.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	8800.00	शून्य
120.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी	7254.00	शून्य
121.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	10250.00	शून्य
122.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर	11450.00	शून्य
123.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	11930.00	शून्य
124.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	9010.00	शून्य
125.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	2211.00	शून्य
126.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	3024.00	शून्य
127.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	6868.51	शून्य

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
128.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	10102.36	शून्य
129.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा	955.85	शून्य
130.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	82294.00	शून्य
131.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
132.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1016.95	शून्य
133.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	25.00	शून्य
134.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	1250.00	शून्य
135.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	1140.00	शून्य
136.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1334.73	शून्य
137.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल	2524.74	शून्य
138.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	1580.00	शून्य
139.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	2044.32	शून्य
140.	राष्ट्रीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
141.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	1702.22	शून्य
142.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	165.41	शून्य
143.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
144.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, बड़ोदरा	60.00	शून्य
145.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	1153.01	शून्य
146.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
147.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	7513.00	शून्य
148.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	24.00	शून्य
149.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासनिक संस्थान, नई दिल्ली	515.65	शून्य
150.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	831.00	शून्य
151.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	720.00	शून्य
152.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	718.06	शून्य
153.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	779.93	शून्य
154.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	624.25	शून्य
155.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	1760.00	शून्य
156.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	925.00	शून्य
157.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	1400.00	शून्य
158.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोजीकोड	2500.00	शून्य
159.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	1400.00	शून्य
160.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	1200.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
161.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	2125.00	शून्य
162.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्वर	1237.95	शून्य
163.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	1225.00	शून्य
164.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरथकल	1972.73	शून्य
165.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	1672.00	शून्य
166.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	2433.77	शून्य
167.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई	1065.41	शून्य
168.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली	360.00	शून्य
169.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	72185.00	शून्य
170.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	4036.72	शून्य
171.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर	1425.00	शून्य
172.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	2363.48	शून्य
173.	भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
174.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	3207.00	शून्य
175.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	25.00	शून्य
176.	संत लोंगोवाल अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़	1100.00	शून्य
177.	सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	1650.00	शून्य
178.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	960.00	शून्य
179.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	704.16	शून्य
180.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	117660.53	शून्य
181.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	4316.08	शून्य
182.	विश्वेस्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	शून्य	शून्य
183.	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	4870.16	शून्य
		525727.93	शून्य
कृषि- ग्रामीण उद्योग			
184.	नारियल जटा बोर्ड, कोची	3892.27	शून्य
185.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	61576.00	शून्य
		65468.27	शून्य
सूचना एवं प्रसारण			
186.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	107802.00*	17547.00

* इसमें प्रसार भारती के प्रतिनियोजन पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान हेतु 9117 लाख रु. सम्मिलित हैं, बही-खाता समायोजन के जरिए गैर-नकद में भुगतान किए गए। योजनेत्तर के अंतर्गत 85174 लाख रु. का वास्तविक आबंटन था।

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
187.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	214.48	शून्य
		108016.48	17547.00
श्रम एवं रोजगार			
188.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	2534.00	शून्य
189.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
190.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
191.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश	490.00	शून्य
		3024.00	शून्य
विधि एवं न्याय			
192.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	90.00	शून्य
193.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, (सं.क्षे.) चण्डीगढ़	शून्य	शून्य
194.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली	1000.00	शून्य
		1090.00	शून्य
अल्पसंख्यक मामले			
195.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	143.00	शून्य
		143.00	शून्य
विद्युत			
196.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
197.	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली	584.01	शून्य
198.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	153.00	शून्य
		737.01	शून्य
रेलवे			
199.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
ग्रामीण विकास			
200.	उन्नत जातियों के कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, नई दिल्ली	7000.00	शून्य
201.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	शून्य	शून्य
		7000.00	शून्य
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
202.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	7760.00	शून्य
203.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	4266.00	शून्य
		12026.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
जहाजरानी			
204.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	शून्य	शून्य
205.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	शून्य	शून्य
206.	भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान, मुम्बई	शून्य	शून्य
207.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नहावाशेरा	शून्य	शून्य
208.	कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड, कांडला	शून्य	शून्य
209.	कांडला पत्तन न्यास, गाँधीधाम	शून्य	शून्य
210.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	शून्य	शून्य
211.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	316.26	शून्य
212.	मोरमुगांव पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
213.	अध्यक्ष मुम्बई पत्तन न्यास पहले मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
214.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
215.	मुम्बई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास	शून्य	शून्य
216.	नया मंगलौर पत्तन न्यास	शून्य	शून्य
217.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	शून्य	शून्य
218.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य
219.	महापत्तन शुल्क प्राधिकरण, चेन्नई	2674.70	शून्य
220.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य
221.	विजाग गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
222.	विजाग पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
		2990.96	शून्य
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान			
223.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	145349.00	शून्य
		145349.00	शून्य
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता			
224.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	1131.00	शून्य
225.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	137.00	शून्य
226.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून	831.00	शून्य
227.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	1369.00	शून्य
228.	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अस्थि संबंधी विकलांग संस्थान, कोलकाता	578.00	शून्य
229.	आत्मविमोह, प्रमास्तिष्कीय घात, मानसिक विकलांगता और बहुविध विकलांगता पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	शून्य	शून्य

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
230.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	409.00	शून्य
231.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	380.00	शून्य
232.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक	1129.00	शून्य
		5964.00	शून्य
दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी			
233.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	1520.00	शून्य
234.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अं.भ.नि.लेखा, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		1520.00	शून्य
कपड़ा			
235.	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बेंगलौर	शून्य	शून्य
236.	पटसन निर्माता विकास परिषद, कोलकाता	शून्य	शून्य
237.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	23.53	शून्य
238.	कपड़ा समिति, मुम्बई	1328.28	शून्य
		1351.81	शून्य
शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन			
239.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
240.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	71.53	शून्य
241.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवारती	शून्य	शून्य
242.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	2081.00	शून्य
243.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	162.14	शून्य
		2314.67	शून्य
जल संसाधन			
244.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	3129.00	शून्य
245.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य
		3129.00	शून्य
महिला एवं बाल विकास			
246.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	1428.06	शून्य
247.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	559.75	शून्य
248.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली	130.00	शून्य
		2117.81	शून्य
युवा मामले और खेलकूद			
249.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	1310.00	शून्य
250.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	7588.98	शून्य

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
251.	भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, नई दिल्ली	20188.60	शून्य
		29087.58	शून्य
	कुल योग	1322269.29	17547.00

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनकी 2005-2006 की सूचना दिसम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुई थी

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम
	कृषि
1.	तटीय मत्स्यपालन प्राधिकरण, चेन्नई
	वाणिज्य
2.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई
3.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली
4.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर
	गृह
5.	नगर परिषद्, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
	मानव संसाधन विकास
6.	पंडित द्वारका प्रशाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं निर्माण संस्थान, जबलपुर
	जल संसाधन
7.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
8.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प.(क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2005-06 के दौरान जारी किए गए अनुदान

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
कृषि			
1.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली	916.00	शून्य
2.	भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सहयोग परिसंघ लि., नई दिल्ली	25.00	शून्य
3.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	1740.00	शून्य
4.	छोटे किसान कृषि व्यापार सहायता संघ, नई दिल्ली	16268.34	शून्य
परमाणु ऊर्जा			
5.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	1883.00	शून्य
6.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	941.00	शून्य
7.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	1018.00	शून्य
8.	भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	1574.25	शून्य
9.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर	7686.00	शून्य
10.	साहा नाभिकीय भौतिक विज्ञान संस्थान, कोलकाता	5455.00	शून्य
11.	टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई	13722.00	शून्य
12.	टाटा स्मारक केन्द्र, मुंबई	10377.86	शून्य
जैव-प्रौद्योगिकी			
13.	डी.एन.ए. अंगुली-छाप एवं निदान विद्या केन्द्र, हैदराबाद	2000.00	शून्य
14.	जीव संसाधन एवं वहनीय विकास संस्थान, इम्फाल	300.00	शून्य
15.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	1089.64	शून्य
16.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, हरियाणा	1838.00	शून्य
17.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे	2640.00	शून्य
18.	राष्ट्रीय प्लान्ट जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	1020.00	शून्य
19.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	3032.33	शून्य

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
रसायन एवं उर्वरक			
20.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	1088.00	शून्य
21.	कीटनाशी प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान, गुडगांव	69.80	शून्य
वाणिज्य			
22.	अभियान्त्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता	1573.84	शून्य
23.	बुनियादी रसायन भेषज एवं कॉसमेटिक निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	55.00	शून्य
24.	बुनियादी रसायन भेषज एवं कॉसमेटिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई	463.59	शून्य
25.	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	67.60	शून्य
26.	कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	245.99	शून्य
27.	कोयम्बटूर औद्योगिक आधारिक संरचना संघ, तमिलनाडु	1330.00	शून्य
28.	चमड़ा निर्यात परिषद, तमिलनाडु	898.19	शून्य
29.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई	25.36	शून्य
30.	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता	109.19	शून्य
31.	चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई	132.46	शून्य
32.	इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	119.14	शून्य
33.	भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि., मुंबई	6600.00	शून्य
34.	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली	89.44	शून्य
35.	भारतीय वाणिज्य सदन एवं उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	42.24	शून्य
36.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई	608.63	शून्य
37.	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	1223.76	शून्य
38.	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई	26.62	शून्य
39.	भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली	396.14	शून्य
40.	भारतीय सिल्क निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई	55.00	शून्य
41.	भारतीय पैकिंग संस्थान, मुंबई	260.00	शून्य
42.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई	266.34	शून्य
43.	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुंबई	3276.00	शून्य
44.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नई दिल्ली	5477.50	शून्य
45.	राष्ट्रीय लुगदी एवं सम्बद्ध उद्योग परिषद, नई दिल्ली	250.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
46.	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (रा.अ.आ.अ.प.), नई दिल्ली	100.00	शून्य
47.	राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लि., नई दिल्ली	92.06	शून्य
48.	परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	27.74	शून्य
49.	प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	290.73	शून्य
50.	भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली	40.00	शून्य
51.	शल्क निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता	85.63	शून्य
52.	खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	115.92	शून्य
53.	पश्चिम बंगाल व्यापार संवर्धन संगठन, कोलकाता	164.15	शून्य
संस्कृति			
54.	नव नालंदा महाविहार, बिहार	458.53	शून्य
रक्षा			
55.	छावनी बोर्ड, अहमदनगर	165.00	शून्य
56.	छावनी बोर्ड, बैरकपुर	175.00	शून्य
57.	छावनी बोर्ड, चकराता	130.00	शून्य
58.	छावनी बोर्ड, क्लीमेंट टाउन	125.00	शून्य
59.	छावनी बोर्ड, दानापुर	190.00	शून्य
60.	छावनी बोर्ड, फिरोजपुर	140.00	शून्य
61.	छावनी बोर्ड, कसौली	110.00	शून्य
62.	छावनी बोर्ड, खास्योल	110.25	शून्य
63.	छावनी बोर्ड, लन्डौर	102.00	शून्य
64.	छावनी बोर्ड, लैंसडॉन	130.00	शून्य
65.	छावनी बोर्ड, रामगढ़	140.00	शून्य
66.	छावनी बोर्ड, रानीखेत	250.00	शून्य
67.	छावनी बोर्ड, वैलिंगटन	210.00	शून्य
68.	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान	1844.00	शून्य
69.	छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी	165.00	शून्य
70.	छावनी बोर्ड, अल्मोड़ा	30.00	शून्य
71.	छावनी बोर्ड, बादामीबाग	88.50	शून्य
72.	छावनी बोर्ड, बकलोह	75.00	शून्य
73.	छावनी बोर्ड, दागशाइ	65.00	शून्य
74.	छावनी बोर्ड, डलहौजी	80.00	शून्य
75.	छावनी बोर्ड, फैजाबाद	80.00	शून्य
76.	छावनी बोर्ड, जलपहाड़	60.00	शून्य

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
77.	छावनी बोर्ड, जालन्धर	30.00	शून्य
78.	छावनी बोर्ड, जम्मू	60.00	शून्य
79.	छावनी बोर्ड, जुटोग	75.00	शून्य
80.	छावनी बोर्ड, लेबोंग	29.50	शून्य
81.	छावनी बोर्ड, नैनीताल	55.00	शून्य
82.	छावनी बोर्ड, पचमड़ी	63.00	शून्य
83.	छावनी बोर्ड, शिलोंग	70.00	शून्य
84.	छावनी बोर्ड, सुबाटू	62.00	शून्य
पर्यावरण एवं वन			
85.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली	4454.01	शून्य
86.	गोविन्द वल्लभ पंत हिमालयीन पर्यावरण एवं विकास संस्थान	730.10	शून्य
87.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	6531.67	शून्य
88.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	556.32	शून्य
89.	भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलौर	382.09	शून्य
वित्त			
90.	भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली	90.00	शून्य
91.	भारतीय औद्योगिक सांख एवं निवेश निगम	3750.00	शून्य
92.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.	30000.00	शून्य
93.	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	45.00	शून्य
94.	ग्रामीण सहायता एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक	1363.00	शून्य
95.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	186.00	शून्य
96.	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	201.50	शून्य
97.	पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण	200.00	शून्य
98.	भारतीय राज्य औद्योगिक विकास बैंक (भा.रा.औ.वि.बैं.)	939.69	शून्य
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग			
99.	पश्चिम बंगाल उद्योग विकास निगम परिषद गृह, कोलकाता	2179.60	शून्य
100.	पश्चिम बंगाल राज्य खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी विकास निगम लि., कोलकाता	601.75	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
101.	अखिल भारतीय स्पीच एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	396.00	शून्य
102.	केन्द्रीय संयुक्त भवन परिसर परिषद	174.00	शून्य
103.	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	174.95	शून्य
104.	गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, तमिलनाडु	78.22	शून्य
105.	भारतीय चिकित्सा संघ, नई दिल्ली	38.00	शून्य
106.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	603.40	शून्य
107.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	965.25	शून्य
108.	कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वर्धा	644.50	शून्य
109.	लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं समवर्गी रोग संस्थान, नई दिल्ली	1078.00	शून्य
110.	राष्ट्रीय जैविक संस्थान	750.00	शून्य
111.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	400.00	शून्य
112.	नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र	75.00	शून्य
113.	उत्तर-पूर्वी इन्डिया गांधी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान	3000.00	शून्य
114.	भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर	398.34	शून्य
115.	राज्य परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नवीनता अधिकरण, लखनऊ	3014.00	शून्य
116.	वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान, नई दिल्ली	950.00	शून्य
117.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं, चेन्नई	737.12	शून्य
मानव संसाधन विकास			
118.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	49.50	शून्य
119.	अविनाश गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा महिला संस्थान, कोयम्बटूर	1013.66	शून्य
120.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	376.88	शून्य
121.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	1189.74	शून्य
122.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	837.24	शून्य
123.	दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा	497.60	शून्य
124.	प्रौढ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली	1279.23	शून्य
125.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	1118.52	शून्य
126.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	962.94	शून्य
127.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	834.37	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
128.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलौर	8900.00	शून्य
129.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	633.60	शून्य
130.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	300.00	शून्य
131.	श्री चन्द्रशेखरन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम	60.50	शून्य
132.	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, केरल	77.50	शून्य
133.	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, उड़ीसा	52.50	शून्य
134.	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	35.50	शून्य
135.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	1166.55	शून्य
औद्योगिकी नीति एवं उन्नयन			
136.	केन्द्रीय उत्पादन प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलोर	640.00	शून्य
भारी उद्योग			
137.	सीमेंट उद्योग विकास परिषद, कर्नाटक	449.98	शून्य
138.	तरल नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, केरल	580.00	शून्य
सूचना एवं प्रसारण			
139.	भारतीय बाल चलचित्र समिति, मुम्बई	463.71	शून्य
140.	भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे	883.51	शून्य
141.	भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली	463.10	शून्य
142.	सत्यजीत राय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता	660.20	शून्य
सूचना प्रौद्योगिकी			
143.	उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र, पुणे	6300.00	शून्य
144.	इलैक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे	610.00	शून्य
145.	इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग - अधिकृत कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, नई दिल्ली	1170.00	शून्य
146.	अनुप्रयुक्त सूक्ष्म तरंग इलैक्ट्रॉनिक्स अभियान्त्रिकी अनुसंधान समिति, मुम्बई	2300.00	शून्य
147.	भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली	221.00	शून्य
अल्पसंख्यक मामले			
148.	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	2999.00	शून्य
खान			
149.	जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर	263.00	शून्य
150.	राष्ट्रीय चट्टान यान्त्रिकी संस्थान, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कर्नाटक	145.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
151.	राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान	35.64	शून्य
लघु उद्योग			
152.	केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	100.00	शून्य
153.	केन्द्रीय उपकरण डिजाइन संस्थान, बालानगर, हैदराबाद	270.00	शून्य
154.	केन्द्रीय उपकरण कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता	260.00	शून्य
155.	राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान, नोएडा	36.50	शून्य
156.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	722.55	शून्य
157.	राष्ट्रीय सीमेन्ट एवं भवन सामग्री परिषद, हरियाणा	300.00	शून्य
158.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (भा.ल.उ.वि.बैं.), नई दिल्ली	1060.00	शून्य
श्रम एवं रोजगार			
159.	राष्ट्रीय अनुदेश जनसंचार संस्थान (रा.अ.ज.सं.), चेन्नई	204.00	शून्य
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत			
160.	वायु ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र, चेन्नई	400.00	शून्य
समुद्री विकास			
161.	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएं केन्द्र, हैदराबाद	2242.00	शून्य
162.	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र, गोवा	5573.69	शून्य
163.	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	12600.26	शून्य
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन			
164.	केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक एवं खेलकूद बोर्ड, नई दिल्ली	40.00	शून्य
165.	गृह कल्याण केन्द्र	50.00	शून्य
166.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	189.00	शून्य
योजना			
167.	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	397.46	शून्य
विद्युत			
168.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलौर	1409.82	शून्य
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस			
169.	पेट्रोलियम प्रयोगशाला समिति, नोएडा	265.00	शून्य
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता			
170.	डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	100.00	शून्य
171.	लिवेन्शिल्फ विशाखापटनम मानसिक विकलांग संघ	43.01	शून्य

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
172.	मानसिक विकास केन्द्र, विजयवाड़ा	49.65	शून्य
173.	राष्ट्रीय बहु विकलांग संस्थान, चेन्नई	749.00	शून्य
174.	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान	453.00	शून्य
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
175.	अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	700.00	शून्य
176.	आर्यभट्ट निरीक्षण सम्बन्धी विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	1000.00	शून्य
177.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	2065.00	शून्य
178.	बोस संस्थान, कोलकाता	1789.33	शून्य
179.	द्रव क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र, बेंगलौर	270.00	शून्य
180.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलौर	260.00	शून्य
181.	भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, कोलकाता	2740.00	शून्य
182.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलोर	2840.00	शून्य
183.	भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, मुंबई	2185.00	शून्य
184.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे	1100.00	शून्य
185.	भारतीय राष्ट्रीय अभियान्त्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	142.00	शून्य
186.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	699.00	शून्य
187.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता	178.00	शून्य
188.	इन्डो फ्रेंच प्रोत्साहन एवं उन्नत अनुसंधान प्रवर्तन केन्द्र, नई दिल्ली	1031.00	शून्य
189.	इन्डो यू एस एस और टी फोरम, नई दिल्ली	280.00	शून्य
190.	अन्तर्राष्ट्रीय धातु विज्ञान पाउडर एवं नई सामग्री उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	2600.00	शून्य
191.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलोर	2300.00	शून्य
192.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	320.00	शून्य
193.	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली	500.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
194.	रमन अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर	2240.00	शून्य
195.	सत्येन्द्रनाथ बोस राष्ट्रीय आधारीक विज्ञान केन्द्र, कोलकाता	1140.00	शून्य
196.	सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	1358.00	शून्य
197.	विज्ञान प्रसार, नोएडा	700.00	शून्य
198.	वाडिया हिमालयी भूगर्भशास्त्र संस्थान, देहरादून	1120.00	शून्य
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान			
199.	परामर्श विकास केन्द्र, नई दिल्ली	60.00	शून्य
अन्तरिक्ष			
200.	राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला	582.00	शून्य
201.	राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद	1400.00	शून्य
202.	उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलांग	500.00	शून्य
203.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	3304.00	शून्य
सांख्यिकी			
204.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता	5510.69	शून्य
दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी			
205.	टेलिमैटिक्स विकास केन्द्र (टे.वि.के.), नई दिल्ली	7512.00	शून्य
कपड़ा			
206.	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद	137.95	शून्य
207.	हस्तकरघा विकास निगम परिषद, नई दिल्ली	299.32	शून्य
208.	राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र, नई दिल्ली	211.31	शून्य
जनजातीय मामले			
209.	भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि.	400.00	शून्य
शहरी विकास			
210.	भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	309.00	शून्य
211.	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, नई दिल्ली	148.82	शून्य
212.	शहरी परिवहन संस्थान, नई दिल्ली	110.00	शून्य
महिला एवं बाल विकास			
213.	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली	11261.46	शून्य

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
युवा मामले एवं खेलकूद			
214.	भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली	28.53	शून्य
	कुल योग	296665.09	शून्य

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.1.2 के संदर्भ में)

धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
(क)	तीन से छः माह तक का विलम्ब	
1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	04.10.2005
2.	श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, थिरुवनंतरपुरम	04.10.2005
3.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलोर	06.10.2005
4.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	06.10.2005
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	06.10.2005
6.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	07.10.2005
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	07.10.2005
8.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	10.10.2005
9.	कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	14.10.2005
10.	चाय बोर्ड, कोलकाता	14.10.2005
11.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	17.10.2005
12.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	18.10.2005
13.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, वड़ोदरा	19.10.2005
14.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	19.10.2005
15.	सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	21.10.2005
16.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	24.10.2005
17.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	25.10.2005
18.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	26.10.2005
19.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	28.10.2005
20.	भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून	28.10.2005
21.	संत लौंगोवाल अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़	02.11.2005
22.	भारतीय केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	07.11.2005
23.	भारतीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली	10.11.2005
24.	लक्ष्मीप भवन विकास बोर्ड, कावर्ती	11.11.2005
25.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली	14.11.2005
26.	भारतीय समुद्रीय अध्ययन संस्थान, मुम्बई	17.11.2005
27.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	18.11.2005
28.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	21.11.2005
29.	मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, इलाहाबाद	23.11.2005
30.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	24.11.2005
31.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	28.11.2005

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

32.	राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	29.11.2005
33.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	30.11.2005
34.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	02.12.2005
35.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	02.12.2005
36.	कला संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	08.12.2005
37.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	14.12.2005
38.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	21.12.2005
39.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	07.11.2005
40.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चैन्नई	09.12.2005
(ख)	छः माह से अधिक विलम्ब	
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	30.01.2006
2.	राष्ट्रीय हौम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	30.01.2006
3.	राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता	06.02.2006
4.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	16.02.2006
5.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली	16.02.2006
6.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव	10.03.2006
7.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	23.03.2006
8.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	24.03.2006
9.	दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावर, तमिलनाडु	20.03.2006
10.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	17.04.2006
11.	राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	11.05.2006
12.	असम विश्वविद्यालय, सिल्वर	16.05.2006
13.	नेहरू युवा केन्द्र	14.07.2006
14.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	28.07.2006
15.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	04.08.2006
16.	महर्षि संदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	11.08.2006
17.	भारतीय शिक्षा कोष	30.08.2006
18.	दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड	12.09.2006
19.	मिजोरम विश्वविद्यालय, एजोल	28.09.2006
20.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	12.10.2006
21.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	21.04.2006
22.	काफी बोर्ड (पूल निधि लेखे), बैंगलोर	30.04.2006
23.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	20.04.2006
24.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	29.12.2006

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.1.2 के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2004-05 के लेखे दिसम्बर 2006 तक प्रस्तुत न करना

क्र.सं.	संस्थान
1.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
2.	भारतीय हज समिति, मुम्बई
3.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
7.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
8.	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.2 के सदर्थ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं
(31.10.2006 तक की स्थिति)

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम (मंत्रालय वार)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	भारत सरकार/स्वायत्त निकाय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि
संस्कृति			
1.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	1995-96 से 1998-99 1999-2000 2004-05	14.08.2000 24.11.2000 07.02.2006
2.	ललित कला अकादमी	2004-05	28.02.2006
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	1995-96 से 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03	13.08.2001 18.07.2005 18.07.2005 18.05.2006 18.05.2006
4.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति	2004-05	12.01.2006
5.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	2004-05	26.06.2006
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
6.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	2003-04 2004-05	16.08.2004 18.10.2005
7.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण शक्ति विकलांग संस्थान, मुम्बई	2004-05	24.10.2005
मानव संसाधन विकास			
8.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2004-05	30.06.2006
9.	दिल्ली विश्वविद्यालय	2002-03	30.03.2006
10.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	2004-05	08.05.2006
11.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	2004-05	22.03.2006
12.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	2004-05	18.08.2006
13.	भारतीय विज्ञान, दार्शनिक एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना	2002-03 2003-04	09.03.2004 27.12.2004

		2004-05	09.09.2005
14.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	2004-05	27.12.2005
15.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	2004-05	30.05.2006
16.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली	2004-05	22.08.2006
17.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	2002-03 2003-04 2004-05	09.12.2003 18.03.2005 14.02.2006
	श्रम		
18.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	2004-05	22.06.2006
	विद्युत शक्ति		
19.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	2003-04	02.01.2006
	जहाजरानी		
20.	भारतीय समुद्रीय अध्ययन संस्थान, मुम्बई	2003-04 2004-05	13.10.2005 09.03.2006
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता		
21.	केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली	2000-01 2001-02 2003-04 2004-05	13.07.2005 21.03.2005 05.04.2006 25.05.2006
	शहरी विकास		
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	2004-05	30.03.2006
	जल संसाधन विकास		
23.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	2004-05	10.07.2006
24.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	2004-05	22.12.2005
	युवा मामले एवं खेल कूद		
25.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2003-04	26.07.2006
26.	भारतीय खेल प्राधिकरण	2004-05	19.09.2006

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.3 के संदर्भ में)
बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
कृषि	1990-91	3	11.25
	1991-92	8	16.50
	1992-93	1	2.50
	1996-97	4	2.35
	1997-98	8	28.28
	1998-99	3	1.75
	2000-01	1	0.95
	2001-02	6	2.45
	2002-03	9	35.70
	2003-04	6	24.43
	2004-05	39	5969.18
	88	6095.34	
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन	2004-05	5	53.06
		5	53.06
परमाणु उर्जा	1991-92	1	2.51
	1996-97	5	5.21
	1997-98	6	4.79
	1998-99	6	3.60
	1999-00	7	16.56
	2000-01	7	17.24
	2001-02	7	9.00
	2002-03	8	84.96
	2003-04	27	268.97
	2004-05	70	476.38
	144	889.22	
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	2004-05	10	0.93
		10	0.93
रसायन एवं पेट्रो रसायन	2004-05	12	1108.78
		12	1108.78
वाणिज्य एवं कपड़ा			
(i) वाणिज्य	2001-02	2	154.00
	2002-03	30	3722.00
	2003-04	25	4259.00

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3
(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2004-05	70	21502.91
		127	29637.91
(ii) कपड़ा	1978-79	11	47.23
	1979-80	3	14.60
	1980-81	3	3.88
	1981-82	1	0.40
	1982-83	4	2.02
	1984-85	2	0.88
	1985-86	3	2.15
	1988-89	1	0.25
	1989-90	3	1.75
	1990-91	1	3.32
	1991-92	3	7.47
	1992-93	9	20.71
	1993-94	9	95.11
	1994-95	31	26.27
	1995-96	48	231.35
	1996-97	16	51.89
	1997-98	17	42.63
	1998-99	11	31.24
	1999-00	30	132.63
	2000-01	35	107.45
	2001-02	33	64.47
	2002-03	69	177.73
	2003-04	152	1223.90
	2004-05	599	5196.17
		1094	7485.50
पभोक्ता कार्य	1996-97	26	11.54
	1997-98	9	3.40
	1998-99	7	2.22
	1999-00	4	1.08
	2000-01	7	2.30
	2001-02	7	5.70
	2003-04	14	19.00
	2004-05	39	60.94
		113	106.18
द्वय एवं सार्वजनिक वितरण	1998-99	3	61.48
	1999-00	1	33.50
	2001-02	1	89.72
	2002-03	1	3.22

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2004-05	1	8.69
		7	196.61
पर्यावरण एवं वन	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6531.00
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1439.00
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	135	1146.00
	1995-96	10	21.00
	1996-97	440	15732.00
	1997-98	601	9742.00
	1998-99	302	314.00
	1999-00	513	4399.00
	2000-01	532	4991.36
2001-02	590	10569.30	
2002-03	602	8411.64	
2003-04	866	9689.71	
2004-05	878	14228.72	
		7546	92247.65
भारतीय चुनाव आयोग	1996-97	उ.न.	1.17
	1998-99	उ.न.	0.36
	2000-01	उ.न.	0.52
		उ.न.	2.05
वित्त मंत्रालय			
(i) आर्थिक मामले विभाग	2000-01	3	301.32
	2001-02	6	1774.58
	2002-03	1	93.65
	2003-04	1	100.00
	2004-05	1	2117.50
		12	4387.06
(ii) राजस्व विभाग	1996-97	2	0.00
	1997-98	2	0.00

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1998-99	1	0.03
	1999-00	1	0.02
	2000-01	1	0.03
	2001-02	1	0.03
	2002-03	3	24.23
	2003-04	2	0.05
	2004-05	4	285.10
		17	309.60
ब्राह्म प्रसंस्करण उद्योग	1991-92	2	6.20
	1992-93	9	87.36
	1993-94	18	152.69
	1994-95	24	156.86
	1995-96	18	142.24
	1996-97	15	154.99
	1997-98	16	241.57
	1998-99	32	315.78
	1999-00	29	327.60
	2000-01	60	822.40
	2001-02	66	1523.78
	2002-03	104	2599.39
	2003-04	188	3265.44
	2004-05	321	3812.68
	902	13608.98	
निव संसाधन एवं विकास			
)उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	1977-78	8	11.38
	1978-79	30	32.70
	1979-80	21	24.90
	1980-81	14	37.90
	1981-82	17	44.35
	1982-83	37	73.25
	1983-84	30	59.18
	1984-85	18	30.85
	1985-86	114	608.94
	1986-87	38	138.33
	1987-88	144	722.85
	1988-89	136	657.97
	1989-90	97	975.54
	1990-91	14	12.43
	1991-92	57	314.59
	1992-93	63	474.58
1993-94	79	650.37	

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1994-95	35	195.08
	1995-96	29	209.09
	1996-97	40	640.50
	1997-98	64	1988.00
	1998-99	50	670.35
	1999-00	148	3449.46
	2000-01	149	1758.76
	2001-02	188	2762.29
	2002-03	316	13996.09
	2003-04	364	17945.56
	2004-05	1250	101698.52
		3550	150183.81
(ii) प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता	1982-83	1	5.00
	1984-85	1	0.60
	1985-86	9	5.05
	1986-87	19	17.70
	1987-88	4	13.09
	1988-89	21	74.24
	1989-90	34	56.90
	1990-91	11	287.44
	1991-92	7	8.93
	1992-93	11	28.74
	1993-94	32	353.50
	1994-95	36	650.48
	1995-96	60	1371.00
	1996-97	56	723.34
	1997-98	46	756.82
	1998-99	62	1540.27
	1999-00	85	3014.46
	2000-01	105	30726.88
	2001-02	193	50256.58
	2002-03	231	116363.85
2003-04	371	123256.66	
2004-05	335	134687.45	
		1730	464198.98
(iii) महिला एवं बाल विकास	1986-87	130	361.35
	1987-88	204	561.58
	1988-89	311	671.85
	1989-90	356	856.45
	1990-91	264	893.47
	1991-92	300	1117.71

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1992-93	296	1101.32
	1993-94	418	1122.55
	1994-95	433	1138.80
	1995-96	273	867.93
	1996-97	496	1940.04
	1997-98	314	986.80
	1998-99	248	2777.26
	1999-00	202	1002.70
	2000-01	205	2415.38
	2001-02	299	1581.88
	2002-03	438	2445.60
	2003-04	241	2550.44
	2004-05	608	9825.55
		6036	34218.66
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
(i) स्वास्थ्य	1980-81	2	1.46
	1983-84	2	24.80
	1984-85	4	4.66
	1985-86	8	2.46
	1986-87	3	1.89
	1987-88	3	23.00
	1988-89	10	2.45
	1989-90	21	47.28
	1990-91	5	5.71
	1991-92	5	0.97
	1992-93	1	0.14
	1993-94	28	756.52
	1994-95	18	778.53
	1995-96	71	2770.74
	1996-97	90	1525.65
	1997-98	139	4883.08
	1998-99	104	11589.69
	1999-00	206	13551.85
	2000-01	172	8085.73
	2001-02	188	8265.87
2002-03	201	20137.14	
2003-04	250	61463.86	
2004-05	396	94388.41	
		1927	228311.89
(ii) परिवार कल्याण	1982-83	4	2.95
	1985-86	1	1.93

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1986-87	2	9.45
	1987-88	2	3.63
	1989-90	7	17.35
	1990-91	8	13.00
	1992-93	2	7.79
	1993-94	14	48.86
	1994-95	36	49.26
	1995-96	89	862.65
	1996-97	96	610.34
	1997-98	57	394.66
	1998-99	52	370.20
	1999-00	40	597.06
	2000-01	76	4329.39
	2001-02	68	2757.22
	2002-03	151	5813.68
	2003-04	233	21374.26
	2004-05	402	89362.48
		1340	126626.16
(iii) आयुष	1976-93	26	66.68
	1993-94	1	38.00
	1994-95	13	392.50
	1995-96	17	237.09
	1996-97	6	279.92
	1997-98	24	682.46
	1998-99	12	241.28
	1999-00	36	836.40
	2000-01	11	60.37
	2001-02	67	1406.72
	2002-03	71	1583.54
	2003-04	65	2650.60
	2004-05	212	18259.86
		561	26735.42
गृह मामले भु.ले.अ. (सचिवालय)	1998-99	1	0.05
	2003-04	1	0.11
		2	0.16
सूचना प्रौद्योगिकी	2001-02	2	11.00
	2002-03	96	7767.00
	2003-04	142	10313.00
	2004-05	191	28540.00
		431	46631.00

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
उद्योग			
(i) भारी उद्योग	2000-01	1	182.00
	2002-03	2	31.00
	2003-04	11	2442.00
	2004-05	16	6264.00
		30	8919.00
(ii) लघु एवं कृषि ग्रामीण उद्योग	1998-99	2	200.00
	2001-02	5	59.00
	2004-05	23	584.00
		30	843.00
(iii) औद्योगिक नीति एवं उन्नयन	2003-04	6	3774.00
	2004-05	56	21108.00
		62	24882.00
(iv) सार्वजनिक उद्यम विभाग	2002-03	1	10.00
	2004-05	9	78.00
		10	88.00
श्रम	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	3	1.62
	1987-88	3	2.94
	1988-89	1	6.21
	1989-90	9	10.10
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	2	0.64
	1993-94	7	6.72
	1994-95	3	3.71
	1995-96	22	130.71
	1996-97	128	232.88
	1997-98	5	4.58
	1998-99	25	26.92
	1999-00	37	39.26
	2000-01	54	106.71
	2001-02	51	118.12
	2002-03	46	224.62
	2003-04	55	480.80
2004-05	262	2979.59	
	738	4422.15	
विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य विभाग			
	1982-83	2	1.00
	1983-84	5	1.52

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
(i)राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण	1984-85	5	1.30
	1989-90	3	1.30
	1990-91	1	0.25
	1991-92	7	1.48
	1992-93	8	0.80
	1993-94	8	4.10
	1994-95	5	4.05
	1995-96	12	5.75
	1996-97	22	41.91
	1997-98	28	36.10
	1998-99	60	245.89
	1999-00	47	254.50
	2000-01	27	331.85
	2001-02	18	162.00
	2002-03	26	259.25
	2003-04	41	356.59
	2004-05	45	314.90
		370	2024.54
	(ii)विधायी विभाग	1984-85	2
1989-90		1	0.05
1991-92		1	0.20
1992-93		3	0.30
1993-94		1	0.05
1995-96		10	0.75
1996-97		2	0.10
1999-00		2	0.15
2000-01		2	0.10
2001-02		2	0.05
2002-03		1	0.02
2003-04		1	0.02
2004-05		4	0.35
		32	2.16
(iii)विधि मामले विभाग	2004-05	1	150.00
		1	150.00

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3
(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
खान	2004-05	6	270.65
		6	270.65
भारतीय भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण	2000-01	1	0.10
	2002-03	5	0.75
	2003-04	11	2.00
	2004-05	13	6.45
		30	9.30
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	1999-00	1	2.29
	2000-01	1	1.15
	2002-03	7	177.48
	2003-04	34	3349.36
	2004-05	22	689.17
		65	4219.45
समुद्री विकास भूविज्ञान मंत्रालय	1983-84	8	13.16
	1984-85	22	22.66
	1985-86	32	32.61
	1986-87	22	25.78
	1987-88	40	52.83
	1988-89	45	58.00
	1989-90	61	60.39
	1990-91	17	227.46
	1991-92	13	114.60
	1992-93	8	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	7	36.50
	1995-96	22	46.74
	1996-97	51	105.06
	1997-98	57	276.81
	1998-99	41	432.28
	1999-00	34	435.69
	2000-01	50	422.71
	2001-02	40	2881.80
	2002-03	30	2535.74
	2003-04	121	2222.67
2004-05	157	29422.35	
	894	39469.04	
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन कार्मिक तथा प्रशिक्षण	2004-05	3	39.08
		3	39.08
योजना तथा सांख्यिकी योजना आयोग	2004-05	2	2.06
		2	2.06

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
विद्युत	2004-05	5	929.79
		5	929.79
ग्रामीण विकास	1999-00	2	50.82
	2000-01	2	81.08
	2001-02	3	47.00
	2002-03	26	100.00
	2003-04	34	779.60
	2004-05	89	39318.44
		156	40376.94
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
बायोटेक्नोलॉजी विभाग	1993-94	6	0.80
	1994-95	8	4.95
	1995-96	7	2.30
	1996-97	6	1.65
	1997-98	16	6.95
	1998-99	8	3.45
	1999-00	5	12.85
	2000-01	6	4.75
	2001-02	5	2.40
	2002-03	5	3.36
	2003-04	3	0.68
	2004-05	43	20.47
		118	64.61
जहाजरानी	2001-02	1	229.00
		1	229.00
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	6	0.74
	1983-84	2	0.08
	1984-85	4	0.99
	1985-86	2	0.15
	1986-87	8	1.42
	1987-88	4	4.88
	1989-90	2	0.07
	1990-91	1	5.24
	1991-92	1	1.24
	1993-94	2	1.28
	1998-99	1	0.20
1999-00	2	1.30	

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2000-01	7	64.52
	2001-02	27	477.03
	2002-03	35	230.88
	2003-04	75	444.39
	2004-05	143	1132.08
		326	2367.00
शहरी विकास	1984-85	1	0.40
	1985-86	5	2.25
	1986-87	1	0.50
	1987-88	3	4.15
	1988-89	4	1.15
	1989-90	1	1.50
	1990-91	2	1.56
	1992-93	1	0.40
	1993-94	4	3.48
	1994-95	2	1.30
	1996-97	2	3.52
	1997-98	1	0.30
	1999-00	4	124.44
	2000-01	2	6.00
	2001-02	16	613.10
	2002-03	10	284.26
	2003-04	51	6773.09
	2004-05	13	1784.75
		123	9606.15
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1983-84	1	0.54
	1985-86	1	0.50
	1986-87	2	0.70
	1988-89	1	1.50
	1989-90	1	0.70
	1990-91	2	2.10
	1991-92	1	2.85
	1992-93	2	24.50
	1993-94	4	1.12
	1995-96	2	5.20
	1996-97	1	1.10
	1999-00	1	0.92
	2000-01	1	43.79
	2001-02	9	1164.37
	2002-03	2	164.13
2003-04	11	3219.75	

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2005 तक)	मार्च 2005 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2006 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2004-05	38	29257.42
		80	33891.19
जल संसाधन	1986-87	3	12.50
	1987-88	1	5.29
	1988-89	3	8.80
	1989-90	2	2.85
	1990-91	3	7.17
	1991-92	4	8.91
	1994-95	1	0.36
	2000-01	2	6.19
	2001-02	4	46.46
	2002-03	7	6.25
	2003-04	7	4.23
	2004-05	2	1.95
			39
युवा मामले एवं खेलकूद	1987-88	20	10.04
	1988-89	103	76.02
	1989-90	153	62.55
	1990-91	185	100.18
	1991-92	133	113.36
	1992-93	385	691.65
	1993-94	375	704.65
	1994-95	234	460.94
	1995-96	348	993.43
	1996-97	385	4584.93
	1997-98	277	1520.83
	1998-99	541	4902.94
	1999-00	839	3595.07
	2000-01	987	3366.75
	2001-02	133	343.26
	2002-03	707	4599.94
	2003-04	1212	4632.07
2004-05	1636	22823.11	
		8653	53581.72
कुल योग		37428	1459532.74

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 13.1 के संदर्भ में)

अक्टूबर 2006 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
1.	संस्कृति	1998	1	-	1
		2001	2	-	2
		2004	2	2	-
		2005	1	-	1
2.	विदेश मामले	2004	1	-	1
3.	वित्त	2003	1	-	1
		2004	2	-	2
		2005	1	-	1
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	1	-	1
		2002	2	1	1
		2004	3	-	3
		2005	2	2	-
5.	मानव संसाधन विकास	2001	3	-	3
		2002	3	3	-
		2003	2	-	2
		2004	7	2	5
		2005	7	4	3
	महिला एवं बाल विकास विभाग	2002	1	-	1
6.	सूचना एवं प्रसारण	2002	3	-	3
		2003	4	-	4
		2004	4	2	2
		2005	5	4	1

2007 का प्रतिवेदन संख्या 3

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
7.	श्रम	2000	1	-	1
		2001	1	-	1
		2005	4	3	1
8.	योजना आयोग	2005	1	1	-
9.	जहाजरानी	2004	1	1	-
		2005	10	4	6
10.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2001	1	-	1
		2004	1	1	-
11.	शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन	1989	1	1	-
		1990	5	5	-
		1991	8	8	-
		1992	9	9	-
		1993	12	12	-
		2002	1	1	-
		2004	1	1	-
		2005	4	4	-
12.	युवा मामले एवं खेलकूद	1994	1	-	1
		2005	4	4	-
योग			124	75	49



